वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट 2005-2006

दिल्ली विकास प्राधिकरण

श्री एस. जयपाल रेड्डी, माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री यमुना जैव–वैविध्य पार्क के इंटरप्रिटेशन सेंटर में.

श्री एस. जयपाल रेड्डी, माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एवं श्री दिनेश राय, उपाध्यक्ष, (दि.वि.प्रा.) दि.वि.प्रा. की पुष्प प्रदर्शनी देखते हुए.

श्री बी. एल. जोशी, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, दि.वि.प्रा. पुष्प–प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए.

विषय–सूची

दिल्ली–आश्चर्यों का नगर | 2 | वर्ष की उपलब्धियां | 4 | प्राधिकरण का प्रबंध–तंत्र | 7 | कार्मिक विभाग | 11 | सतर्कता विभाग | 13 | विधि विभाग | 15 | प्रणाली एवं प्रशिक्षण | 20 | इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य–कलाप | 23 | योजना एवं वास्तुकला | 33 | आवास | 55 | भूमि प्रबंध एवं निपटान विभाग | 59 | खेलकूद | 66 | उद्यान – राजधानी को हरा–भरा बनाना | 76 | कोटि आश्वासन कक्ष | 77 | वित्त एवं लेखा विंग | 79 |

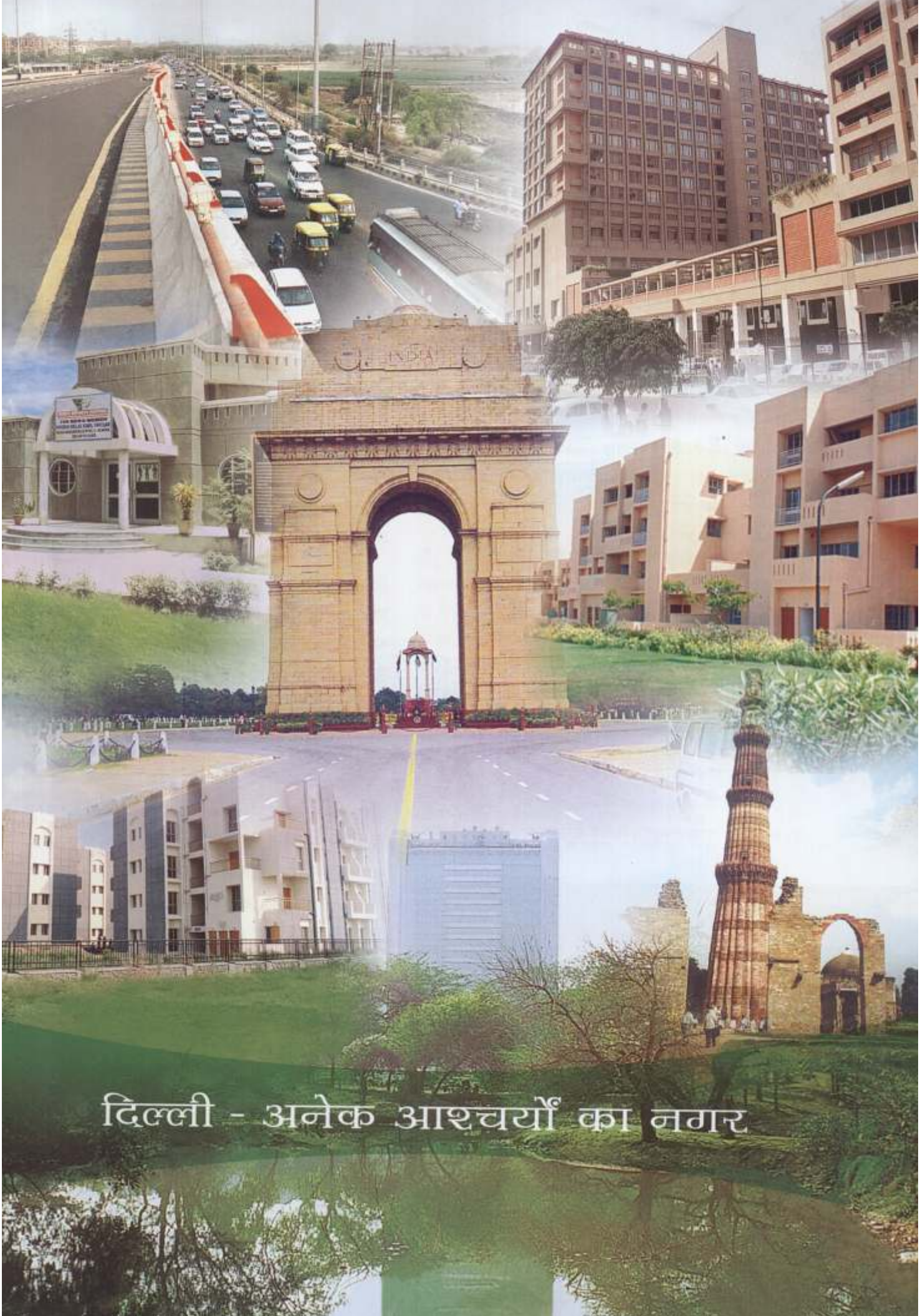

दिल्ली - अनेक आश्चर्यों का नगर

दिल्ली – आश्चर्यों का नगर

दिल्ली नगर हजारों वर्षों से उप-महाद्वीप जैसे बड़े साम्राज्यों की राजधानी रहा है और यह नगर न केवल समस्त भारत से बल्कि अन्य सभ्यताओं से भी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करता रहा है।

इसका परिणाम सम्मोहक बहुमूर्तिदर्शी है जो असंख्य संस्कृतियों और सभ्यताओं को मिलाती है और इससे दिल्ली की पहचान अनूठे आत्मसात करने वाले नगर के रूप में बनी है।

इतिहास हमें बताता है कि समुत्थान दिल्ली की युगचेतना का प्रमाण-चिह्न है। दिल्ली नगर कई बार उजड़ा है और हर बार यह नये उत्साह के साथ उभरा है।

महाकाव्य महाभारत से यह पता चलता है कि पुराने किले और हुमायूं के मकबरे के बीच 1400 ईसा पूर्व के आसपास ''इंद्रप्रस्थ'' नाम का भव्य नगर विद्यमान था इसे दिल्ली के सात नगरों, जिनका उत्थान, पतन और पुन: उत्थान हुआ, में से पहला नगर माना जाता है। इंद्रप्रस्थ नगर के तीन हजार वर्षों से अधिक काल में दिल्ली समय के साथ-साथ बदलती रही और यह अपने गौरव और वैभव के साथ-साथ अपने सबसे बुरे समय का भी साक्षी रहा है जब इसे लुटेरे आक्रमणकर्ताओं द्वारा लूटा गया।

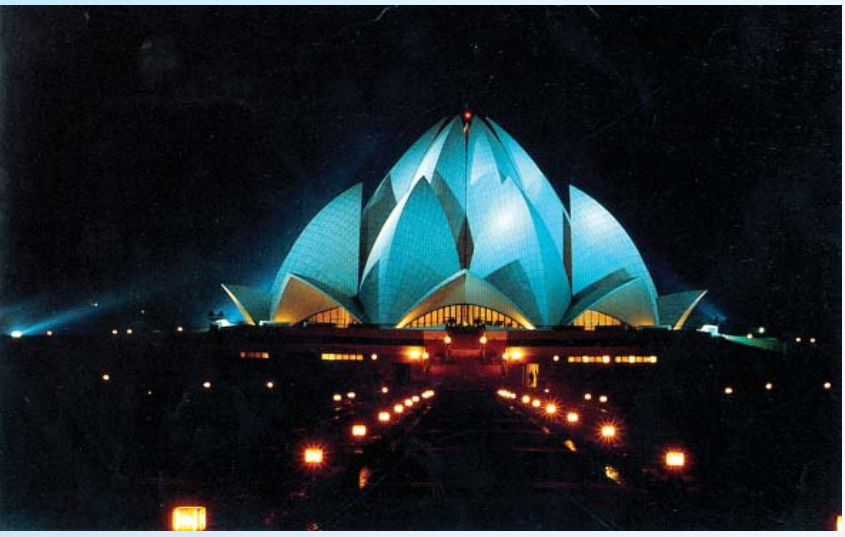

लोटस टैम्पल का दृश्य

दिल्ली का नाम सम्भवत: पहली शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान कुतुब मीनार के समीप राजा धीलू द्वारा बनाए गए नगर के कारण पड़ा और इसका नाम ही राजा धीलू के नाम पर पड़ा। तत्पश्चात् इतिहास में दिल्ली का वर्णन किलों के नगर के रूप में मिलता है। ये किले आज के कुतुब क्षेत्र में राजा अनंगपाल, कन्नौज के तोमर राजा द्वारा बनाए गए, जिन्होंने नगर को ''लाल कोट'' नाम दिया।

12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने अपनी आक्रामक सेना के साथ खैबर पास से आकर हमला किया और पृथ्वी राज चौहान को परास्त किया, जो उस समय लाल कोट क्षेत्र में शासन कर रहे थे और उनके दादा ने तोमरों को लड़ाई में हराया था। गौरी अपना नया साम्राज्य अल्लाउद्दीन खिलजी को सौंप कर वापिस खैबर पास के पार चला गया। खिलजी ने 1303 तक लाल कोट को अपनी राजधानी रखा, जब तक उसने आक्रामक राजपूतों को सीरी (एशियाई खेल गांव के आसपास) हरा नहीं दिया और लड़ाई के स्थल के आसपास दिल्ली का दूसरा नगर बसाया।

दिल्ली के तीसरे नगर, तुगलकाबाद का निर्माण 14वीं शताब्दी में गयासुद्दीन तुगलक ने मात्र चार वर्षों में करवाया। यह नगर उस स्थान पर बसाया गया जहाँ आज तुगलकाबाद किला और शूटिंग रेंज विद्यमान हैं। इस नगर को पानी की कमी के कारण छोड़ देना पड़ा। चौथे दिल्ली नगर का निर्माण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कुतुब मीनार के पीछे और निकट करवाया और इसे ''जहांपनाह'' नाम दिया गया।

फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के पांचवें नगर का निर्माण फिरोज शाह कोटला (आज के क्रिकेट स्टेडियम के समीप) के आसपास करवाया और इसे फिरोजाबाद नाम दिया। इस प्रकार तुगलकों ने 14वीं शताब्दी में दिल्ली में तीन नगर बसाए।

इसके दो शताब्दियों के बाद मुगल शासक, हुमायूं ने तत्कालीन इंद्रपस्थ नामक स्थान को चुना और वहां पर पुराना किला बनाया। इस प्रकार दिल्ली का छठा नगर बना। इस किले में शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया था, ने और निर्माण कार्य करवाए। हुमायूं शीघ्र ही अपनी नयी सेना लेकर मध्य एशिया से लौट आया और दिल्ली के सिंहासन पर दुबारा आसीन हुआ।

मुगल बादशाह, शाहजहां ने सन् 1638 से आरम्भ करके लगभग 12 वर्षों में शाहजहानाबाद (पुरानी दिल्ली) का निर्माण करवाया। यह रहने योग्य नगर है और इसमें कई ऐतिहासिक स्मारकों के साथ-साथ जामा मस्जिद और लाल किला हैं।

दिल्ली का आठवां नगर-जिसे अब नई दिल्ली के नाम से जाना जाता है, का निर्माण ब्रिटिश द्वारा करवाया गया और इसका उद्घाटन केवल 75 वर्ष पूर्व सन् 1931 में, ब्रिटिश इण्डिया की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित करने के बीस वर्ष बाद, किया गया। इस भव्य नगर का डिज़ाइन दो ब्रिटिश वास्तुकारों एडविन लुटियन और सर हरबर्ट बेकर द्वारा तैयार किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राज के वैभव को दर्शाने वाले नगर का डिज़ाइन बनाने का कार्य सौंपा गया था। सन् 1947 में ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही नई दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी है।

देश की स्वतंत्रता के साथ ही भारत को विभाजन की विभीषिका भी झेलनी पड़ी और दिल्ली में लाखों शरणार्थी भाग कर आ गए जिसके परिणामस्वरूप कुछ ही महीनों में नगर की जनसंख्या दुगनी होकर 1.8 मिलियन हो गयी। हालांकि नई कालोनियों का निर्माण भी किया गया, परन्तु फिर भी नगर की आधारिक-संरचना पर जबर्दस्त दबाव पड़ा। बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण दिल्ली में अनियंत्रित विकास भी हुआ।

सरकार ने राजधानी के विकास को नियंत्रित करने और उसकी योजना बनाने के लिए सन् 1950 में श्री जी.डी. बिरला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने ''दिल्ली के सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एकल योजना और नियंत्रण प्राधिकरण'' बनाने की अनुशंसा की। इसके परिणामस्वरूप, दिल्ली (भवन कार्य नियंत्रण) अध्यादेश, 1955 को लागू करते हुए दिल्ली विकास (अनंतिम) प्राधिकरण का गठन किया गया।

सन् 1957 में संसद ने दिल्ली विकास अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपना वर्तमान नाम और अधिकार मिला। अधिनियम के अंतर्गत इसे दिए गए व्यापक चार्टर के कार्यान्वयन में दि.वि.प्रा. विभिन्न प्रकार के और उद्देश्यपूर्ण नगर-निर्माण कार्य कर रहा हैं। इन कार्यों में भूमि के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण से लेकर आवासीय परिसरों, हरित पट्टियों, बाजारों और व्यावसायिक केन्द्रों का विकास और अन्य कार्य इसके कार्यकलापों में शामिल हैं।

निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने और एक ऐसे देश जो महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो और आर्थिक शक्तिगृह बनने जा रहा हो, के राजधानी नगर की आवश्यकताओं को दि.वि.प्रा. द्वारा पूरा किया जा रहा है। दिल्ली मुख्य योजना -2021 आने वाले 15 वर्षों में दिल्ली के चहुंमुखी विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करेगी।

48 वर्षों के अपने अथक और निरंतर कार्य के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न केवल दिल्ली के पुराने गौरव को बरकरार रखा बल्कि दिल्ली के चहुंमुखी विकास में विश्वास योग्य सुविधादाता की भूमिका भी निभायी। इस कार्य को करते हुए दि.वि.प्रा. ने दिल्ली की स्वाभाविक रूप से आत्मसात करने की प्रकृति और उन्नति के क्षितिज को इस तरह समेटा कि दिल्ली का विकास रहने योग्य और वहन करने योग्य बना रहा। दि.वि.प्रा. दिल्ली में सन् 2010 में राष्ट्रमण्डल खेलों की मेजबानी की तैयारियों में, योजना बनाने और खेल स्थल और खेल गांव दोनों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कुतुब मीनार का दृश्य

वर्ष की उपलब्धियां

2

2.1 वर्ष 2005-2006 के दौरान खेलकूद कार्यकलापों और हरित क्षेत्रों के विकास के लिए आधारिक संरचना विकास सहित भूमि के अधिग्रहण एवं विकास, आवासों के स्टॉक और आधारिक - संरचना में वृद्धि हुई है। राष्ट्रमण्डल खेलों से संबंधित कार्य सहित पहले से विकसित व्यावसायिक केन्द्रों, मुख्य हरित क्षेत्रों के विकास में तेजी आयी है और शहरी विकास के बहुविध पहलुओं पर जोर दिया गया है। सूचना क्योस्कों, वेबसाइट, सलाहकारों और टेलीकांउस्लिंग आदि के द्वारा सूचना का प्रभावी प्रसार किया गया, जिससे दि.वि.प्रा. आबंटितियों के सभी लेनदेनों में पारदर्शिता देखने को मिलती है। ग्राहकों को पूर्ण संतुष्टि की सेवाएं और ऐसी सेवाएं - जो उनको अधिकतम सुविधाजनक हो, प्रदान करके ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए गए हैं। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005, 12 अक्तूबर, 2005 से लागू किया गया।

द्वारका में एसएफएस फ्लैटों का दृश्य

2.2 आवास

i) **निर्माण-कार्य:** चल रही विभिन्न योजनाओं के पंजीकृत व्यक्तियों की बकाया संख्या को निपटाने के लिए निर्माण - कार्यकलापों में तेजी लायी गयी। इस वित्तीय वर्ष के आरंभ में 9966 आवासों का निर्माण-कार्य चल रहा था। इनमें से 2570 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और 1675 अन्य आवासों का निर्माण - कार्य चल रहा था।

ii) **आबंटन:** वर्ष 2005-2006 के दौरान चल रही विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत 11596 फ्लैट आबंटित किए गए। 2468 पंजीकृत व्यक्ति आबंटन के लिए प्रतीक्षारत थे।

2.3 भूमि अधिग्रहण/विकास

आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, सांस्थानिक आदि के लिए भूमि की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दि.वि.प्रा. ने रोहिणी, जसोला, द्वारका, नरेला आदि में बड़े पैमाने पर भूमि विकास कार्यक्रम आरम्भ किया।

वर्ष 2004-2005 में 1765.60 एकड़ भूमि के मुकाबले में वर्ष 2005-06 के दौरान 3426.96 एकड़ भूमि का वास्तविक कब्जा लिया गया।

2.4 भूमि का निपटान

i) **आवासीय प्लाट :** वर्ष 2005-06 के दौरान रोहिणी आवासीय योजना-1981 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 1174 प्लाट आबंटित किए गए। 25854 पंजीकृत व्यक्ति आबंटन के लिए प्रतीक्षारत हैं।

रोहिणी में जिला पार्क

ii) **व्यावसायिक प्लाट :** वर्ष 2005-06 के दौरान 56 व्यावसायिक प्लाटों का निपटान नीलामी द्वारा किया गया और इससे 1188 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, 532 वैकल्पिक प्लाटों का आबंटन किया गया।

2.5 हरित क्षेत्रों का विकास और रखरखाव

नगर में वायुप्रद स्थल के रूप में कार्य करने वाले हरित क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। दि.वि.प्रा. ने 4 क्षेत्रीय पार्कों, 111 जिला पार्कों, 25 नगर वन, 605 मुख्य योजना हरित क्षेत्र/क्षेत्रीय हरित क्षेत्र/हरित पट्टियों, 255 समीपवर्ती पार्कों, 1872 समूह आवासीय हरित क्षेत्रों, 13 खेल-परिसरों और एक मिनी खेल-परिसर के रूप में लगभग 4585 हैक्टेयर हरित क्षेत्रों का विकास किया। वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर चलाए गए वृक्षारोपण अभियान में लगभग 4.10 लाख पौधे लगाये गये। नये मैदानों (लॉन) के रूप में 121.09 एकड़ भूमि का विकास किया गया और 16 बाल-उद्यानों का भी विकास किया गया।

2.6 दिल्ली मुख्य योजना - 2021

जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए भूमि उपयोग योजना सहित दिल्ली मुख्य योजना -2021 का मसौदा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। इसे दि.वि.प्रा. की वेबसाइट में डाला गया है। प्रमुख समाचार पत्रों में 8 अप्रैल, 2005 को सार्वजनिक सूचना भी जारी की गयी थी। लगभग 7000 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान जांच और सुनवाई बोर्ड ने अपनी 14वीं बैठक में इन आपत्तियों/सुझावों की जांच की।

2.7 अवैध निर्माण गिराना

अवैध निर्माण गिराने की 344 कार्रवाई की गयीं, जिनमें 4495 अनधिकृत ढ़ांचों को हटाया गया और लगभग 158.90 एकड़ भूमि अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी।

2.8 कोटि नियंत्रण

इसकी विभिन्न चल रही परियोजनाओं में कोटि सुनिश्चित करने के लिए कोटि नियंत्रण विभाग ने 330 निरीक्षण किए, 480 यादृच्छिक नमूने एकत्रित किए और अपनी प्रयोगशाला में 6480 परीक्षण (टेस्ट) किए।

2.9 प्रशिक्षण

प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तन, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के लागू होने के कारण कर्मचारियों को अद्यतन जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया है। दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षण संस्थान ने 59 विभागीय कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 684 कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 180 कर्मचारियों को 60 बाह्य कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया।

2.10 ग्राहक-संतुष्टि के प्रयास

वर्ष के दौरान विभिन्न लेनदेनों और कार्यविधियों के संबंध में सूचना का अधिकतम प्रसार सुनिश्चित करने और उसे आबंटितियों को

श्री अजय माकन, शहरी विकास राज्य मंत्री दि.वि.प्रा. के वरिष्ठ अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए

सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराने के लिए गम्भीर प्रयास किए गए। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए गए:

श्री अजय माकन, शहरी विकास राज्य मंत्री विकास सदन स्थित नये विकसित स्वागत कक्ष का अवलोकन करते हुए

i) **टेलीफोन सलाह सेवा** आरम्भ की गयी, जिसमें आबंटितियों को विभिन्न लेनदेनों से संबंधित सारी सामान्य सूचना टेलीफोन पर ही दी जाती है।

ii) **सूचना क्योस्क :** दि.वि.प्रा. के विकास सदन और विकास मीनार स्थित कार्यालयों में टच स्क्रीन प्रौद्योगिकी के साथ सूचना क्योस्क लगाए गए। ये क्योस्क प्राथमिकता संख्या, योजनाओं, पद्धतियों, नीतियों आदि के संबंध में सारी सूचना प्रदान करते हैं और इन क्योस्कों से नाममात्र के शुल्क पर विभिन्न लेनदेनों के प्रारूप भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

iii) मुख्य योजना सहित सारी नयी परियोजनाओं/नीतियों संबंधी सूचना शामिल करके ग्राहकों को अधिकतम सूचना उपलब्ध कराने के लिए दि.वि.प्रा. ने विद्यमान वेबसाइट को अद्यतन बनाया है।

iv) सुविधा केन्द्र के कर्मचारियों के साथ-साथ सलाहकारों को प्रशिक्षण प्रदान करके और उनकी संख्या बढ़ा कर सलाहकार सेवा को और मजबूत बनाया गया।

v) स्वागत कक्ष एवं सुविधा केन्द्र के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है।

2.11 सूचना अधिकार अधिनियम - 2005

सूचना अधिकार अधिनियम - 2005, 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हुआ। दि.वि.प्रा. ने 49 जन सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) नियुक्त किए, जिन्होंने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया। सूचना अधिकार अधिनियम, पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों, आवेदन फार्म आदि के संबंध में सूचना दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 1988 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 1832 आवेदन-पत्रों को निपटाया गया और 156 आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है।

2.12 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

दि.वि.प्रा. ने 07-11-2005 से 11-11-2005 तक मनाये गये सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान दो लोक शिविरों - भूमि निपटान विभाग और आवास विभाग प्रत्येक के लिए एक-एक, का आयोजन किया। इन लोक शिविरों में 186 हस्तांतरण विलेख निष्पादित किए गए, 92 मामलों में हस्तांतरण विलेख दस्तावेज जारी किए गए और 208 परिवर्तन मामलों को अनुमोदित किया गया। दि.वि.प्रा. की समर्पित सेवा करने के लिए दि.वि.प्रा. के 10 कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया।

2.13 सड़क सम्पर्क-मार्ग का कार्य पूरा हुआ

दि.वि.प्रा. ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सड़क सम्पर्क-मार्गों का कार्य पूरा किया जिससे क्षेत्र में यातायात निर्बाध रूप से चलने लगा है।

i) आई.जी.आई. हवाई अड्डे की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ द्वारका उप-नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को जोड़ने वाली लिंक रोड।

ii) मथुरा रोड को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रोड से जोड़ने वाला बारापुला नाला के साथ-साथ लिंक रोड।

iii) छावनी क्षेत्र से होकर द्वारका उप-नगर को दक्षिण दिल्ली से जोड़ने वाला पहुंच मार्ग।

3 प्राधिकरण का प्रबंध-तंत्र

3.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। यह एक निगमित निकाय है जिसे सम्पत्ति का अर्जन, धारण और निपटान करने की शक्ति प्राप्त है। यह मुकदमा कर सकता है और इस पर मुकदमा किया जा सकता है। श्री बी.एल. जोशी, एक विख्यात प्रशासक हैं, जिन्होंने दिनांक 9 जून, 2004 को दिल्ली के उपराज्यपाल और अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. का पदभार संभाला तथा वे संगठन के विविध कार्यकलापों के संबंध में निरंतर निदेश देते रहते हैं।

अध्यक्ष

श्री बी.एल. जोशी	1.4.05	से	31.3.06

उपाध्यक्ष

श्री मधुकर गुप्ता	1.4.05	से	31.8.05
श्री दिनेश राय	1.9.05	से	31.3.06

पूर्ण कालिक सदस्य

श्री ए.के. पटनायक, *वित्त सदस्य*	1.4.05	से	31.3.06
श्री प्रभाष सिंह *अभियंता सदस्य*	1.4.05	से	30.9.05
श्री आर. सी. किंगर, *अभियंता सदस्य*	27.10.05	से	2.1.06
श्री ए.के. सरीन, *अभियंता सदस्य*	3.1.06	से	31.3.06

केन्द्र सरकार द्वारा नामित

श्री पी.के. प्रधान, *संयुक्त सचिव* शहरी विकास मंत्रालय	1.4.05	से	31.3.06
श्री पी. के. मिश्रा *सदस्य सचिव, रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड*	1.4.05	से	14.2.06
श्री एच.एस. आनन्द *सदस्य सचिव, रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड*	15.2.06	से	31.3.06
श्री राकेश मेहता *आयुक्त, दि.न.नि.*	1.4.05	से	14.11.05
श्री अशोक कुमार *आयुक्त, दि.न.नि.*	15.11.05	से	31.3.06
श्री के.टी. गुरमुखी *मुख्य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.*	1.4.05	से	31.3.06

गैर-सरकारी सदस्य

श्री महाबल मिश्रा, *विधायक*	1.4.05	से	31.3.06
श्री जिले सिंह चौहान, *विधायक*	1.4.05	से	31.3.06
श्री मांगे राम गर्ग, *विधायक*	1.4.05	से	31.3.06
श्री वीरेन्द्र कसाना, *पार्षद, दि.न.नि.*	1.4.05	से	31.3.06
श्री ईश्वर दास, *पार्षद, दि.न.नि.*	1.4.05	से	31.3.06

1.4.05 से 31.3.06 के दौरान प्राधिकरण की 5 बैठकें हुई और उनमें कुल मिलाकर 81 मदों पर विचार किया गया।

3.2 सलाहकार परिषद

यह दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-5 के अंतर्गत गठित समिति है, जो प्राधिकरण को मुख्य योजना तैयार करने और योजना एवं विकास से संबंधित ऐसे अन्य मामलों अथवा उनसे उठे मामलों अथवा इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा उसको भेजे गये मामलों में सलाह देती है। वर्ष के दौरान सलाहकार परिषद का गठन निम्नानुसार था।

श्री बी.एल. जोशी			
अध्यक्ष	1.4.05	से	31.3.06
लोक सभा सदस्य			
श्री सज्जन कुमार	1.4.05	से	31.3.06
श्री किशन सिंह सांगवान	1.4.05	से	31.3.06
राज्य सभा सदस्य			
श्री आर.के. आनन्द	1.4.05	से	31.3.06
उपाध्यक्ष			
मधुकर गुप्ता	1.4.05	से	31.8.05
श्री दिनेश राय	1.9.05	से	31.3.06
सदस्य			
श्री हीरेन टोकस, *पार्षद, दि.न.नि.*	1.4.05	से	31.3.06
श्री सुग्रीव सिंह, *पार्षद, दि.न.नि.*	1.4.05	से	31.3.06
श्री रोहित मनचंदा, *पार्षद, दि.न.नि.*	1.4.05	से	31.3.06
श्रीमती निर्मला वत्स, पार्षद, दि.न.नि.	1.4.05	से	31.3.06
श्री जे.पी.गोयल			
श्री चतर सिंह			
श्री सुनील देव			
अध्यक्ष, दि.प.नि.			
अध्यक्ष, सी.ई.ए			
महानिदेशक (रक्षा सम्पदा), रक्षा मंत्रालय			
महानिदेशक (आर.डी.) और अपर सचिव, परिवहन मंत्रालय			
मुख्य योजनाकार, टी.सी.पी.ओ.			
महाप्रबंधक (पी.एम.), महानगर टेलीफोन निगम लि.			
नगर स्वास्थ्य अधिकारी, दि.न.नि.			

श्री वज़ाहत हबीबुल्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना अधिकार विषय पर दि.वि.प्रा. अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए

3.3 सूचना अधिकार कार्यान्वयन और समन्वय शाखा

सरकार के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने और सरकारी कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने तथा भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से जाना जाने वाला अधिनियम 12 अक्तूबर, 2005 से लागू किया गया।

नये अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में अपेक्षित सूचना प्राप्त कराना है। इससे दि.वि.प्रा. के कार्यकलापों में न केवल पारदर्शिता आएगी, वरन् विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में शामिल प्रक्रियाओं के रहस्यों को समझने में भी मदद मिलेगी।

दि.वि.प्रा. ने अपने कार्यालयों में आर.टी.आई. के लिए पृथक काउण्टर खोले हैं, जहाँ फार्म/आवेदन-पत्र और शुल्क भी प्राप्त किया जाता है। दि.वि.प्रा. ने पांच सलाहकार भी नियुक्त किए हैं, जो आर.टी.आई. के संबंध में जनता के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आर.टी.आई. के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए एक फार्म तैयार किया गया है जो कि अनिवार्य नहीं है एवं नि:शुल्क है, परन्तु दि.वि.प्रा. डाक द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से सादे कागज पर भी आवेदन-पत्र स्वीकार करता है।

दि.वि.प्रा. ने विभिन्न विभागों से संबंधित 49 पी.आई.ओ. नियुक्त किए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पी.आई.ओ. जरूरी हैं, क्योंकि दि.वि.प्रा. के कार्यालय दूर-दूर फैले हुए है। सभी पी.आई.ओ. को ई-मेल आई. डी. उपलब्ध करायी गयी है, जिससे जनता उनसे आसानी से सम्पर्क कर सके। इन सभी अधिकारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलाया गया है। पी.आई.ओ. में जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

आर.टी.आई. के संबंध में पूरी जानकारी, पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों की सूची, आवेदन-पत्र और आर.टी.आई. के संबंध में अन्य विविध सूचना दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दि.वि.प्रा. को 31 मार्च, 2006 तक अधिनियम के अंतर्गत 1988 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 1832 आवेदन-पत्रों को निपटाया गया और 156 आवेदनपत्रों पर कार्यवाही की जा रही है तथा ये आवेदन-पत्र 30 दिनों से कम अवधि से लम्बित हैं।

3.4 स्टाफ क्वार्टर आवंटन शाखा

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस शाखा में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों से स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन के लिए 467 आवदेन-पत्र प्राप्त हुए।

वर्ष 2005-06 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों से स्टाफ क्वार्टरों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों का विवरण नीचे दिया गया हैं

क्र.सं.	टाइप	परिवर्तन	नये	कुल
1.	I	55	18	73
2.	II	77	88	165
3.	III	50	112	162
4.	IV	33	22	55
5.	V	03	09	12
	कुल	**218**	**249**	**467**

वर्ष 2005-06 के दौरान मार्च 2006 तक टाइप-I, II, III, IV और V में 410 स्टाफ क्वार्टर आबंटित किए गए। आबंटन का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	टाइप	परिवर्तन	नये	कुल
1.	I	17	35	52
2.	II	48	147	195
3.	III	27	93	120
4.	IV	32	03	35
5.	V	08	00	08
	कुल	**132**	**278**	**410**

शिकायतों के आधार पर 36 मामलों में निरीक्षण किये गये और गलत कब्जे के मामलों में कार्रवाई की जा रही है।

3.5 नजारत शाखा

नजारत शाखा का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन और कार्यालय प्रबंध का कार्य देखना है। इसलिए, यह शाखा कार्यालय के निर्विध्न कार्यकलापों के लिए अपेक्षित विभिन्न मदें अर्थात् स्टेशनरी मदें, कार्यालय फर्नीचर, वर्दी, कार्यालय उपकरण अर्थात् फोटोकापिंग मशीन, फैक्स मशीनों, सेल फोन, क्राकरी, केलकुलेटर, कम्प्यूटर आदि के लिए इंक कार्टरिज़ आदि उपलब्ध कराती है और उन्हें जारी करती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त यह शाखा कार्यालय में अपेक्षित अन्य मदें अर्थात् डैजर्ट कूलर, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर्स आदि उपलब्ध कराने का कार्य भी करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समय-समय पर काफी बैठकें आयोजित की गयी और संबंधित स्टाफ को सभी मदें समय पर उपलब्ध करायी गयीं। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, यह शाखा कार्यालय-स्थल के आबंटन का कार्य भी देखती है। विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को हर सम्भव सीमा तक कार्यालय स्थल देने के प्रयास किए गए।

3.6 हिन्दी विभाग

हिन्दी विभाग द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 121 निरीक्षण किए गए। प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठक आयोजित की गई। वर्ष के दौरान कर्मचारियों को हिंदी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए 8 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें 273 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सितम्बर, 2005 में आयोजित किए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी आशुलिपि, हिंदी टंकण, हिंदी नोटिंग-ड्राफ्टिंग तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विजेता 18 कर्मचारियों को कुल 16,800/-रु. के नकद पुरस्कार दिए गए। प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 20 विजेता बच्चों को कुल 3420/-रु. के नकद पुरस्कार व उपहार दिए गए।

'हिंदी प्रतिभा विकास पुरस्कार' योजना के अंतर्गत वर्ष 2003 और 2004 में उत्तीर्ण एम.ए. (हिंदी) अंतिम वर्ष व सी.बी.एस.ई. की 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले कुल 34 बच्चों को 207999/-रु. के नकद पुरस्कार व अन्य उपहार दिए गए। इसी योजना के अंतर्गत प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के 15 बच्चों को भी 82998/-रु. के नकद पुरस्कार व उपहार दिए गए।

इनके अतिरिक्त सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में प्राधिकरण की कार्य प्रणाली की वेबसाइट की सामग्री, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, 2001-02 और 2002-03 की लेखा परीक्षा रिपोर्टों, मसौदा दिल्ली मुख्य योजना - 2021, प्रेस विज्ञप्तियों, प्राधिकरण की बैठकों की

''हिंदी पखवाडे'' के दौरान चल रही वाद-विवाद प्रतियोगिता का दृश्य

कार्यवली मदों, विकासवार्ता के लेखों, आवास विभाग और खेल परिसरों के ब्रोचर, संसदीय समिति की रिपोर्ट, लोक लेखा समिति प्रश्नावली, सीएजी रिपोर्ट, शहरी विकास रिपोर्ट, नानावती जांच आयोग रिपोर्ट, अभियंता सदस्य कार्यालय से प्राप्त संशोधित बजट और व्यय अनुमोदन, संसद एवं दिल्ली विधानसभा के प्रश्नोत्तरों, फार्मों, संस्थापना आदेशों, अधिसूचनाओं आदि का अनुवाद किया गया।

3.7 जन सम्पर्क/जन शिकायत विभाग

दि.वि.प्रा. के जन शिकायत विभाग को भुगतान करके अथवा बिना भुगतान के प्रचार द्वारा संगठन की छवि बनाने से संबंधित कार्यकलापों को करने और संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का कार्य सौंपा गया है। इसके अन्य मुख्य कार्यकलापों में विज्ञापन नीति तैयार करने, विज्ञापन दरें निर्धारित करने, विज्ञापन अभिकरणों का पैनल बनाने, निदेश पुस्तिकाओं, स्मारिकाओं, निविदा दस्तावेजों आदि सहित त्रैमासिक विभागीय पत्रिका, खेलकूद न्यूज लैटर, प्रचार साहित्य का प्रकाशन शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग प्रेस सम्मेलनों/प्रेस भ्रमणों आदि की व्यवस्था करने के लिए भी जिम्मेदार है। विभिन्न समारोहों को कवर करने, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने, समाचार-पत्रों के माध्यम से की गयी और जन शिकायत विभाग, भारत सरकार और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती निगरानी करना, प्रतिनिधि मण्डलों की अगवानी करना और प्रति-प्रत्युत्तर जारी करना जैसे कुछ कार्य हैं, जो इस विभाग को सौंपे गये हैं।

3.7.1 2005-06 के दौरान किए गए कार्यकलाप

1. 39 प्रेस विज्ञप्तियां (अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में) जारी की गयीं, जिनमें अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों और विभिन्न गतिविधियों तथा आयोजित किए गए समारोहों का विवरण दिया गया। इन प्रेस विज्ञप्तियों को अवधि के दौरान प्रिंट के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य मीडिया में भी कवर किया गया।
2. दो प्रेस सम्मेलन आयोजित किए गए। पहला 29 दिसम्बर, 2005 को आयोजित वार्षिक प्रेस सम्मेलन जिसे उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने सम्बोधित किया। दूसरा 2006-07 के बजट की घोषणा के अवसर पर, जिसे उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने सम्बोधित किया। दोनों सम्मेलनों को प्रिंट के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य मीडिया में भली-भांति कवर किया गया। फरवरी, 2006 में दि.वि.प्रा. के विभिन्न हरित क्षेत्रों में एक दो दिवसीय मीडिया ट्रिप का भी आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया-कर्मियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
3. अभियानों सहित विभिन्न समाचार-पत्रों में 83 विज्ञापन (अंग्रेजी + हिंदी) प्रकाशित किए गए।
4. विभिन्न समाचार-पत्रों में छपी 98 प्रेस कतरनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गयी ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके और सम्पादकों को 57 पत्र (खण्डन) जारी किए गए।
5. जन शिकायत विभाग, मंत्रि-मण्डल सचिवालय, भारत सरकार के माध्यम से 169 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 97 शिकायतों का निवारण किया गया।
6. शहरी विकास मंत्रालय से 59 शिकायतें प्राप्त हुई और 23 शिकायतों को निपटाया गया।
7. जनता से 189 शिकायतें सीधी प्राप्त हुई, जिन्हें सम्बन्धित विभाग को निपटान के लिए भेजा गया। इनमें से 30 शिकायतों को सम्बन्धित विभाग द्वारा निपटाया गया।
8. स्वागत कक्ष पर कम्प्यूटरीकृत प्राप्ति और प्रेषण काउन्टरों के द्वारा 134113 पत्र प्राप्त हुए और 58771 पत्र प्रेषित किए गए।
9. पुस्तकालय के लिए 1404 नई पुस्तकें खरीदी गयीं, दैनिक समाचार-पत्रों में से दि.वि.प्रा. से सम्बन्धित 8180 प्रेस कतरनें काटी गयी।
10. **दिल्ली विकास वार्ता के अंक:** 64 पृष्ठ की विभागीय पत्रिका का सम्पादन किया गया और मुद्रण के आदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. की वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट का सम्पादन किया गया।
11. 16-16 पृष्ठों (प्रत्येक के) वाले ''स्पोर्ट्स न्यूज लैटर'' के दो अंकों का सम्पादन किया गया और प्रकाशित किए गए तथा खेल विभाग, दि.वि.प्रा. द्वारा वितरित किए गए।
12. 12 पृष्ठों वाले जैव-वैविध्य न्यूजलेटर का एक अंक प्रकाशित किया गया और भूदृश्यांकन विभाग, दि.वि.प्रा. द्वारा वितरित किया गया।
13. फोटो सेक्शन द्वारा 115 समारोहों को कवर किया गया। 2995 फोटोग्राफ लिए गए और 3370 फोटोग्राफ डेवलप किए गए और प्रकाशन एवं रिकार्ड के लिए जारी किए गए।
14. टेली-काउन्सिलिंग के माध्यम से 11372 काल सुनी गयी।
15. कैलेण्डर 2006 मुद्रित करवाया गया।
16. ''दि.वि.प्रा. द्वारा हरित क्षेत्र'' पर विवरणिका का मुद्रण कार्य चल रहा है।

4 कार्मिक विभाग

4.1 कार्मिक विभाग अपने कर्मचारियों पर समुचित ध्यान देकर यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले, ताकि दि.वि.प्रा. द्वारा दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इसका उद्देश्य अपने कर्मचारियों में नेतृत्व के गुण, जिम्मेदारी एवं अनुशासन की भावना पैदा करना है।

शिकायत निवारण प्रणाली इस बात पर ध्यान देती है कि कर्मचारियों की बात को समुचित स्तर पर सुना जाए और कर्मचारियों और प्रबंध के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए जा सकें।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने और कर्मचारियों की आकांक्षाओं को समझकर उनके कल्याण हेतु उपाय करके संस्था की आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न प्रयास निम्नलिखित हैं:

4.2 की गयी पदोन्नतियां

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
	69	142	92	14	317

4.3 की गयी भर्ती

समूह घ में छह नियुक्तियां अनुकम्पा आधार पर की गयीं।

4.4 चयन वेतनमान दिया गया

2 अधिकारियों को चयन ग्रेड का लाभ दिया गया है।

4.5 ए.सी.पी. योजना

भारत सरकार में लागू की गई योजना के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण में समूह ख, ग और घ कर्मचारियों के लिए ए.सी.पी. योजना शुरू की गई। 744 पदधारियों की यह लाभ दिया गया।

4.6 दक्षतारोध पार करना

विभिन्न श्रेणियों के कुल 6 कर्मचारियों को दक्षतारोध पार करने की अनुमति दी गई।

4.7 अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समूह 'घ' में कुल 6 नियुक्तियां अनुकम्पा आधार पर की गयीं और मृत कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को चार दुकानें आबंटित की गयीं।

दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों को उनके बच्चों के कैरियर की सम्भावनाओं के संबंध में विशेषज्ञ परामर्श देते हुए

4.8 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट

वर्ष 2005-06 के दौरान कुल 8774 वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के फार्म जारी किए गए।

4.9 पैंशन मामले स्वीकृत करना

दिल्ली विकास प्राधिकरण में सेवा-निवृत्ति के दिन पेंशन संबंधी देय राशियों का भुगतान करने की प्रणाली आरम्भ की गई। इन देय राशियों का भुगतान प्रत्येक माह एक समारोह के किया जाता है। पैंशन/मृत्यु मामलों में सहायता देने के लिए नौ कल्याण निरीक्षकों/कार्मिक निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है। कल्याण अनुभाग में कल्याण निरीक्षक तैनात करने से काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। पैंशन मामलों को यथासम्भव शीघ्रता से निपटाया जाता है। अवधि के दौरान 294 पदधारी सेवा निवृत्त हुए और सभी व्यक्तियों की सेवा-निवृत्ति की देय राशि का भुगतान कर दिया गया है।

आयुक्त कार्मिक, दि.वि.प्रा. सेवा-निवृत्त एक कर्मचारी को स्मृत्ति-चिह्न देते हुए

4.10 अनुशासनात्मक मामले

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के 31 अनुशासनात्मक मामले निपटाए गए।

4.11 कैडर समीक्षा

योजना विंग, वास्तुकला विंग, उद्यान, प्रणाली और सचिवालयिक विभागों की कैडर समीक्षा की जा रही है और लेखा विंग तथा विधि कैडर की कैडर समीक्षा की गयी।

4.12 31.3.2006 को कर्मचारियों की स्थिति

समूह	सामान्य	अनु. जाति	अ.ज. जाति	अ. पिछड़े वर्ग	कुल
क	372	60	6	2	440
ख	1178	257	19	5	1459
ग	4612	680	50	52	5394
घ	1810	1059	4	39	2912
कुल	7972	**2056**	79	**98**	**10205**
			वर्कचार्ज		10401
			महायोग		20606

5 सतर्कता विभाग

5.1 सतर्कता विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार भ्रष्टाचार निवारक उपायों के कार्यान्वयन तथा सेवा में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। दि.वि.प्रा. में सतर्कता विभाग शिकायतों को प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने, गहराई से छानबीन करने तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श में चार्ज-शीट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग अनुशासनिक प्राधिकारियों के अवलोकन के लिए जांच रिपोर्टों का विश्लेषण भी करता है। आदेश, अपील, समीक्षा याचिकाएं तैयार करने, उनकी समीक्षा और नियमन का कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जाता है।

5.2 143 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। दिल्ली विकास प्राधिकरण आचरण, अनुशासन एवं अपील विनियम 1999 के अंतर्गत 85 कर्मचारियों के विरुद्ध भारी दण्ड और 58 कर्मचारियों के विरुद्ध हल्का दण्ड लगाने की कार्यवाही की गई।

5.3 138 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया।

5.4 इस अवधि के दौरान 1000 सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई। 695 मामलों की जांच की गयी।

5.5 प्रारंभिक जांच के 57 मामले दर्ज किए गए और 39 मामलों में प्रारंम्भिक जांच पूरी की गई।

5.6 अपीलों, समीक्षाओं और निलम्बन नियमन मामलों पर कार्रवाई जारी रखी गयी। 36 मामलों में अपील आदेश पारित किए गए और निलम्बन नियमन के 34 मामलों पर कार्यवाही की गयी। सात मामलों में अभियोजन अभिकरण के साथ प्रत्येक मामले को सुनने के बाद 18 कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन संस्वीकृति प्रदान की गयी।

5.7 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7.1.04 के अनुदेशों के अनुसार समीक्षा समिति ने समूह क, ख, ग, और घ श्रेणियों के 111 निलम्बन मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के परिणामस्वरूप 06 कर्मचारियों को बहाल किया गया और शेष कर्मचारियों की निलम्बन अवधि को बढ़ाया गया।

5.8 नरेला और बक्करवाला में टर्नकी परियोजनाओं की अंतिम जांच पूरी की गयी। अनुशासनात्मक प्राधिकारियों का निर्णय प्रतीक्षित है।

5.9 निगरानी मामलों की जांच की गई और 172 कर्मचारियों को चार्जशीट दी गयी।

5.10 दि.वि.प्रा. में प्राप्त आरोपों के सत्यापन के लिए सतर्कता कर्मचारियों द्वारा नियमित आधार पर निरीक्षण किए जाते हैं। वर्ष के दौरान 19 निरीक्षण किए गए, जिसके परिणामस्वरूप एक सतर्कता मामला बनाया गया।

श्री दिनेश राय, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए

5.11 अवधि के दौरान सी.बी.आई और भ्रष्टाचार-निवारण शाखा, दिल्ली पुलिस ने आई.पी.सी./क्रिमिनल पी.सी. के अंतर्गत 11 कर्मचारियों के विरुद्ध 08 मामले भी दर्ज किए। सी.बी.आई/ए.सी.बी. के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए रखा गया। दलालों के दबाव को समाप्त करने के लिए दि.वि.प्रा. के अनुरोध पर ए.सी.बी. द्वारा निरीक्षण भी किए गए।

5.12 अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, नोटिस, निविदा-आमंत्रण, फ्लैटों/प्लाटों के आबंटन से संबंधित सभी अपेक्षित सूचनाएं दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर दी गई है।

5.13 श्री विलायती राम मित्तल द्वारा जाली निष्पादन गारण्टी बाँड जमा कराने के संबंध में सतर्कता विभाग में प्राप्त शिकायत की जांच के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कार्यवाही की गयी:-

(क) एक अधिशासी अभियंता (अब अधीक्षण अभियंता) और तीन खण्डीय लेखाकारों को निलम्बित किया गया।

(ख) ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भ्रष्टाचार निवारक शाखा को मामला सौंपा गया।

(ग) मैसर्स विलायती राम मित्तल के कार्यों को देखने वाले खण्डों (डिवीजनों) की विशेष लेखा-परीक्षा करने के आदेश पारित किए गए।

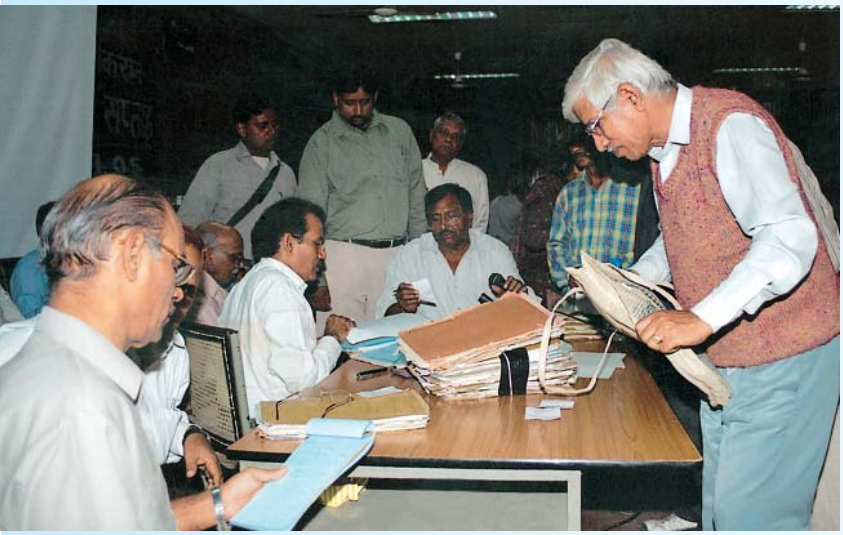

आयोजित किए गए लोक शिविर का दृश्य

(घ) ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड को मैसर्स विलायती राम मित्तल की मान्यता रद्द करने का परामर्श दिया गया।

(ङ) मुख्य अभियंताओं को निदेश दिए गए कि वे संबंधित शाखाओं से सभी बैंक गारण्टियों की जांच करें।

अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए और जांच की जा रही है।

5.14 यह प्रस्ताव किया गया कि 2 लाख रु. और उससे कम लागत वाली एन.आई.टी. की प्रतियां निदेशक-प्रणाली को भेजी जाएं ताकि उन्हें दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डाला जा सके और उसकी प्रति सभी कांट्रेक्टर्स एसोसिएशनों को भेजी जाएं।

5.15 07.11.2005 से 11.11.2005 तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गयीं:-

(क) 07.11.2005 को प्रात: 10.00 बजे दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा शपथ।

(ख) लोक शिविर-भूमि निपटान के दिनांक 09.11.2005 को प्रात: 10.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक आयोजित लोक शिविर में लगभग 500 लोगों ने भाग लिया और

(i) 82 हस्तांतरण विलेख निष्पादित किए गए।

(ii) 50 हस्तांतरण विलेख कागजात जारी किए गए और

(iii) 150 विवरणिकाएं बेची गयीं।

(ग) लोक शिविर-आवास विभाग : दिनांक 11.11.2005 को प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक।

(i) 104 मामलों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित किए गए।

(ii) 42 मामलों में हस्तांतरण विलेख कागजात जारी किए गए और

(iii) 208 मामलों में परिवर्तन अनुमोदित किया गया।

(घ) दि.वि.प्रा. की समर्पित सेवा करने के लिए दि.वि.प्रा. के 10 कर्मचारियों को ट्राफी/ प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

6 विधि विभाग

6.1 प्राधिकरण द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किए गए सभी मुकदमेबाजी के कार्यों की देखभाल विधि विभाग करता है और इसके प्रमुख मुख्य विधि सलाहकार हैं। विधिक मामलों की निगरानी (मानीटरिंग) के अतिरिक्त यह विभाग इसे भेजे गये विधिक मामलों पर कानूनी सलाह भी देता है।

01.4.2005 से 31.3.2006 के दौरान विभिन्न न्यायालयों में चले रहे, निर्णीत और लम्बित मामलों का विवरण तालिका रूप में नीचे दिया गया है।

6.2 उच्चतम न्यायालय में मामले

क्र. सं.	विभाग का नाम	1.4.2005 को लम्बित मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त नये मामले	2005-2006 के दौरान निर्णीत मामले	31.3.2006 को लम्बित मामले
1.	योजना	14	6	1	19
2.	कार्य-प्रभार संस्थापना	1	-	-	1
3.	कार्मिक और सतर्कता	4	2	-	6
4.	भवन अनुभाग	-	1	-	1
5.	भूमि निपटान	53	20	10	63
6.	प्रवर्तन भूमि	2	-	1	1
7.	आवास	49	8	5	52
8.	भूमि प्रबंध	328	77	142	263

6.3 उच्च न्यायालय में मामले

क्र. सं.	विभाग का नाम	1.4.2005 को लम्बित मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त नये मामले	2005-2006 के दौरान निर्णीत मामले	31.3.2006 को लम्बित मामले
1.	योजना	35	36	29	42
2.	कार्य-प्रभार संस्थापना	134	19	18	135
3.	कार्मिक और सतर्कता	184	47	51	180
4.	भवन अनुभाग	36	12	9	39
5.	भूमि निपटान	2342	312	276	2378
6.	प्रवर्तन भूमि	35	34	13	56
7.	आवास	849	216	177	888
8.	भूमि प्रबंध	2334	1043	364	3013

6.4 जिला न्यायालय में मामले

क्र. सं.	विभाग का नाम	1.4.2005 को लम्बित मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त नये मामले	2005-2006 के दौरान निर्णीत मामले	31.3.2006 को लम्बित मामले
1.	योजना	887	2	2	887
2.	कार्य-प्रभार संस्थापना	119	5	21	103
3.	कार्मिक और सतर्कता	11	6	5	12
4.	भवन अनुभाग	15	27	8	34
5.	भूमि निपटान	955	115	106	964
6.	प्रवर्तन भूमि	51	27	29	49
7.	आवास	849	216	177	888
8.	भूमि प्रबंध	2334	1043	364	3013

6.5 इंजीनियरिंग शाखा और पटियाला हाउस में न्यायालय मामले

क्र. सं.	विभाग का नाम	1.4.2005 को लम्बित मामले	वर्ष के दौरान प्राप्त नये मामले	2005-2006 के दौरान निर्णीत मामले	31.3.2006 को लम्बित मामले
1.	इंजीनियरिंग शाखा	926	145	204	867
2.	पटियाला हाउस	1621	315	296	1640
	2005-06 तक आर.टी.आई. i) मार्च 2006 तक प्राप्त कुल शिकायतें ii) निपटायी गयी कुल शिकायतें iii) लम्बित	 13 13 NIL			

6.6 मुख्य महत्वपूर्ण मामलों में केस हिस्ट्री और निर्णय निम्नानुसार हैं:-

6.6.1 सी.डब्ल्यू.पी. सं. 751-52/05 मैसर्स लॉर्ड वेंकटेश्वर बिल्डकॉन (प्रा.) लिमिटेड, बनाम दि.वि.प्रा. (निर्णय की तिथि 16.05.2005)

इस मामले में, प्लाट सं. बी-5, वजीरपुर के संबंध में 10.78 करोड़ रु. के आरक्षित मूल्य के विरुद्ध याचिकादाता की 10.84 करोड़ रु. की उच्चतम बोली को सक्षम प्राधिकरण, दि.वि.प्रा. ने नीलामी के निबंधन और शर्तों के अनुसार अस्वीकार कर दिया। याचिकादाता ने बोली को रद्द करने को इस आधार पर चुनौती दी कि याचिकादाता ने उच्चतम बोली दी थी, अत: सक्षम प्राधिकरण, दि.वि.प्रा. को याचिकादाता की बोली रद्द नहीं करनी चाहिए थी। यह मामला अनिल कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2004) 08 एस सी सी 671 नाम के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर अमान्य सिद्व किया गया, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि यदि कोई बोलीदाता उच्चतम बोली देता है तो भी उसकी बोली रद्द की जा सकती है और वह बोली-राशि पुष्टि के अधीन होती है। निविदा आमंत्रित करना कोई प्रस्ताव नहीं है, बल्कि यह पता लगाने का प्रयास है कि कोई प्रस्ताव (बोली) अतिरिक्त राशि (मार्जिन) पर प्राप्त किया जा सकता है। दि.वि.प्रा. द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किए जाने के बाद दिनांक 16 मई, 2005 के आदेश के द्वारा रिट खारिज़ कर दी गयी।

6.6.2 एल पी ए सं. 393/2003 - माउंट आबू एजुकेशन सोसायटी (रजि.) बनाम दि.वि.प्रा. और अन्य तथा इसी कानूनी मुद्दे पर 9 अन्य आवेदक (निर्णय की तिथि 07.09.2005)

अपील (लो)के इस समूह में अपीलकर्ताओं ने, दिल्ली उच्च न्यायालय के सिंगल जज द्वारा दिनांक 6 मई, 2003 को पारित आदेश के द्वारा उनकी रिट याचिकाओं को खारिज करने के निर्णय को चुनौती दी है। इन रिट याचिकाओं में अपीलकर्ताओं को लगभग 2 एकड़ भूमि आबंटित करने के दि.वि.प्रा. के निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि यह निर्णय मुख्य योजना के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि उनका

दावा 4 एकड़ का था और दूसरे भूमि दरें सरकारी नियमों के विरुद्ध हैं। इन अपीलों को अमान्य कराने के लिए हमारे वरिष्ठ स्थायी वकील श्री जगमोहन सब्बरवाल, वकील ने जोरदार तरीके से मामले को लड़ा, क्योंकि दि.वि.प्रा. की काफी धनराशि और भूमि इसमें शामिल थी। न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध किया गया कि सांस्थानिक आबंटन समिति की अनुशंसाएं केवल अनुशंसा के लिए हैं और उपराज्यपाल ने 27 अगस्त 1999 को अपीलकर्ताओं को 2 एकड़ भूमि का आबंटन करने का निर्णय लिया था और उपराज्यपाल के निर्णय को कभी भी चुनौती नहीं दी गयी। अत: अपीलकर्ताओं की अपील में कोई मामला नहीं बनता। आगे यह भी तर्क दिया गया कि भूमि के मूल्य में परिवर्तन मामूली परिवर्तन है और संयोगवश है तथा उसका भूमि उपयोग के नीति-निर्णय से कोई संबंध नहीं है। यह प्रसंग साहनी सिल्क मिल (प्रा.) लि. बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम [(1994) 5 एस एस सी 346] के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में आया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में न्यायालयों को अत्यधिक शक्तियां नहीं दी जा सकती। एक सार्वजनिक प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किसी एजेण्ट को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। अत: अत्यधिक शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में अपीलकर्ताओं का तर्क उचित नहीं है। दरें सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के आधार पर ठीक निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने दिनांक 03.06.09 के पत्र द्वारा दि.वि.प्रा. को सांस्थानिक दरें वसूल करने और नीलामी अथवा प्रतियोगी निविदाएं आमंत्रित करके आबंटन की प्रक्रिया पर उपयुक्त निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया गया कि मुख्य योजना, दि.वि.प्रा. को अपीलकर्ताओं को केवल 4 एकड़ भूमि का आबंटन करने के लिए बाध्य नहीं करती। न्यायालय ने दि.वि.प्रा. के तर्क की सराहना की और 07.09.05 के निर्णय के द्वारा सभी अपीलों को खारिज़ कर दिया।

6.6.3 एल पी ए 976/04 – दि.वि.प्रा. बनाम एम्बिशियस गोल्ड निब्स् (प्रा.) लिमिटेड (निर्णय की तिथि 6 फरवरी, 2006)

इस अपील में दि.वि.प्रा. ने कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है अर्थात् पट्टा समाप्त होने के बाद भूतपूर्व पट्टे का उल्लंघन करने पर पट्टाधारी के विरूद्ध दि.वि.प्रा. को क्या कानूनी राहत है। दिल्ली उच्च न्यायालय के सिंगल जज ने यह निर्णय दिया कि एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए दि.वि.प्रा. के लिए उपयुक्त विकल्प यह है कि वह सम्पत्ति का कब्जा लेने के लिए मुकदमा दायर करे और दि.वि.प्रा., सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत कार्यवाही का सहारा नहीं ले सकता। सिंगल जज के निर्णय से दि.वि.प्रा. के सम्पदा अधिकारियों के पास लम्बित मामलों को अमान्य करने की सम्भावना पैदा हो गई है, जिनमें पट्टे का उल्लंघन करने पर पट्टा (टे) समाप्त कर दिए गए हैं। तद्नुसार, एक अपील दायर करने का निर्णय लिया गया और अपील का मुख्य तर्क यह था कि एक्सप्रेस न्यूजपेपर (सुपरा) का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने बाद में मैसर्स अशोक मार्केटिंग (प्रा.) लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक, ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 855 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में दिए गए निर्णय में भेद कर दिया। अशोक मार्केटिंग के मामले में निर्णय दिया कि एक्सप्रेस न्यूजपेपर मामले के अनुपात को प्रत्येक मामले में लागू नहीं किया जा सकता और उक्त निर्णय, उक्त मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रख कर दिया गया था।

मैसर्स सुधीर चन्द मिश्रा बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में एक जज के निर्णय पर भी विश्वास प्रकट किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय ने इस विधिक स्थिति की सराहना की थी। अपील न्यायालय ने दि.वि.प्रा. के तर्क को स्वीकार किया और अपील को अनुमति प्रदान कर दी तथा दि.वि.प्रा. के सम्पदा अधिकारी को निदेश दिया कि कोई आदेश पारित किये जाने से पहले प्रतिवादी को सुनवाई का एक मौका दिया जाना चाहिए।

संजय झील परिसर

6.6.4 सिविल अपील नं. 5413/02 रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्रीन पार्क बनाम दि.वि.प्रा. एवं अन्य और सिविल अपील न. 869/02 दिल्ली नगर निगम बनाम रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्रीन पार्क एवं अन्य

दिनांक 31.05.02 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की फुल बैंच के निर्णय के विरूद्ध ये दो अपील की गई थीं, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय अपने समक्ष रिट याचिका को निपटाते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि न तो डी.एम.सी अधिनियम और न ही डी.डी. अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को दुरूपयोग के कारण किसी सम्पत्ति को सील करने का अधिकार है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि परिसरों को सील करना एक बहुत सख्त कार्रवाई है और इसकी वजह से कोई व्यक्ति बेघर हो सकता है। अत: मानवीय अथवा मौलिक अधिकारों को लागू करते हुए दुरूपयोग के संबंध में सील करने की शक्ति इन दो अधिनियमों के प्रावधान में से जानबूझकर हटा दी गई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में कानून संबंधी निम्नलिखित दो प्रश्न उठाये गए थे अर्थात् –

(i) क्या दिल्ली नगर निगम को डी.एम.सी अधिनियम के अंतर्गत दुरूपयोग के मामले में परिसरों को सील करने की शक्ति है ?

(ii) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली विकास अधिनियम के अंतर्गत सील करने की ऐसी ही कोई शक्ति है अथवा नहीं ?

भलस्वा झील परिसर

(iii) व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जा रही आवासीय सम्पत्तियों के संबंध में निदेश जारी किये जाने की आवश्यकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दि.वि.प्रा. ने तर्क प्रस्तुत किया था कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दि.वि.प्रा. को दुरूपयोग के मामले में परिसरों को सील करने की शक्ति नहीं है। तथापि, दि.वि.प्रा. को यह शक्ति प्राप्त है कि वह परिसरों का दुरूपयोग करने वाले व्यक्ति और उसके स्वामी पर दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 29 के साथ पठित धारा 14 के अंतर्गत अभियोग चला सकता है। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 16.02.06 को एक साधारण आदेश द्वारा अपीलों को निपटाते समय माननीय न्यायालय ने दि.वि.प्रा. के तर्क को सही ठहराया और निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय ने यह सही निर्णय दिया है कि दिल्ली विकास अधिनियम के अंतर्गत दुरूपयोग के मामले में सील करने की कोई शक्ति नहीं है।

तथापि, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय का इस बारे में दिया गया निर्णय कि परिसरों के दुरूपयोग के मामले में दिल्ली नगर निगम के पास सील करने की कोई शक्ति नहीं है, सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने डी.एम.सी अधिनियम के अनुसार दिल्ली नगर निगम को सील करने की शक्ति के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को बदल दिया और निर्णय दिया कि डी.एम.सी अधिनियम की धारा 345-ए के अंतर्गत आयुक्त, दि.न.नि. किसी परिसर के दुरूपयोग के मामले में उसे सील करने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्वोक्त अपील को निपटाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दि.वि.प्रा के बारे में कोई निदेश पारित नहीं किया, जबकि निम्नलिखित निदेश दिल्ली नगर निगम के लिए जारी किये गये।

1. दिल्ली नगर निगम, 10 दिन के अन्दर मेन रोड पर किये गये प्रमुख उल्लंघनों (ऐसे उल्लंघनकर्ताओं और रोड के कुछ उदाहरण इसमें पहले नोट किये जा चुके हैं) को निदेश देते हुए प्रमुख समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार करेगा कि वे इस दुरूपयोग को 30 दिन की अवधि के अंदर रोक दें।

2. यह स्वामी/अधिभोगी की जिम्मेदारी होगी कि वह 30 दिन के अंदर आयुक्त, दि.न. नि. को यह बताते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि दुरूपयोग रोक दिया गया है।

3. यदि दुरूपयोग नहीं रोका जाता है, तो सार्वजनिक सूचना की तिथि से 30 दिन के बाद 80 फुट या अधिक चौड़े रोड पर

उल्लंघनों से शुरू करते हुए परिसरों को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सभी प्राधिकरणों को निदेश दिया जाता है कि वे अपनी पूरी सहायता और सहयोग देंगे। सार्वजनिक सूचना की तिथि से 30 दिन की समाप्ति के बाद बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी।

4. रोड और उल्लंघनों का विवरण भी दिल्ली नगर निगम द्वारा वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी प्रतियाँ क्षेत्र की रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को भी भेज दी जाएंगी, जिन्हें दुरूपयोग को सील करने की कार्रवाई में शामिल होना चाहिए। आयुक्त, दि.न.नि. को इस निर्णय में निहित निदेशों के संबंध में दो सप्ताह के अंदर एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद मॉनीटरिंग समिति के गठन के निदेश जारी किये जाएंगे। सील लगाने का कार्य आयुक्त, दि.न.नि. द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मॉनीटरिंग समिति के परामर्श से किया जाएगा।

5. दुरूपयोग के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई, यदि कोई हो और उनके द्वारा तथा उल्लंघनकर्ताओं द्वारा मुआवजे के भुगतान के लिए उचित निर्देश दुरूपयोग के रूकने के बाद जारी किये जाएँगे।

6. कोई भी व्यक्ति सील के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। सील के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ के विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा। सील के साथ छेड़छाड़ करने में परिसरों के उपयोग के लिए दूसरी तरफ से अन्दर जाने का रास्ता खोलना शामिल है।

7. स्वामी/अधिभोगी सील हटाने के लिए यह वचनबंध देते हुए आयुक्त से सम्पर्क कर सकेंगे कि परिसरों का उपयोग केवल प्राधिकृत उपयोग के लिए किया जाएगा।

8. जिन मामलों में उल्लंघनकर्ताओं द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किये जा सकते हैं, उनका विवरण दिल्ली नगर निगम द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

9. दिल्ली नगर निगम द्वारा 10 अप्रैल, 2006 से आरम्भ प्रत्येक माह की 15 तारीख तक की गई कार्रवाई के बारे में मासिक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

10. सिविल अपील और विशेष अनुमति यचिकाओं में शामिल परिसरों में यदि दुरूपयोग नहीं रोका जाता है, तो इस निर्णय में जो कुछ गया है उसकी शर्त पर दिल्ली नगर निगम 30 दिन की समाप्ति के तुरन्त बाद उन परिसरों को सील करने का तत्काल कदम उठाएगा।

6.6.5 दि.वि.प्रा. बनाम श्रीमती रेणु जैन डब्ल्यू.ए. 118/04 एवं दि.वि.प्रा. बनाम मनजीत सिंह सोढ़ी एल.पी.ए. 159/04 एवं दर्शन लाल बनाम दि.वि.प्रा. एल.पी.ए. 58/04

यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय न्यायधीश श्री एम.के. शर्मा, न्यायधीश तीर्थ सिंह ठाकुर एवं न्यायधीश स्वतंत्र कुमार शामिल थे। ये वे मामले हैं, जिनमें दि.वि.प्रा. ने पांचवा एवं अंतिम मांग-पत्र जारी करने के समय दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित निपटान कीमत पर 20 प्रतिशत अधिक अधिभार की वसूली की थी। अधिभार की इस वसूली से दु:खी आबंटितियों ने 120 न्यायालय मामले दायर किये तथा न्यायाधीश श्री एस.के. कौल ने 20 प्रतिशत अधिभार का मामला दि.वि.प्रा. के पक्ष में सही ठहराया। असंतुष्ट आबंटितियों ने सिंगल जज के आदेश के विरुद्ध एल.पी.ए. को वरीयता दी थी और दिल्ली के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली डिवीजन बैंच ने आबंटितियों द्वारा वरीयता दी गई इन सभी एल.पी.ए को खारिज कर दिया। इसके बाद वर्तमान लागत और 20 प्रतिशत अधिभार वसूल करने के मुद्दे पर कुछ आबंटितियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के समक्ष दोबारा एल.पी.ए. दायर की। दि.वि.प्रा. ने भी इन सभी इकट्ठे मामलों में क्रॉस अपील दायर की। दि.वि.प्रा. ने इन मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी की सेवाएं लीं और इनमें सुश्री ए सलवान स्टेंडिंग काउन्सल ने सहायता की। दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण पीठ के समक्ष दैनंदिन आधार पर तर्क जारी रहे और माननीय पूर्ण पीठ ने अधिकार की वसूली की विभिन्न नीतियों, संकल्पों और संकल्पना पर विस्तार से विचार किया। पूर्ण पीठ इन आबंटितियों से प्राप्त किये गये 20 प्रतिशत अधि भार के विस्तृत विवरण से पूरी तरह से अवगत थी और उसे पंजाब के विस्थापित, कश्मीर के विस्थापित आबंटितियों, कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और समाज के निचले वर्ग के अन्य आबंटितियों, जो लागत में रियायती दर पाने के पात्र हैं, की लागत में अनुमत आर्थिक सहायता के विवरण की जानकारी भी थी। चूंकि आर्थिक सहायता 20 प्रतिशत अधिभार और अन्य कारणों से वसूल की गई राशि से पर्याप्त रूप से अधिक है, इसलिए पूर्ण पीठ ने भी अंतिम रूप से 20 प्रतिशत अधिभार को सिंगल जज द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार मान्य ठहराया। इस निर्णय के द्वारा सैंकड़ों करोड़ रूपयों की बचत हुई और यह विधि, प्रबंध और लेखा विभाग के कर्मचारियों की तरफ से एक प्रशंसनीय उपलब्धि है।

प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग

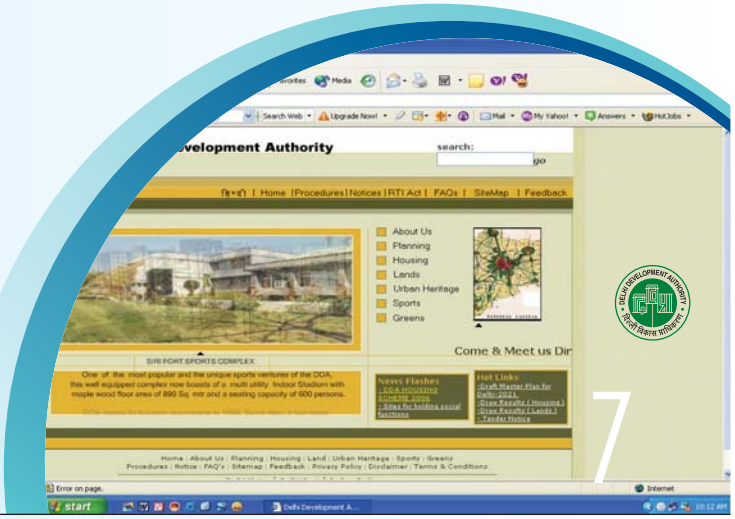

7.1 प्रणाली विभाग

दि.वि.प्रा. के लिए स्वचलन संबंधी पहल के क्रम में प्रणाली विंग ने निम्नलिखित स्वचलन परियोजनाओं के विकास और सुधारों के क्षेत्र में भी कार्य किया है :-

7.1.1 दि.वि.प्रा. वेबसाइट

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in दि.वि.प्रा. के विभिन्न पहलुओं जैसे आवास, भूमि, मुख्य योजना, खेलकूद, पर्यावरण आदि पर जानकारी उपलब्ध कराती है। जनहित की जानकारी जैसे आवास और भूमि निपटान के ड्रा के परिणाम इस वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं। आम जनता की सुविधा के लिए डाटा बेस से पंजीकरण विवरण, प्राथमिकता की स्थिति और भुगतान का विवरण देखने के लिए फार्म के माध्यम से चौबीस घंटे पूछताछ करने की व्यवस्था कर दी गई है। यह पूछताछ वेबसाइट पर चौबीस घण्टे की जा सकती है। सार्वजनिक सूचनाएं और निविदा सूचनाएं दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर समुचित रूप से प्रदर्शित की जाती हैं। इस वेबसाइट में एक कार्य-पद्धति अनुभाग भी है, जिसमें आवास/भूमि संबंधी विभिन्न कार्यकलापों की कार्यपद्धति दी गई है और विभिन्न दस्तावेजों जैसे शपथ पत्र आदि के प्रारूप भी इससे डाउनलोड किये जा सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों और सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 41 जन सूचना अधिकारियों से ई-मेल के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है और इन सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत मेल बॉक्स भी उपलब्ध कराये गये हैं। आवास योजनाओं से संबंधित विवरण पुस्तिका और आवेदन फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं ताकि जनता उन्हें डाउनलोड कर सके।

7.1.2 भूमि रिकॉर्ड स्वचलन

भूमि प्रबंध सूचना प्रणाली ने भूमि रिकॉर्ड के स्वचलन हेतु सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह प्रणाली जी.आई.एस. आधारित अनुप्रयोग है, जो अधिग्रहीत की गई भूमि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। यह बढ़े हुए मुआवजे की मॉनीटरिंग करने के साथ-साथ किसी विशेष समय में अधिग्रहीत भूमि के इस्तेमाल और स्थिति को मॉनीटर करने में सहायता करेगा। 239 अधिग्रहीत/अधिग्रहणाधीन गांवों में से 233 गांवों के संबंध में भूमि सूची को भूमि रिकॉर्ड के साथ समन्वित कर लिया गया है। इस परियोजना को शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाएगा।

7.1.3 आवास

"आवास" हाउसिंग मैनेजमेंट और एकाउंटिंग पैकेज सुचारू रूप से कार्य कर रहा है तथा इस पैकेज के द्वारा विभिन्न कार्यकलाप जैसे पंजीकरण, आबंटन, रद्दकरण, नामान्तरण/ अंतरण, पते में परिवर्तन, भुगतान की विधि में परिवर्तन और प्राप्तियों के लेखाकरण का कार्य किया जा रहा है।

चालू वर्ष (1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक) के दौरान "आवास" के माध्यम से 11898 फ्लैट आबंटित किये गए और 2320 आबंटितियों के लिए माँग-पत्र तैयार किये गये। मामलों के शीघ्र निपटान में सहायता करने के लिए सभी लेखा जोन में आवास की प्राप्तियों का ऑनलाइन सत्यापन चल रहा है। मांग एवं वसूली बही, गैर - वसूली प्रमाण-पत्र, विविध देनदार और चूककर्ता सूची के संबंध में कार्रवाई करने के कार्यक्रम की व्यवस्था भी ऑनलाइन कर दी गई है।

विकास सदन के स्वागत कक्ष में फ्लैटों के फ्री होल्ड के आवेदन-पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसे मई, 2006 में क्रियान्वित किया जाएगा।

7.1.4 सूचना केन्द्र

जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विकास सदन में छह सूचना केन्द्र और रोहिणी कार्यालय में दो सूचना केन्द्र काम कर रहे हैं। जून, 2006 में पूरी दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर छह और सूचना

केन्द्र लगाये जाएंगे। अब किसी फ्लैट या प्लॉट का कोई भी पंजीकृत व्यक्ति या आबंटिती अपने पंजीकरण विवरण, आबंटन विवरण और भुगतान विवरण की जांच कर सकता है।

7.1.5 दस्तावेज प्रबंध प्रणाली

दस्तावेज प्रबंध प्रणाली स्कैनिंग, इंडैक्सिंग और दोबारा देखने की सुविधा सहित तस्वीरों को स्टोर करने के लिए विकसित की गई है। 31 मार्च, 2006 तक वर्ष 2005 के दौरान लगभग 26800 फाइलें और 9 लाख से अधिक चालान स्कैन किये गये।

7.1.6 प्राप्ति एवं प्रेषण (आर.एण्ड.डी) सॉफ्टवेयर

प्राप्ति एवं प्रेषण प्रणाली में सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार सूचना प्राप्त करने के लिए जनता के अनुरोध फीड करने के लिए एक नई पद्धति शामिल की गई है। अन्य प्राप्ति एवं प्रेषण के अतिरिक्त लगभग 1658 अनुरोध लोड किये गये।

7.1.7 जन शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली (पी.जी. आर.ए.एम.एस)

जन शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग प्रणाली (पी.जी.आर.ए.एम.एस) डी पी जी और मंत्रालय से ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों को प्राप्त करने और निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करने के लिए क्रियान्वित की गई। इस वर्ष डीपीजी से 133 संदर्भ प्राप्त हुए।

7.1.8 पुस्तकालय स्वचलन

पुस्तकों के रिकॉर्ड को रखने, पुस्तकें जारी करने और उनकी वापसी के बेहतर प्रबंध एवं कार्य संचालन के लिए दि.वि.प्रा. के पुस्तकालय के लिए 'बार कोडिंग' का कार्य शुरू किया गया।

7.1.9 भूमि निपटान विभाग

भूमि निपटान विभाग में भूमि सॉफ्टवेयर पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है। भूमि सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए डाटाबेस में 1,06,000 आबंटितियों के रिकॉर्ड और 2,16,000 प्राप्ति डाटा अपलोड किये गये। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से रोहिणी आवासीय योजना और अन्य सम्पत्तियों के लॉटरी द्वारा ड्रॉ किये गये। भूमि सॉफ्टवेयर में लॉटरी द्वारा ड्रॉ के बाद विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था है। विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्ट भी तैयार की जाती हैं।

आबंटितियों से प्राप्त प्राप्तियों की सही पोस्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए आबंटितियों को कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये गये चालान दिये जाते हैं।

विभाग में फ्री होल्ड परिवर्तन पद्धत्ति विकसित और क्रियान्वित की गई है। यदि डाटाबेस में डाटा उपलब्ध न हो, तो फ्री होल्ड परिवर्तन आवेदन-पत्र से आबंटिती के रिकॉर्ड को लिया जाता है। परिवर्तन प्रभार परिकलित किये जाते हैं और परिकलन आदि वाली रिपोर्ट तैयार की जाती है। परिवर्तन प्रभारों को जमा करने का चालान तैयार किया जाता है। बैंक में भुगतान जमा कराने के बाद आवेदन-पत्र दि.वि.प्रा. के काउन्टर पर प्राप्त किये जाते हैं। आवेदक द्वारा आवदेन-पत्र प्रस्तुत करने वाले दिन ही आवेदन पत्र संबंधित अनुभाग में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा, संबंधित अनुभाग में जमा राशि का सत्यापन ऑन लाइन किया जाता है। इससे समय की बहुत बचत होती है। विभिन्न शाखाओं में आवेदन पत्र की स्थिति की भावी निगरानी की व्यवस्था भी है।

7.1.10 कम्प्यूटर प्रोत्साहन प्रशिक्षण

दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों के लाभ के लिए नियमित कम्प्यूटर प्रोत्साहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

7.1.11 विधि मामलों की प्रबंध प्रणाली

यह सॉफ्टवेयर जी यू आई प्रणाली में क्रियान्वित किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए विधि मामलों के डाटाबेस का रखरखाव किया जाता है और विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। फी बिल प्रोसेसिंग मॉड्यूल भी विकसित और क्रियान्वित किया जा चुका है। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए 17260 मामलों में से 6304 मामले निपटाये गये।

7.1.12 एकीकृत प्रबंध प्रणाली

दि.वि.प्रा. के पूर्ण स्वचलन और विभिन्न अव्यवस्थित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एकीकृत करने के लिए फरवरी, 2005 में एकीकृत प्रबंध प्रणाली का कार्य शुरू किया गया और एस.टी.पी.आई. जो एम.आई.टी. के अधीन एक आई.टी. सोसायटी है, को इस कार्य के लिए एक तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रणाली आवश्यकता

हिंदी कार्यशाला का आयोजन

विनिर्दिष्टियाँ (एस.आर.एस) और प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) तैयार की गई तथा सॉफ्टवेयर विक्रेता से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया गया, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

7.1.13 विकास मीनार में कम्प्यूटर समर्थित ड्राफ्टिंग एण्ड डिजाइनिंग कक्ष

कैड कक्ष ड्राइंगों की डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग और प्रिंटिंग के लिए वास्तुकारों और योजनाकारों को सुविधा उपलब्ध कराता है। इंजीनियरिंग विंग और केन्द्रीय डिजाइन संगठन के उपयोगकर्ता तथा अन्य इंजीनियरिंग कार्यालय भी कैड कक्ष की सुविधा का लाभ उठाते हैं। वे इन सुविधाओं का प्रयोग ड्राइंग, संशोधन, संरचनात्मक विश्लेषण और ड्राइंगों की प्रिंटिंग के लिए करते हैं।

7.1.14 वेतन-पत्र प्रणाली

विभिन्न वेतन नियंत्रण कार्यालयों में मेन्यू ड्राइवन पे-रोल सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आय और कटौती की विभिन्न अन्य रिपोर्टों के अतिरिक्त पे-बिल, रजिस्टर और पे-बिल के प्रिंट तैयार करने के लिए किया जाता है।

7.1.15 वर्क चार्ज कर्मचारियों के विवरण का कम्प्यूटरीकरण

निदेशक (वर्क चार्ज) कार्यालय द्वारा वर्क चार्ज कर्मचारियों का डाटा प्रयोग किया जाता है। इक्यावन श्रेणियों के 12,135 वर्क चार्ज कर्मचारियों का डाटा तैयार और अद्यतन किया गया। रिपोर्टें तैयार करने की व्यवस्था भी है।

7.1.16 नेटवर्किंग

विकास मीनार और विकास सदन कार्यालय में इंटरनेट की व्यवस्था करने के लिए वी.एस.एन.एल से 2 एम.बी.पी.एस. शेयर्ड इंटरनेट लीज्ड लाइन ली गई है। रोहिणी कार्यालय को 128 के.बी.पी.एस लीज्ड लाइन से जोड़ा गया और विकास सदन में लगे डाटाबेस सर्वरों से सीधे सूचना का प्रचार करने के लिए सूचना केन्द्र लगाये गये हैं।

उपर्युक्त स्वचलन परियोजनाओं के अतिरिक्त प्रणाली विंग दि.वि.प्रा. के कम्प्यूटर बैंक को सुदृढ़ भी बना रहा है। साठ नये कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं, ताकि स्वचलन की गति को बढ़ाया जा सके। इस समय प्रणाली विंग प्रिंटर और यू.पी.एस. सहित 500 से अधिक कम्प्यूटरों का रखरखाव कर रहा है। कम्प्यूटरों की कार्य-क्षमता और कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए उन्हें समय-समय पर अपग्रेड किया जाता है।

7.2 प्रशिक्षण संस्थान

7.2.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रशिक्षण संस्थान दि.वि.प्रा. के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है और विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यावसायिक ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता की पहचान भी करता है। यह विभाग दिल्ली और देश के अन्य भागों में अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित भी करता है।

7.2.2 वर्ष 2005-2006 के दौरान प्रशिक्षण संस्थान ने बड़ी संख्या में दि.वि.प्रा के सभी स्तरों के कर्मचारियों के लाभ के लिए उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया। कर्मचारियों को अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए नामित किया गया।

आयोजित किये गये कार्यक्रमों और भाग लेने वालों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	वर्ष	कार्यक्रमों की सं.	भाग लेने वालों की सं.
1.	प्रशिक्षण संस्थान, दि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2004-05	61	2,513
		2005-06	59	684
2.	बाहरी एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2004-05	60	193
		2005-06	77	180

7.2.3 विभागीय कार्यक्रमों में नि.श्रे.लि., उ.श्रे.लि, सहायक, आशुलिपिकों और लेखा कार्मिकों आदि के कार्यक्रम शामिल हैं। सहायक/वरिष्ठ आशुलिपिक/आशुलिपिक/उ.श्रे.लि श्रेणियों के लिए नए प्रशिक्षण मॉड्यूल्स और अगले ग्रेड में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया।

7.2.4 प्रशिक्षण संस्थान ने कार्मिक विभाग को सहायक पद के लिए विभागीय परीक्षा में बैठने वाले उ.श्रे.लि और उ.श्रे.लि. पद के लिए विभागीय परीक्षा में बैठने वाले नि.श्रे.लि के लिए प्रशिक्षण/कोचिंग कार्यक्रमों में सहायता देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशिक्षण संस्थान ने सहायक निदेशक (लिपिक-वर्गीय) के लिए विभागीय परीक्षा का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया है।

7.2.5 लेखा और अन्य क्षेत्रों में कम्प्यूटर साक्षरता लाने, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में सुधार के लिए भी नियमित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इससे दि.वि.प्रा. को विभाग में कम्प्यूटरीकरण करने के लिए मदद मिली है।

8 इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य-कलाप

8.1 इंजीनियरिंग विंग के कार्यकलापों को मौटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(क) आवासीय भवनों का निर्माण।

(ख) व्यावसायिक केन्द्रों का विकास और निर्माण।

(ग) आवासीय, सांस्थानिक, औद्योगिक, मनोरंजनात्मक और व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु भूमि का विकास।

(घ) विशेष परियोजनाएं/खेलकूद परिसर।

(ङ) हरित क्षेत्रों जैसे-मुख्य योजना हरित क्षेत्र, जिला पार्कों, समीपवर्ती पार्कों, मनोरंजनात्मक केन्द्रों, खेल के मैदानों और बच्चों के पार्कों इत्यादि का विकास एवं रखरखाव।

वर्ष 2005-2006 के दौरान दि.वि.प्रा. के इंजीनियरिंग विंग की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।

8.2 आवासीय भवनों का निर्माण

दिल्ली विकास प्राधिकरण बड़ी संख्या में पंजीकृत/अपंजीकृत व्यक्तियों के लिए विभिन्न श्रेणियों जैसे एस.एफ.एस./एचआईजी/एम.आई.जी/एल.आई.जी./जनता/ई.डब्ल्यू.एस. इत्यादि के मकानों का निर्माण करता है। दि.वि.प्रा. द्वारा 1.4.2005 को प्रगतिधीन मकानों, वर्ष 2005-2006 के दौरान शुरू किए गए नये मकानों और 2005-2006 के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा पूरे किए गए मकानों का संक्षिप्त विवरण (पिछले दो वर्षों के विवरण सहित) नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	विवरण	एच.आई.जी.	एम.आई.जी.	एल.आई.जी	ई.डब्ल्यू.एस./ जनता	कुल 2005-06	2004-2005	2003-2004
1.	1.4.2005 को प्रगतिधीन मकान	2361	1482	6123	शून्य	**9,966**	23016 (1.4.04 को)	20,704 (1.4.03 को)
2.	2005-2006 के दौरान शुरू किए जाने वाले नये मकानों का लक्ष्य	3459	1357	5860	शून्य	**10,676**	7943	14511
3.	2005-06 के दौरान शुरू किए गए नये मकान	शून्य	शून्य	1670	शून्य	**1,670**	3356	3988
4.	2005-06 के दौरान शुरू किए जाने वाले मकानों का लक्ष्य	2005	1132	5558	शून्य	**8,695**	12662	5919
5.	2005-06 के दौरान पूरे किए गए नये मकान	856	886	828	शून्य	**2,570**	9896	1676

8.3 व्यावसायिक केन्द्रों का विकास

8.3.1 दिनांक 1.4.2005 को प्रगतिधीन विभिन्न शॉपिंग/व्यावसायिक परिसरों और वर्ष 2005-06 के दौरान शुरू और पूरे किये गये नये परिसरों की स्थिति (पिछले दो वर्षों के विवरण सहित) अगले पृष्ठ पर दी गई है :-

क्र. सं.	विवरण	जिला केन्द्र	समाज सदन	स्थानीय बाजार	सुविधा बाजार	कुल	2004-2005	2003-2004
1.	1.4.2005 को प्रगतिधीन व्यावसायिक केन्द्र	5	6	2	8	21	18 1.4.04 को	19 1.4.03 को
2.	2005-06 के दौरान शुरू किए जाने वाले लक्षित नए व्यावसायिक परिसर	2	13	5	2	22	11	38
3.	2005-06 के दौरान शुरू किए गए नए व्यावसायिक परिसर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	10	9
4.	2005-06 के दौरान पूरे किए जाने के लिए लक्षित व्यावसायिक परिसर	5	6	2	8	21	11	28
5.	2005-06 के दौरान पूरे किए गए व्यावसायिक केन्द्र	1	शून्य	शून्य	6+1*	8	7	10

टिप्पणी :- डी.सी - जिला केन्द्र, सी.सी-समाज सदन, एल.एस.सी-स्थानीय बाजार, सी.एस.सी-सुविधा बाजार। *सुविधा बाजार उत्तरी जोन में बंद/समाप्त कर दिया।

8.3.2 व्यावसायिक केन्द्रों का सुधार

दि.वि.प्रा द्वारा निर्मित व्यावसायिक केन्द्रों में दक्ष/समुचित परिचालन एवं अच्छा पर्यावरण सृजित करने के लिए पुराने व्यावसायिक केन्द्रों को, दि.न.नि. से वापस लेने के बाद सुधारने का निर्णय लिया गया है।

फेज 1 में 93 व्यावसायिक परिसरों (1 जिला केन्द्र, 15 समाज सदन, 54 स्थानीय बाजार और 23 सुविधा बाजार) के पुनर्विकास हेतु कार्य शुरू किया गया और 91 व्यावसायिक परिसर पूरे किए गए।

8.4 मुख्य भूमि विकास योजनाएं

दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्य योजना - 2001 के अनुसार नगर सीमाओं का विस्तार करके, नये उप-नगरों का विकास करके और शहरी विस्तारों के लिए भौतिक आधारिक संरचना जैसे सड़क, सीवरेज, नाले, जलापूर्ति, पावर लाइन और मनोरंजनात्मक सुविधाएँ आदि की व्यवस्था करके लगातार विकास कार्यकलाप कर रहा है। ये शहरी विस्तार द्वारका फेज-I एवं II, नरेला, धीरपुर, रोहिणी फेज IV एवं V (सैक्टर 26 से 33 तक), वसन्त कुंज फेज-II, लोकनायक पुरम (बक्कर वाला) हैं।

8.4.1 उक्त विस्तृत मुख्य विकास योजनाओं की प्रगति नीचे तालिका के रूप में दी गई है :

क. योजना में दी जाने वाली कुल सेवा।

ख. 31.3.2005 तक दी गई सेवाएं।

ग. 31.3.2006 तक दी गई सेवाएं।

योजनाओं के नाम	योजना का क्षेत्रफल हैक्टे. में		सड़कें कि.मी. में	सीवरेज कि.मी. में	जलापूर्ति कि.मी. में	बरसाती नाले कि.मी. में
द्वारका फेज-II	2098/1194	क	73.948	57.762	59.82	111.80
		ख	44.00	26.10	27.32	49.36
		ग	54.00	31.30	36.32	52.30
नरेला	7282/450	क	90.90	33.00	33.00	79.00
		ख	74.26	32.00	28.00	60.00
		ग	74.26	32.00	28.00	60.00
धीरपुर	194.50	क	7.70	6.00	6.00	10.00
		ख	5.80	-	-	-
		ग	5.80	3.00	-	-
रोहिणी फेज-III	1000/700	क	168.00	26.60	55.00	83.00
		ख	165.60	26.60	55.00	83.00
		ग	165.60	-	-	-

क्रमशः

योजनाओं के नाम	योजना का क्षेत्रफल हैक्टे. में		सड़कें कि.मी. में	सीवरेज कि.मी. में	जलापूर्ति कि.मी. में	बरसाती नाले कि.मी. में
रोहिणी फेज-IV और V	4000/788 + 100 हैक्टे. हाल ही में अधिग्रहीत	क ख ग	28.60 18.50 20.165	20.358 3.80 6.50	26.50 11.50 11.50	38.30 - -
वसंत कुंज फेज-II	315/92	क ख ग	5.75 5.75 -	3.90 3.90 -	7.76 7.76 -	4.30 3.50 4.30
लोक नायक पुरम	60	क ख ग	4.55 1.75 2.75	2.235 2.035 2.235	3.00 - -	6.200 5.000 6.200

8.5 विशेष मुख्य परियोजनाएं/खेल परिसर

दि.वि.प्रा ने विकास के एक भाग के रूप में कई विशेष परियोजनाएं शुरू की हैं और नगर स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। दि.वि. प्रा. ने वर्ष 2005-06 के दौरान निम्नलिखित विशेष/मुख्य परियोजनाएं पूरी/शुरू की हैं।

8.5.1 वर्ष 2005-06 के दौरान पूरी की गई विशेष परियोजनाएं

i) जमरूदपुर फेज-II में समाज सदन का सुधार एवं नवीकरण।
ii) आई.जी.आई. एयरपोर्ट की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-8 को द्वारका उपनगर से जोड़ने वाला लिंक रोड।
iii) बारापुला नाले के साथ-साथ मथुरा रोड को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन रोड से जोड़ने वाला लिंक रोड।
iv) सुल्तानगढ़ी मकबरा संरक्षण परिसर, वसन्त कुंज फेज-I का विकास।
v) कोंडली घरौली फेज-I में 703 जे.जे. प्लाटों का विकास।
vi) कागज व्यापारियों के लिए आई.एफ.सी, गाजीपुर में प्लाटों का विकास।
vii) निगम बोध घाट फेज-I का उन्नयन/सुधार।
viii) छावनी क्षेत्र से होकर जाने वाला दक्षिणी दिल्ली को द्वारका उपनगर से जोड़ने वाला पहुँच मार्ग।
ix) जसोला फेज-I स्थित जिला केन्द्र।
x) पंखा रोड स्थित दिल्ली-रिवाड़ी लाइन लेवल क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज।
xi) सरिता विहार फ्लाई ओवर स्थित क्लोवर लीफ।
xii) दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में केन्द्रीय पुस्तकालय और आर्ट फैकल्टी के बीच में पहुँच-मार्ग का विकास।

8.5.2 विशेष मुख्य परियोजनाएं जो चल रही हैं

i) नरेला में एकीकृत भाड़ा परिसर।
ii) यमुना नदी फ्रंट विकास (यमुना पुश्ता पार्क)।
iii) गाज़ीपुर पाकेट सी में एकीकृत भाड़ा परिसर।
iv) अजमेरी गेट पर एंग्लो-अरैबिक स्कूल।
v) जसोला फेज-II में जिला केन्द्र (केवल सड़कों का कार्य।
vi) जिला केन्द्र, भीकाजी कामा प्लेस फेज-II का सुधार एवं नवीकरण।
vii) लाजपत नगर स्थित लाला लाजपत राय मेमोरियल पार्क का विकास।
viii) सर्वोदय एनक्लेव एवं बेगमपुर के बीच मुख्य योजना हरित क्षेत्र का विकास।
ix) लॉट-1 के अंतर्गत 94 व्यावसायिक परिसरों का उन्नयन।
x) तुगलकाबाद मनोरंजनात्मक परिसर का विकास।
xi) जिला केन्द्र, नेहरू प्लेस के समीप आस्था कुंज का विकास।
xii) जिला केन्द्र, नेहरू प्लेस का सुधार।
xiii) झड़ोदा माजरा एवं वज़ीराबाद में यमुना जैव-वैविध्य पार्क का विकास।
xiv) वसन्त विहार के उत्तर में अरावली जैव वैविध्य पार्क का विकास।
xv) सुल्तानगढ़ी मकबरा संरक्षण परिसर, वसन्त कुंज फेज-II का विकास।
xvi) मिलेनियम पार्क निकट अ.रा. बस अड्डा, सराय काले खाँ फेज-II।
xvii) शास्त्री पार्क स्थित प्लॉट सं. 17 पर सम्मेलन केन्द्र।
xviii) सी.बी.डी शाहदरा स्थित 46 हैक्टेयर भूमि का विकास।
xix) निगम बोध घाट फेज-II का उन्नयन/सुधार।
xx) पालम नाले को ढकना।

8.5.3 वर्ष 2005-06 के दौरान पूरे किये गये खेलकूद कार्यकलाप

i) साकेत खेल परिसर में बास्केट बॉल कोर्ट का उन्नयन।
ii) साकेत खेल परिसर में विद्यमान खुले बैडमिंटन कोर्टो का स्केटिंग रिंक में परिवर्तन।
iii) सीरी फोर्ट में सम्मेलन हॉल का उन्नयन।

iv) सीरी फोर्ट में स्नैक बार के पास मुख्य कार्यालय, स्क्वाश कोर्ट के चैंज रूम/ शौचालयों का नवीकरण।

v) सीरी फोर्ट स्क्वाश कोर्ट की दोबारा फ्लोरिंग करना।

vi) सीरी फोर्ट में टेनिस एरिना के रूम का नवीकरण।

vii) द्वारका खेल परिसर में टॉडलर स्वीमिंग पूल।

viii) राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर में स्वीमिंग पूल।

ix) राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर में कवर्ड बैडमिंटन हॉल।

x) भलस्वा गोल्फ कोर्स (7,8 होल्स)

8.5.4 खेलकूद कार्यकलाप जो चल रहे हैं :

i) मेजर ध्यानचंद खेल परिसर में दो लॉन टेनिस कोर्टों को दोबारा समतल करना।

ii) मेजर ध्यानचंद खेल परिसर में दो लॉन टेनिस कोर्टों में सिन्थैटिक टर्फ बिछाना।

iii) भलस्वा गोल्फ कोर्स (नौंवा हॉल)।

iv) साकेत खेल परिसर में कवर्ड बैडमिंटन हॉल।

v) सरिता विहार में खेल मैदान का विकास कार्य।

8.6 उद्यान कार्यों का विकास/रखरखाव

दि.वि.प्रा ने हरित क्षेत्रों को विकसित करने पर जोर दिया है, जो शहर के वायुप्रद क्षेत्र हैं। दि.वि.प्रा. देश में श्रेष्ठ पार्कों/हरित क्षेत्रों की बेहतर प्रणाली का विकास करने का दावा कर सकता है। दि.वि.प्रा ने लगभग 16000 एकड़ हरित क्षेत्र का विकास किया है, जिसमें नगर वन, हरित पट्टियां, जिला पार्क, जोनल पार्क, समीपवर्ती पार्क और रिहायशी कालोनियों में स्थित लघु भू-खंड शामिल हैं।

माननीया मुख्यमंत्री दिल्ली, श्रीमती शीला दीक्षित प्रगति मैदान में भागीदारी प्रदर्शनी में दि.वि.प्रा. के स्टाल का अवलोकन करती हुई, साथ में हैं श्री संदीप दीक्षित सांसद एवं श्री दिनेश राय उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.।

वर्ष	वृक्षारोपण (लाखों में)		नए लॉनों का विकास (एकड़ में)		बाल उद्यानों का विकास (सं. में)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2005-06	3.80	4.10	232.88	121.09	38	16
2004-05	4.50	4.47	314.95	180.85	35	26
2003-04	4.60	4.69	298.10	188.59	48	40

8.6.1 वसन्त विहार के उत्तर में अरावली जैव-वैविध्य पार्क-अवस्थिति एवं स्थल दशाएँ

अरावली जैव-वैविध्य पार्क इस समय वसन्त विहार और वसन्त कुंज के बीच में लगभग 690 एकड़ (277 हैक्टे.) क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां पर काफी बड़ा पथरीला भू-भाग है जो कि स्थल के केन्द्र से स्थल के दक्षिण की ओर फैला है। मुरादाबाद पहाड़ी और कुसुमपुर पहाड़ी के क्षेत्र को शामिल करके इसका कुल क्षेत्र, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार एक अधिसूचित संरक्षित वन क्षेत्र है। यह स्थल लहरदार और ऊंचा-नीचा है, जहां पर कीकर के वृक्ष तथा रिज की झाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र के अंदर एक पुरानी मस्जिद है जो मुरादाबाद पहाड़ी किले के नाम से प्रसिद्ध है।

विकास कार्य भारत के उच्चतम न्यायालय की तरफ से सी.ई.सी. (केन्द्रीय रूप से शक्ति प्राप्त समिति)के हस्तक्षेप के कारण रोक दिया गया था।

विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति :

1) एम.एस.रेलिंग सहित बाउन्डरी वॉल का निर्माण — पूरा हो गया

2) ट्यूबवैल (5) — पूरा हो गया

3) तीन गड्ढ़ों की सीलिंग — पूरी हो गई

4) ट्यूबवैलों का जी.आई.पाइप नेट वर्क — पूरा हो गया

5) पॉली हाउस (2) — पूरा हो गया

6) एक नेट हाउस — पूरा हो गया

7) नर्सरी (2) — पूरी हो गई

8) सिंधिया पौटरी विरासत भवन - पुनः चालू किया गया

9) कैम्प सुविधाएं अंदर प्रदान की गई।

10) बिजली की व्यवस्था की गई।

11) नर्सरी में विभिन्न किस्म के 1985 पौधे लगाए गए (पॉली हाउस और ओपन हाउस)

12) 75 जातियों के 19247 पौधे दिल्ली, उत्तरांचल, उ.प्र. और राजस्थान से एकत्र किए गए।

13) सामुदायिक वृक्षारोपण हेतु 6 हैक्टे. भूमि पर खरपतवार उन्मूलन किया गया।

14) नर्सरी क्षेत्र के चारों तरफ विभिन्न जातियों के 94 पौधे लगाए गए।

15) घाटी में 382 पौधे लगाए गए।

16) जल संग्रहण हेतु गड्ढ़े खोदे गए। (मसूदपुर डेरी सहित वसन्त कुंज के बरसाती नाले की प्रणाली को बरसाती जल संग्रहण हेतु इन गड्ढ़ों से जोड़ा गया है।) पूरा हो गया

8.6.2 मनोरंजन पार्क

स्वर्ण जयन्ती पार्क के ठीक निकट 25 हैक्टे. भूमि के एक टुकड़े को नियोजित किया गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित करने के लिए मैसर्स यूनीटेक लिमिटेड को सौंपा गया है। यह मनोरंजन पार्क दिल्ली शहर में एक मुख्य आकर्षण का केन्द्र होगा। विकासकर्ता ने इस पार्क के पूर्ण विकास के लिए 5 वर्ष की अवधि की योजना बनाई है और 2 वर्ष में पार्क को चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो सन् 2006 तक आरम्भ होने की आशा है।

8.6.3 अ.रा.बस अड्डा, सराय काले खाँ से भैरों मंदिर मार्ग तक इन्द्रप्रस्थ पार्क का विकास

इस पार्क की विशेषताएं निम्नानुसार होंगी :-

पार्क का कुल क्षेत्रफल	63 एकड़
रिंग रोड के साथ-साथ पार्क की कुल लम्बाई	2000 मीटर
पैदल पथ की कुल लम्बाई	लगभग 5 किलोमीटर
परियोजना की कुल लागत	23 करोड़ रूपये
वर्तमान स्थिति :	
i) फेज-I	i) पूरा हो गया
ii) फेज-II	ii) कुछ अतिरिक्त कार्य (रेलवे से प्राप्त भूमि पर) जैसे औपचारिक उद्यान, जोन IV में 2 रेन शेल्टर का निर्माण और पी/एफ गार्डन फर्नीशिंग का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। अतिरिक्त पार्किंग को विकसित करने के लिए निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं और कार्य जल्दी ही आरम्भ हो जाएगा। यह कार्य जून, 2006 तक पूरा होने की आशा थी।

इसमें पाँच जोन बनाये गए हैं, जिनकी प्रत्येक की अपनी-अपनी विशेषता है, जैसे - स्मृति वन, सुगंधित गार्डन, बोगन विले गार्डन, टॉपिअरी गार्डन और फॉलिएज गार्डन।

8.6.4 वसन्त कुंज के निकट महरौली-महिपालपुर रोड पर सुल्तानगढ़ी मकबरे के संरक्षण परिसर का विकास

सुल्तानगढ़ी-मकबरा, जो सुल्तान इल्तुमिश के सुपुत्र सुल्तान नसीरूद्दीन महमूद की मजार है, महरौली-महिपालपुर रोड की रंगपुरी पहाड़ी क्षेत्र (उर्फ मलिकपुर कोठी) में सन् 1236 ई. में बनाया गया था।

फेज-I का कार्य पूरा किया जा चुका है: चारदीवारी, बरसाती जल संग्रहण प्रणाली के लिए नाली, डीक्यू स्टोन फुटपाथ और फेज-I में पाँच ट्यूबवैल लगाये गये।

फेज-II का कार्य: परामर्शदाता ने प्रारम्भिक ड्राइंगें दे दी हैं। प्रारम्भिक अनुमान प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है।

8.6.5 भलस्वा गोल्फ कोर्स का विकास

92.00 हैक्टे. से भी अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए भलस्वा झील परिसर का विकास किया जाना प्रस्तावित है। झील के पूर्व की ओर 58 हैक्टे. भूमि दि.वि.प्रा. की है और 34 हैक्टे. भूमि डी.टी.डी.सी की है। झील की तरफ सुविधाओं, जैसे-8 किओस्कों, शैल्टरों, मार्गों और पार्कों का विकास दि.वि.प्रा. द्वारा पहले ही किया जा चुका है।

झील से लगा हुआ 46 हैक्टे. क्षेत्र 18 होल गोल्फ कोर्स के विकास हेतु निर्धारित है। फेज-I में 3 होल का गोल्फ कोर्स विकसित किया जा चुका है और जनता के लिए शुरू कर दिया गया है। होल नं. 4, 5, 6, 7,एवं 8 का कार्य पूरा किया जा चुका है। नौवें होल के निर्माण का कार्य चल रहा है और 31.5.2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है। सिंचाई की स्वचलित प्रणाली का कार्य चल रहा है। 7 होल के लिए ट्यूबवैल एवं जी.आई. पाइप लाइन नेटवर्क और सभी 9 होल के लिए रेलिंग सहित चारदीवारी का कार्य पूरा किया जा चुका है। पम्प सहित सिंचाई प्रणाली का कार्य चल रहा है। प्लाजा और पार्किंग से संबंधित कार्य चल रहा है।

8.6.6 झड़ौदा माजरा और वजीराबाद में यमुना जैव-विविधता पार्क का विकास

जैव-वैविध्य पार्क यमुना नदी घाटी में जैव-विविधता की प्रचुरता और इसकी विरासत को बनाए रखते हुए शहरी जनता के पारिस्थितिकीय, सांस्कृतिक और शैक्षिक ज्ञान में वृद्धि करता है। इस

पार्क का विकास विभिन्न चरणों में किया जाएगा और इसके 10 वर्षों में विकसित होने की संभावना है। फिलहाल दि.वि.प्रा. फेज-I में 157 एकड़ भूमि पर जैव विविधता पार्क विकसित कर रहा है। अन्य 300 एकड़ भूमि दूसरे फेज में शामिल की जाएगी।

निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए :

- 3 पोली-हाउस की व्यवस्था और स्थापित करना।
- 1 नेट हाउस की व्यवस्था और स्थापित करना।
- बांस के आच्छादित 3 खाद्य किओस्कों की व्यवस्था और स्थापित करना।
- 3 कम गहरे नलकूपों की बोरिंग करना और 2 पम्प-हाउसों का निर्माण करना।
- फलोद्यान नं -1 में आगन्तुक क्षेत्र में अनफिल्टर्ड जल-आपूर्ति हेतु जी.आई पाइप लाइनों को बिछाना।
- फुटपाथ (3 मीटर चौड़े मुख्य मार्ग) का निर्माण।
- कार्यालय परिसर/विवेचन केन्द्र का निर्माण।
- यमुना का सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय इतिहास तैयार कर लिया गया है।
- एम.एस. ग्रिल सहित रैन्डम रुबल मैसनरी चार दीवारी (5300 मीटर लम्बाई) का निर्माण।
- जलाशय और टीलों का निर्माण।
- पाथ (लूप ट्रेल) का निर्माण।
- जलाशय (अतिरिक्त) और टीलों का निर्माण।
- कैफेटेरिया का निर्माण।
- परियोजना हेतु पहुंच मार्ग और कार पार्किंग का निर्माण।
- बाउन्डरी के साथ-साथ लगभग 18000 वृक्षों और बांसों का आरोपण।
- एसटीडी बूथ, पीने के पानी की सुविधा और मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण।
- सुरक्षा कक्ष का निर्माण।
- आगंतुक क्षेत्र।
- आर.सी.सी. बॉक्स टाइप नालियों और पार्किंग के लिए सड़क का निर्माण।
- बसों की पार्किंग का निर्माण।
- प्रवेश द्वार से स्कीम के अंत तक आरसीसी टाइप नाले का निर्माण।
- स्टील-ब्रिजों का निर्माण।
- वृक्षारोपण।
- निर्मित आवासीय क्षेत्र के साथ-साथ विद्यमान आर/आर मैसनरी दीवार को ऊँचा उठाना।

एक बाँस द्वारा निर्मित पुल, एक सार्वजनिक शौचालय, एक बाँस द्वारा निर्मित रहने का स्थान और अनुपूरक नाले से योजना के अंत तक 18 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क के निर्माण का कार्य वर्ष 2006 में शुरू किये जाने की संभावना है।

8.6.7 नेहरू प्लेस स्थित आस्था कुंज : इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

पार्क का कुल क्षेत्रफल	81 हैक्टेयर (200 एकड़)
पहुँच मार्ग : i) बाहरी रिंग रोड ii) राजाधीरसेन मार्ग iii) कैप्टन गौड़ मार्ग	 दक्षिणी तरफ से उत्तरी तरफ से पूर्वी तरफ से
परियोजना की संभावित लागत	20 करोड़ रूपये
परियोजना के पूरा होने का संभावित समय	विवादास्पद
कार्य की वर्तमान स्थिति : i) चारदीवारी ग्रिल फेंसिंग	 i) कार्य पूरा हो चुका है।
ii) एंटरेंस प्लाजा का निर्माण	ii) एंटरेंस प्लाजा नं 1,2,3,4 एवं 6 का कार्य पूरा हो गाया है और प्लाजा नं. 5 का कार्य चल रहा है तथा जून, 2006 तक पूरा हो जाएगा।
iii) पैदल पथों का विकास कार्य और लॉन क्षेत्रों में मिट्टी भरने का कार्य	iii) कार्य चल रहा है और सितम्बर, 2006 तक पूरा कर लिया जाएगा।
iv) 5 जलाशयों का विकास कार्य	iv) पूरा हो चुका है।
v) इस्कॉन के पास पार्किंग का निर्माण	v) काम चल रहा है- मई, 2006 तक पूरा कर लिया जाएगा।
vi) फूड कोर्ट, शहरी पार्क, एम्फी थियेटर, सभा क्षेत्र, और टैम्पल के सामने बस पार्किंग का निर्माण।	vi) निविदाएँ दोबारा आमंत्रित की गई हैं, कार्य 2006 की पहली तिमाही में शुरू किये जाने की संभावना है और समाप्ति के बारे में विवाद है।

8.6.8 यमुना नदी तट विकास (यमुना पुश्ता पार्क)

83 हैक्टे. क्षेत्र जो झुग्गियों को हटाकर खाली कराया गया था, इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में पुराने रेल पुल और आई.टी.ओ के मध्य समाधि क्षेत्र के पीछे यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर विकसित किया जाना है। योजना दि.वि.प्रा. की जांच समिति द्वारा और यमुना कार्य समिति द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के संरक्षण के अंतर्गत अनुमोदित कर दी गई है।

भू-दृश्यांकन योजना में विविध ऐक्टिव एवं पैसिव मनोरंजनात्मक जोन शामिल किये गये हैं जिसमें एम्फी थियेटर, पहुँच द्वार, सूचना केन्द्र, प्रदर्शनी स्थल, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, रक्षित हरित, पैदलों के लिए टहलने के मार्ग, साइकिलिंग ट्रैक्स जैसी गतिविधियों वाले 'एक्टिव जोन' के एक भाग के रूप में कार्य कर रहे हैं।

पैसिव क्षेत्र में स्थल से होकर गुजरने वाले पैदल पथों और साइकिल मार्गों सहित अनेक जलाशय हैं। पैसिव क्षेत्र को हलचल भरे सक्रिय क्षेत्र की तुलना में शांत एवं स्वच्छ क्षेत्र के रूप में तैयार किया गया है। सक्रिय क्षेत्र में विद्यमान लघु नदी के पास एक जलाशय बनाया गया है।

स्थल पर निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं:-

- सिंचाई एवं बाढ़ विभाग द्वारा अपेक्षित स्तरों के अनुसार मुगल बांध को ऊँचा करना।
- सक्रिय क्षेत्र में जलाशय का विकास कार्य पूरा कर लिया गया।
- मुगल बांध के साथ-साथ वृक्षारोपण और घास लगाने का कार्य किया जा रहा है।
- परियोजना में उपयोग में लाए जाने के लिए पेड़-पौधों की पौध के लिए एक नर्सरी बनाई गई।
- जलाशय के साथ-साथ स्लोप का कार्य चल रहा है।

8.6.9 विद्यमान हरित क्षेत्रों का प्रस्तावित विकास कार्य

लगभग 29 विद्यमान हरित क्षेत्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए भूदृश्यांकन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

8.6.10 बी.ओ.टी. जन-सुविधाओं का प्रस्ताव

वर्ष के दौरान दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर स्थित 11 लोकप्रिय हरित क्षेत्रों में 'भुगतान करो एवं उपयोग करो' शौचालय सुविधा की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर 14 मुख्य हरित क्षेत्रों के लिए 'भुगतान करो एवं उपयोग करो' शौचालय सुविधा हेतु निविदाएँ प्रारम्भ की गई।

10 प्रमुख हरित क्षेत्रों/पार्कों में बी.ओ.टी. शौचालय सुविधा प्रस्तावित है।

8.6.11सार्वजनिक पार्कों में और उनके आस-पास फूड काउन्टर/ भोजनालय खोले गये

i) मुख्य योजना मानदण्डों के अनुसार रेस्टोरेंट/फूड कियोस्क की अनुमति किसी भी ऐसे पार्क में दी जा सकती है, जिसका क्षेत्रफल 40 हैक्टेयर से अधिक हो।

ii) 5 पार्कों में रेस्टोरेंट की व्यवस्था की गई, जो चल रहे हैं।

iii) महत्वपूर्ण और लोगों द्वारा बार-बार घूमने आने वाले 6 पार्कों में फूड कियोस्क/फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई।

iv) 3 पार्कों में फूड कियोस्क/फूड कोर्ट का प्रस्ताव किया गया है।

8.7 नए महत्वपूर्ण क्षेत्र

8.7.1 वर्ष 2006-07 के दौरान शुरू किये जाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवास

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (स्लम निवासियों) के सुधार और अच्छे वातावरण की व्यवस्था करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने दि. वि.प्रा. के द्वारा दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर एक लाख ई.डब्ल्यू. एस. आवासों का कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। स्थानों का निर्धारण किया जा रहा है।

8.7.2 फ्लाई ओवर

जनसंख्या में वृद्धि (स्थानीय एवं प्रवासी) होने और निजी वाहनों के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन के बढ़ने के कारण सड़कों पर यातायात बढ़ गया है। आन्तरिक रिंग रोड जैसी व्यस्त सड़कों के चौराहों पर यातायात जाम होने से सड़कों का प्रयोग करने वालों को बहुत असुविधा होती है। इसके अतिरिक्त, इससे प्रदूषण का स्तर और व्यर्थ ईंधन पदार्थों की

बिन्दापुर में ई.डब्ल्यू.एस मकान

मात्रा भी बढ़ जाती है। दिल्ली के यातायात की समस्याओं को कम करने के लिए फ्लाई ओवरों के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दि.वि.प्रा. को विश्वासपूर्वक सौंपी गई थी। बारह फ्लाई ओवरों का काम 31 मार्च, 2005 तक पूरा किया जा चुका है।

अन्य फ्लाई ओवरों की प्रगति की स्थिति नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	अवस्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग-2 एवं मार्ग सं. 13-ए-सरिता विहार पर एक क्लोवर लीफ	पूरा किया जा चुका (जून 2005)
2.	विकास मार्ग - मार्ग सं. 57 पर एक क्लोवर लीफ, जो योजना स्तर पर है	2007 में शुरू किये जाने की संभावना है
3	राष्ट्रीय राजमार्ग-24 एवं नौएडा मोड -दो अन्य क्लोवर लीफ योजना स्तर पर हैं	2007 में शुरू किये जाने की संभावना है
4.	पालम नाले को ढ़कते हुए दूसरा कैरिज वे	31.12.2006

वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित सुधार कार्यों के शुरू किये जाने की संभावना है:-

- सरिता विहार फ्लाई ओवर पर क्लोवर लीफ एवं अंडर पास।
- अक्षरधाम मंदिर के समीप राष्ट्रमंडल गाँव के विद्यमान प्रवेश मार्ग का सुधार।
- कापसहेड़ा में 4 आर्म वाला चौराहा।

8.7.3 यमुना नदी के किनारे पर क्रिकेट एवं फुटबॉल स्टेडियम परिसर का विकास

नोएडा टोल ब्रिज के पश्चिम की 85 हैक्टेयर भूमि को विकसित किया जाना है, जिसके लिए दि.वि.प्रा. द्वारा विकास किए जाने के लिए यमुना एक्शन कमेटी से मुख्य अनुमोदन प्राप्त किया गया है। 85 हैक्टेयर भूमि की कुल योजना में से 12 हैक्टेयर क्रिकेट स्टेडियम के लिए, 10 हैक्टेयर फुटबॉल स्टेडियम के लिए और 5 हैक्टेयर भूमि बाल-केन्द्र के लिए है। शेष 58 हैक्टेयर भूमि पार्किंग और मनोरंजनात्मक उपयोग के लिए है। योजना अभी संकल्पना स्तर पर है। सी.डब्ल्यू.पी आर.एस., पूणे को गणितीय मॉडल अध्ययन और बाढ़ से बचाव के उपायों पर दि.वि.प्रा. को सलाह देने के लिए अनुबन्धित किया गया है। योजना को आगामी राष्ट्रमंडल खेलों से पूर्व पूरा किया जाना है।

8.7.4 शहरी विस्तार रोड

क) शहरी विस्तार रोड सं.-1 का निर्माण

यह रोड नरेला एवं रोहिणी परियोजनाओं से होकर गुजरेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग -1 (जीटी करनाल रोड) को राष्ट्रीय राजमार्ग - 10 (रोहतक रोड) से जोड़ेगा।

कुल लम्बाई	**28 किलोमीटर**
नरेला परियोजना	**11 किलो मीटर** भूमि उपलब्ध है। तकनीकी समिति ने सरेखण और जी.टी. करनाल रोड से अलीपुर-नरेला रोड तक लगभग 3 कि.मी. लम्बे रोड और बवाना के समीप डी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्मित लगभग 1.2 कि.मी. रोड को अनुमोदित किया है। सड़क विकास योजना को तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।
रोहिणी परियोजना	**17 कि.मी** अभी भूमि का अधिग्रहण किया जाना हैं। क्षेत्रीय योजना तैयारी के चरण में है और इसके सितम्बर-2006 तक अनुमोदित होने की संभावना है।

ख) 100 मीटर मार्गाधिकार शहरी विस्तार रोड सं-11 का निर्माण

यह रोड नरेला, रोहिणी और द्वारका परियोजनाओं से गुजरेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (जीटी-करनाल रोड), राष्ट्रीय राजमार्ग-10 (रोहतक रोड) और राष्ट्रीय राजमार्ग-8 (दिल्ली-गुड़गाँव रोड) को जोड़ेगा। तकनीकी समिति ने रोड के सम्पूर्ण टुकड़े के सरेखण को अनुमोदित कर दिया है।

कुल लम्बाई	**46.0 कि.मी.**
नरेला परियोजना	**7.0 कि.मी.** भूमि अधिग्रहीत है। सड़क विकास योजना को तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।
रोहिणी परियोजना	**14.0 कि.मी.** भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है और सड़क विकास योजना को तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। बरवाला गाँव के निकट सरेखण में हल्का सा संशोधन किया जाना है।
द्वारका परियोजना	**25.0** कि. मी. राष्ट्रीय राजमार्ग-8 से 3 कि.मी. लम्बी सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है और 6.50 कि.मी. लम्बी सड़क दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित है। शेष लंबाई के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।

ग) शहरी विस्तार रोड न. III का निर्माण

यह सड़क नरेला, रोहिणी से गुजरेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (जीटी-करनाल रोड) को राष्ट्रीय राजमार्ग-10 (रोहतक रोड) से जोड़ेगी।

कुल लम्बाई	**16.0 कि.मी.**
नरेला परियोजना	**5.5 कि.मी.** भूमि अधिग्रहीत की जानी है।
रोहिणी परियोजना	**10.5 कि.मी.** तकनीकी समिति से सड़क का सरेखण अनुमोदित है, उपलब्ध भूमि में 5 कि.मी. लम्बी सड़क निर्मित है और शेष को न्यायालय के स्थगन आदेश/अतिक्रमण के कारण निर्मित नहीं किया जा सका।

8.7.5 शोधित सीवेज का प्रयोग

''उद्यान कार्यों के लिए शोधित सीवेज पानी का प्रयोग'' को अति महत्ता दी जा रही है। शोधित सीवेज का प्रयोग करने पर उपयोग किए जा रहे ट्यूबवैलों का प्रयोग बंद हो जाएगा। दि.वि.प्रा. ने शोधित सीवेज के प्रयोग की योजना पहले ही बना ली है।

8.7.6 बरसाती पानी का संग्रहण

बरसाती पानी का संग्रहण करना घट रहे जल स्तर को पुन:बढ़ाने की एक आसान और प्रभावी विधि है जिससे निकट भविष्य में एक विश्वसनीय जल स्रोत सुनिश्चित किया जा सकता है। दि.वि.प्रा. द्वारा पिछले कुछ वर्षों से इसके महत्त्व को महसूस किया गया है। दि.वि. प्रा. ने इस मामले में सकारात्मक भूमिका निभाई है और कई एजेंसियों जैसे केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, इंटेक आदि के साथ सम्बद्ध रहा है ताकि वे विकासाधीन विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत अध्ययन कर सकें तथा इन क्षेत्रों में जल की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जल संग्रहण के तरीकों के बारे में सुझाव दे सकें। बरसाती पानी के संग्रहण की योजना विभिन्न परियोजनाओं में कार्यान्वित की जा रही है, जो पूरी हो चुकी हैं/प्रगति में/योजना चरण में हैं।

8.7.7 दोहरी जलापूर्ति प्रणाली

दोहरी जलापूर्ति प्रणाली में प्रत्येक इकाई को दो पृथक-पृथक जलापूर्ति प्रदान की जाती है। एक 'पेय जल' आपूर्ति लाइन होती है, जो रसोई और पैन्ट्री में बिछाई जाती है और केवल पीने और खाना बनाने इत्यादि के उपयोग में लाई जाती है। एक अन्य 'घरेलू जल-आपूर्ति है, जो शौचालयों, स्नानगृहों इत्यादि में जाती है, जहाँ कम शोधित पानी की आपूर्ति की जाती है।

इस तरह कम शोधित पेय जल की मांग कम हो जाती है और इसलिए अधिक व्यापक शोधन जो पेय जल के लिए आवश्यक होता है, जल की कम मात्रा तक सीमित हो जाएगा।

दि.वि.प्रा. द्वारा बनाए गए लगभग 10,000 मकानों में यह व्यवस्था की गई है।

8.7.8 राष्ट्रमंडल खेल

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमिका :

खेलगाँव

- टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश और क्यू स्पोर्ट्स
- खेलगाँव, यमुना खेल परिसर और सीरी फोर्ट खेल परिसर में प्रशिक्षण स्थल
- प्लाट क्षेत्र-63.50 हैक्टेयर
- अवस्थिति-अक्षरधाम मंदिर के समीप
- गाँव की अनुमानित लागत-940 करोड़+परामर्श प्रभार

दिल्ली विकास प्राधिकरण राष्ट्रमंडल खेलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

स्थान विभाजन

- आवासीय	11.00	हैक्टेयर
- व्यावसायिक	5.50	हैक्टेयर
- सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	21.00	हैक्टेयर
- मनोरंजनात्मक	26.00	हैक्टेयर

आवासीय क्षेत्र का विकास आंशिक रूप में सार्वजनिक-निजी भागेदारी के माध्यम से किया जाएगा, दि.वि.प्रा. द्वारा भी इसका विकास किया जाएगा।

प्रशिक्षण क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी :

- स्वीमिंग पूल
- एथलैटिक ट्रैक्स
- फिटनेस सेन्टर
- प्रशिक्षण मैदान

परामर्शदाताओं की नियुक्ति :

- अंतरराष्ट्रीय फर्मों, जे.वी.एस एण्ड कन्सोर्शिया से 'प्रस्तावों हेतु अनुरोध', (आर.एफ.पी.) मांगे गए ।
- गाँव परिसर के लिए 6 तकनीकी बोलियाँ प्राप्त हुई।
- वित्तीय परामर्शदाताओं के लिए 1 बोली प्राप्त हुई।

खेल गाँव के लिए समय सीमाएँ :

–	परामर्शदाताओं की नियुक्ति	जून, 06
–	स्थल विश्लेषण एवं संकल्पनात्मक क्षेत्रीय योजना	सितम्बर, 06
–	अन्तिम नक्शे एवं सेवा ड्राइंग	नवम्बर, 06
–	विकास कार्य हेतु कार्य सौंपना	अप्रैल, 07
–	आवासीय ब्लॉकों हेतु कार्य सौंपना	जुलाई, 07
–	अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र के लिए कार्य सौंपना	अप्रैल, 08
–	स्थल विकास का समापन	अक्तूबर, 08
–	कार्यों की समाप्ति	दिसम्बर, 09
–	अस्थायी ओवर ले कार्य एवं फिनिशिंग	अगस्त, 10

8.7.9 सेवाओं का दि.वि.प्रा. से दि.न.नि./दिल्ली जल बोर्ड को अंतरण

विकास एजेंसी होने के कारण दि.वि.प्रा. अपने क्षेत्रों में आधारभूत सेवाएँ प्रदान करता है और उनके रखरखाव को नगर-निकाय होने के कारण दि.न.नि./दिल्ली जल बोर्ड को सौंप देता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न कॉलोनियों की सेवाएँ विगत में दि.न.नि. को अंतरित की जाती रही हैं।

फिलहाल, पहले लॉट की 382 कॉलोनियों में से शेष बची हुई 7 कॉलोनियों, 163 कॉलोनियों ओर 146 कॉलोनियों की सेवाओं को सौंपे जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

8.8 अनुमान

वर्ष 2005-06 के दौरान, सक्षम प्राधिकारी ने बी.जी.डी.ए. के लिए 25.16 करोड़ रु. और नजूल खाता -II के लिए 106.30 करोड़ रु. के प्रारम्भिक अनुमानों को अनुमोदित किया है।

8.9 वित्तीय कार्य-निष्पादन

	2005-06 के लिए संशोधित बजट अनुमान (करोड़ों में)	उठाया गया व्यय (करोड़ों में)
नजूल खाता-I	12.3400	10.5221
नजूल खाता-II	624.3800	396.4824
बी.जी.डी.ए.	280.2000	203.0046
अन्य	18.8500	13.6629
कुल	**935.7700**	**623.6720**
2004-05	1,390.6900	929.6206
2003-04	921.5355	742.7804

9 योजना एवं वास्तुकला

योजना विंग

9.1 दिल्ली मुख्य योजना-2021

- मसौदा दिल्ली मुख्य योजना-2021 दिनांक 16.03.05 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गयी और उसके पश्चात जनता से 90 दिनों की अवधि के अंदर आपत्तियों /सुझावों के आमंत्रण के लिए सार्वजनिक सूचना 8.4.2005 को समाचारपत्रों में प्रकाशित की गई।
- लगभग 7000 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए और उनकी जांच की गई।
- दिनांक 15.6.2005 की अधिसूचना के माध्यम से जाँच और सुनवाई बोर्ड का गठन किया गया।
- इस अवधि के दौरान बोर्ड की 14 बैठकें/सुनवाई हुई, जिसमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, दि.न.नि., टी.सी.पी.ओ, दिल्ली जल बोर्ड, रैजेडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशनों सहित एसोसिएशनों, व्यक्तियो, इत्यादि से प्राप्त आपत्तियों /सुझावों की बोर्ड द्वारा सुनवाई की गई।
- जाँच और सुनवाई बोर्ड की संस्तुति के आधार पर प्राधिकरण के लिए मिश्रित उपयोग विनियमों की कार्यसूची को अन्तिम रूप दिया गया। मिश्रित उपयोग विनियम पर प्राधिकरण की मद सं. 33/2006 दिनांक 24.03.2006 द्वारा विचार किया गया और दिल्ली मुख्य योजना-2001 के संशोधन के संबंध में दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 11 ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत अन्तिम अधिसूचना के रूप में इसे शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 28.03.2006 को अधिसूचित किया गया।
- भूमि और आवास के एकत्रीकरण के वैकल्पिक तरीकों की कार्यसूची पर प्राधिकरण द्वारा 19.7.2005 को विचार किया गया और शहरी विकास मंत्रालय को विचारार्थ भेजा गया।

9.2 क्षेत्रगत योजना-1 इकाई

9.2.1 जोन ए (159 हैक्टेयर पुराना नगर): मुख्य योजना में शहरी नवीनीकरण और पुराने नगर क्षेत्र के संरक्षण का सुझाव दिया गया है तथा नगर निकायों और अन्य सरकारी विभागों से प्राप्त संदर्भों का निपटान किया गया है।

9.2.2 जोन बी (2304 हैक्टेयर नगर विस्तार)

- आनन्द पर्वत क्षेत्र की पुनर्विकास योजना बनाई गई और इसके संशोधन अथवा इसके कार्यान्वयन के पहलुओं के लिए आगे की कार्रवाई की गई हैं।
- तकनीकी समिति के निर्णय के अनुसार प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र (रामजस स्कूल, आनन्द पर्वत के सामने) के निकट रोड न. 10 के मार्गाधिकार का संशोधन।
- नारायणा के पास रिंग रोड को चौड़ा करने से प्रभावित हुए धार्मिक भवनों के पुन: स्थान निर्धारण से संबंधित मामलों को उठाया गया है।
- आनन्द पर्वत क्षेत्र में रक्षा प्राधिकरण द्वारा ली गई भूमि, जिसके भूमि, उपयोग को ठीक किया जाना है, के सरेखण के संबंध में मुद्दों पर कार्रवाई की गई। संदर्भाधीन भूमि के भूमि उपयोग को 'हरित' के रूप में दर्शाया गया है, जबकि यह दिल्ली मुख्य योजना' 62 में सरकारी भूमि(उपयोग अनिर्धारित) थी।
- करोल बाग, पटेल नगर, रामा रोड इत्यादि में 42 सम्पत्तियों में दुरूपयोग के स्पष्टीकरण के लिए न्यायालय के संदर्भाधीन सर्वेक्षण किया गया ताकि न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
- शाहजादाबाग में लगभग 2 एकड़ आकार के पाकेट के संदर्भों/ अभ्यावेदनों की जाँच की गई, जिसके लिए दि.मु.यो.-62 में भूमि उपयोग में परिवर्तन का मामला विचाराधीन है। यह पाकेट हल्के और सेवा औद्योगिक क्षेत्र का एक भाग थी।

9.2.3 जोन एफ (11958 हैक्टेयर दक्षिणी दिल्ली)

- 102 बीघा भूमि का उपयोग और इस क्षेत्र में अनुमोदित पहली योजना का संशोधन।
- जसोला में आवासीय योजना के भूखण्डीय विकास के ले-आउट प्लानों का संशोधन।
- एफ सी-33 के ले-आउट प्लान का संशोधन।
- ग्रीन पार्क में आर्य समाज मंदिर के समीप आवासीय प्लाटों के ले-आउट प्लान का संशोधन।
- भूमि विभाग द्वारा सफदरजंग एनक्लेव के ले-आउट प्लान में विभिन्न स्थानों पर सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करके संशोधन करना। योजना तैयार हो चुकी है और इसे पुनरीक्षण के लिए कार्यसूची तथा ड्राइंग के साथ सी.एल.डी. को भेजा गया है। जैसे ही यह प्राप्त होगी इसे समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।
- जसोला में वर्किंग वुमैन होस्टल (पी.एम. संदर्भ के अंतर्गत) हेतु प्रस्ताव।
- दि.वि.प्रा. की खाली पड़ी भूमि (कटवारिया सराय के पास) के उपयोग हेतु प्रस्ताव। प्रस्ताव तैयारी के अंतर्गत है और शीघ्र ही समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
- उच्चतम न्यायालय मामले के संबंध में मिश्रित भूमि उपयोग पर सूचना का संकलन। सूचना में संबंधित क्षेत्रीय योजनाओं में आवश्यक आंकड़ें और संकेत शामिल है।

9.2.4 जोन जी (11865 हैक्टेयर, पश्चिमी दिल्ली)

- शहरी विकास मंत्रालय के निदेशानुसार जोन जी की प्रारूप क्षेत्रीय योजना तैयार की जा रही है। स्थल के सत्यापन के आधार पर रिपोर्ट/आकड़ें और भूमि उपयोग को उद्यतन करने के लिए व्यापक कार्य किया गया है।

दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री बी.एल. जोशी, प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न सब-वेज़ को देखने के पश्चात दि.वि.प्रा. अधिकारियों को निर्देश देते हुए

- उप जोन जी-18 की योजना को भी नए सिरे से प्रारम्भ किया गया है, जो जोन 'जी' की क्षेत्रीय विकास योजना का भाग बनेगी।
- दि.वि.प्रा. की कॉलोनियों जैसे - जनकपुरी, विकासपुरी, पश्चिम विहार, में सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं और सामुदायिक हॉलों को उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

9.2.5 न्यायालय-मामले

- परदा बाग क्षेत्र में भूमि उपयोग की पुष्टि और मौजूदा संरचनाओं की जाँच, जिसे जिला पार्क/हरित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है।
- नारायणा गाँव में दि.वि.प्रा. की भूमि, जिस पर अतिक्रमण है, के संबंध में न्यायालय मामला।
- आवासीय क्षेत्र (नारायणा गाँव के समीप दि.वि.प्रा. भूमि पर) के भूमि उपयोग की पुष्टि, जिस पर याचिकाकर्ता एक भाग के रूप में दावा कर रहा है। रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में आवासीय योजना का ले-आउट औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत है।
- सादिक नगर में हायर सैकेण्डरी स्कूल के स्थल से संबंधित ज्ञान मंदिर सोसाइटी बनाम भारत संघ के न्यायालय मामले के लिए जवाबी शपथपत्र बनाना।
- दि.वि.प्रा. के भूमि विभाग/भूमि प्रबंध विभाग से प्राप्त विविध न्यायालय मामले।
- ज्वालाहेडी के समीप जोन 'जी' -17 में पॉकेट का भूमि उपयोग जिसे पास के क्षेत्र के निवासियों के लिए सेवा केन्द्र के रूप में दर्शाया गया है, इसके भूमि उपयोग को दि.मु.यो.-2001 के अनुसार हरित क्षेत्र के रूप में कायम रखने के लिए याचिका दर्ज की है।
- आनन्द पर्वत क्षेत्र में घरेलू उद्योग की अनुमेयता के सम्बंध में स्पष्टीकरण।
- वसन्त कुंज क्षेत्र की हरिजन बस्ती के निवासियों द्वारा दायर मामले के संबंध में वसन्त कुंज और जोन 'एफ' में निम्न आय वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराना।
- माननीय उच्चतम न्यायालय में जैव-वैविध्य पार्क, वसन्त कुंज मामले की अनुवर्ती कार्रवाई।

9.2.6 भूमि उपयोग के परिवर्तन के मामले

- लाडो सराय क्षेत्र के भूमि उपयोग के परिवर्तन के मामले के लिए अनुवर्ती कार्रवाई।

- सी.आर.आर.आई. के भूमि उपयोग के परिवर्तन के मामले के लिए अनुवर्ती कार्रवाई।
- मस्जिद मोठ क्षेत्र में ए.आई. एम.एस की स्वामित्व वाली भूमि के भूमि उपयोग का आवसीय से पी.एस.पी. में परिवर्तन।
- कटवारिया सराय में पॉकेट की भूमि के भूमि उपयोग का परिवर्तन।

9.2.7 विविध

एल.ओ.एस.सी. बैठक, स्लम और जे.जे.बोर्ड की बैठक, योजना विभाग और अनुसंधान इकाई की सर्वेक्षण इकाई का समन्वय कार्य प्रारम्भ करना। विभिन्न विभागों से प्राप्त विभिन्न पत्रों की जाँच और क्षेत्र योजना इकाई-I के संबंध में आर.टी.आई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त लगभग 60 आवेदनपत्रों में आवश्यक स्पष्टीकरण दिया गया।

9.3 यातायात एवं परिवहन इकाई

- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए परामर्शदाता (राइट्स) द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की जांच की गई।
- दि.वि.प्रा. के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा मथुरा रोड को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक एक नए सम्पर्क का कार्य किया गया और चौराहे की व्यापक डिज़ाइन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई।
- नेहरू प्लेस और प्रगति मैदान में और उनके आसपास परिचालन प्रणाली के अध्ययन में विचारार्थ विषयों की जाँच की गई और अलकनन्दा में समाज सदन में और उसके आसपास परिचालन का संक्षिप्त अध्ययन किया गया।
- पैट्रोल पम्प स्थलों की मॉनीटरिंग एच.यू.पी.डब्ल्यू/क्षेत्र योजना द्वारा उपलब्ध कराई जानी है और आशय पत्र (एल.ओ.आई.) धारियों को आबंटन के लिए परियोजनाएँ की गई।
- हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग और सरोजिनी नगर में मल्टी लेवल पार्किंग प्रस्तावों की जाँच और कार्रवाई की गई।
- माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली सरकार के सहयोग से पार्किंग नीति को अन्तिम रूप दिया गया।
- अम्बेडकर नगर से मूलचन्द तक के लिए परिवहन विभाग द्वारा भेजे गये हाई कैपेसिटी बस सिस्टम प्रस्ताव पर विचार किया गया।
- रोड अण्डर ब्रिज/रोड ओवर ब्रिज के लिए दिल्ली/नई दिल्ली में उप समिति की बैठक के लिए प्रस्ताव पर कार्यवाही। निम्नलिखित प्रस्तावों पर कार्यवाही की गई :-

i) सराय काले खाँ में रोड ओवर ब्रिज।
ii) दिल्ली-रोहतक रेलवे लाइन के पार सुल्तानपुरी चौराहे पर रोड ओवर ब्रिज।
iii) राष्ट्रीय राजमार्ग-10 के नांगलोई चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर।
iv) महरौली-महिपालपुर रोड की संरेखण योजना।
v) आई.आई.टी से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के बीच 3 फ्लाई ओवर।
vi) नारायणा फ्लाई ओवर।
vii) परेड ग्राउन्ड, सिटी जोन के पास नेताजी सुभाष मार्ग पर राइट-टर्न सब-वे का निर्माण।
viii) द्वारका की ओर जाने वाले कापसहेड़ा चौराहे पर अण्डर-पास।
ix) अरबिन्दो मार्ग के टी जंक्शन से महरौली-गुड़गाँव रोड और वसन्त कुंज रोड तक अणुव्रत मार्ग की संरेखण योजना।
x) रोड न. 58 एवं 64 को जोड़ने वाला रोड अण्डर ब्रिज।
xi) अ.रा.बस अड्डा, आनन्द विहार से राष्ट्रीय राजमार्ग-24 तक रोड न. 56 पर ग्रेड सैपरेटर का निर्माण।
xii) लेवल क्रॉसिंग, विवेक विहार पर रोड अण्डर ब्रिज।
xiii) रोड सं. 65 एवं जी.टी. शाहदरा रोड और रोड न. 66 (लिंक रोड को छोड़ता हुआ) का विकास।
xiv) एन.एच-24 बाईपास के साथ मार्जिनल बांध रोड के जंक्शन पर मौजूदा ग्रेड सैपरेटर पर तीन अतिरिक्त क्लोवर लीव्स।
xv) आज़ादपुर में ग्रेड सैपरेटर।
xvi) राष्ट्रीय राजमार्ग-10 के समीप नांगलोई में ग्रेड सैपरेटर।
xvii) बाहरी रिंग रोड पर मंगोलपुरी चौक पर ग्रेड सैपरेटर।
xviii) रिंग रोड/शान्ति वन चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर।
xix) राजा राम कोहली मार्ग और पुश्ता रोड का चौराहा।
xx) रिंग रोड/राजघाट चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर।
xxi) अप्रयुक्त कनाल रोड और पुश्ता रोड का चौराहा।

- तकनीकी समिति के लिए जिन प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई, वे निम्नलिखित हैं :-

i) नारायणा चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर।
ii) लेवल क्रॉसिंग सराय काले खाँ, निमाजुद्दीन पर रोड अण्डर ब्रिज (मामले पर चर्चा की गई)।
iii) दिल्ली में एच.सी.बी.एस. हेतु प्रस्ताव, अम्बेडकर नगर से मूलचन्द तक कॉरिडोर की योजना, डिज़ाइन और कार्यान्वयन।

iv) पंखा रोड पर डाबरी क्रॉसिंग पर ग्रेड सैपरेटर का प्रस्ताव (अनुमोदनार्थ संस्तुत)

v) आई.पी. मार्ग (ए प्वांइट) के साथ बहादुर शाह जफर मार्ग के चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर।

vi) मंगोलपुरी में ग्रेड सैपरेटर का अनुमोदन।

vii) पूर्वी पहुँच मार्ग पर शास्त्री पार्क क्रॉसिंग पर अण्डर पास का अनुमोदन।

- मैट्रो कॉरिडोर जिन्हें फेज-II के लिए अन्तिम रूप दिया गया था, की जाँच की गयी।
- आनन्द विहार में मैट्रोपॉलिटन पैसेन्जर टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव दि.वि.प्रा. में प्राप्त हुआ। आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसार प्रस्ताव रेलवे विभाग द्वारा संशोधित और प्रस्तुत किया जाएगा।
- गुड़गाँव के साथ रोड सम्पर्क के विशिष्ट संदर्भ में दिल्ली और हरियाणा के बीच रोड-सम्पर्क का प्रस्ताव शुरू किया गया।

9.4 यमुनापार क्षेत्र इकाई

- आर्य नगर सी.एच.बी.एस. लिमिटिड एवं कड़कड़डूमा के बीच खाली पड़ी भूमि का ले-आउट प्लान तैयार किया गया और जांच-समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
- सेवा केन्द्र एन एच-24 में संशोधन तैयार किया गया और जांच-समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
- जोशी कॉलोनी, मन्डावली फाजलपुर में ओ.सी.एफ. पॉकेट की योजना में संशोधन तैयार किया गया और जांच-समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
- कोडंली घरौली परिसर में डेयरी फार्म और जनता फ्लैट, पॉकेट-'डी' के समीप खाली पड़े स्थल सं.-1 एवं 2 और कोडंली घरौली परिसर सैक्टर 'ए' में एम.आई.जी II आवास परिसर के उपयोगिता प्लान में संशोधन तैयार किया गया और जांच-समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
- परामर्शदाता द्वारा चाँद सिनेमा में सुविधा एवं बाजार हेतु ले-आउट प्लान में संशोधन तैयार किया गया और जांच-समिति के समक्ष रखा गया। वर्तमान योजना जांच-समिति के समक्ष पुन:प्रस्तुत करने के लिए जांच-समिति के सुझाव के अनुसार इसमें संशोधन किया जा रहा है।
- पॉकेट 'सी' दिलशाद गार्डन के खाली क्षेत्र का संशोधित पार्ट ले-आउट प्लान तैयार किया गया और जांच-समिति के समक्ष रखा गया।
- खिचड़ीपुर क्षेत्र के खाली पॉकेटों का ले-आउट प्लान तैयार किया गया और संभाव्यता एवं स्वामित्व की स्थिति के लिए इंजीनियरिंग और भूमि प्रबंध विंग को भेजा गया।
- इंजीनियरिंग विंग और सर्वेक्षण इकाई द्वारा संभाव्यता एवं अद्यतन करने हेतु दल्लुपुरा क्षेत्र के लिए प्लान तैयार किए गए।
- विश्वास नगर स्थित सहकारी समूह आवास सोसाइटी के ले-आउट में संशोधन तैयार किया गया और जांच-समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
- ताहिरपुर में सुविधा केन्द्र न.-10 और सेवा केन्द्र न.-5 के ले-आउट प्लान में संशोधन तैयार किया गया और जांच-समिति, दि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित किया गया।
- पॉकेट-ए, गाजीपुर के लिए 30 एवं 45 मी. मार्गाधिकार सड़क हेतु स्टैन्डर्ड क्रास सैक्शन तैयार और अनुमोदित किया गया।
- गीता कॉलोनी स्थित सुविधा एवं व्यावसायिक केन्द्र तथा आवासीय परिसर में संशोधन को संभाव्यता और स्वामित्व-स्थिति के लिए भेजा।
- समय-समय पर किए गए विभिन्न आबंटनों के लिए आई. एल. शाखा, दि.वि.प्रा. द्वारा किए गए अनुरोध के लिए कब्जा-प्लान तैयार किए गए।
- घटे हुए क्षेत्र के अनुसार आई.एफ.सी, गाजीपुर में विद्युत सब-स्टेशन स्थलों को शामिल किया गया और ले-आउट प्लान में अनुमोदित किया गया तथा आई.एफ. शाखा, दि.वि.प्रा. द्वारा उसका कब्जा सौंपने के लिए कब्जा -प्लान तैयार किया गया।
- मदर डेयरी के समीप ढ़लाव का प्लान तैयार किया गया और जांच-समिति, दि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित किया गया।

9.5 विकास नियंत्रण

9.5.1 मुख्य योजना इकाई

- मुख्य योजना अनुभाग ने तकनीकी समिति की 6 बैठकें आयोजित की ।
- 13 सार्वजनिक सूचनाएँ जारी की।
- भूमि उपयोग में परिवर्तन, सार्वजनिक सूचना जारी करने, योजना मामलों इत्यादि से संबंधित प्राधिकरण के संकल्प के अनुवर्तन पर शहरी विकास मंत्रालय, उप राज्यपाल कार्यालय के साथ समन्वय कार्य किया गया।

9.5.2 विकास नियंत्रण इकाई

- गाँवों के लिए विकास नियंत्रण मानदण्डों हेतु विनियमों पर कार्य।
- आवासीय क्षेत्रों में ए.टी.एम सुविधाओं के लिए प्रारूप विनियम।
- होटलों के लिए विकास नियंत्रण मानदण्ड।
- अस्पतालों के लिए विकास नियंत्रण मानदण्डों पर कार्य।
- स्कूलों के लिए विकास नियंत्रण मानदण्डों पर कार्य।
- पुनर्वास कॉलोनियों के सुधार पर कार्य।
- तेहखण्ड में स्व-स्थाने स्लम एवं पुनर्वास परियोजना पर कार्य।

9.5.3 मॉनीटरिंग इकाई, जोन-'डी' (6855 हैक्टेयर, नई दिल्ली)

- प्रगति मैदान के भूमि उपयोग के परिवर्तन के मामले की जाँच की गई और टिप्पणियाँ मंत्रालय को भेजी गई।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए बहु-मंजिली पार्किंग के लिए तकनीकी समिति कार्यसूची पर कार्रवाई की गई।
- चाणक्यपुरी में सिविल सर्विस अधिकारी संस्थान के मामले की जाँच की गई और टिप्पणियाँ मंत्रालय को भेजी गई।
- सराय काले खाँ में ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का ले-आउट प्लान स्थानीय निकाय (दि.न.नि.) को भेजने के लिए तैयार किया गया।
- जीवन नगर/भगवान नगर में प्लाट से संबंधित न्यायालय मामले की जांच की गई।
- जोन-'डी' की क्षेत्रीय योजना के अनुमोदन के संबंध में न्यायालय मामले के लिए मंत्रालय को सूचना उपलब्ध कराई गई।
- दिल्ली मुख्य योजना-2021 में भूमि उपयोग प्लान को अन्तिम रूप देने के लिए जोन 'डी' के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई गई।
- सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसरण में ड्राइगों की नम्बरिंग से संबंधित परिपत्र जारी किए गए।
- सूचना अधिकार अधिनियम के लिए जन सूचना अधिकारियों की सूची बनाई गई।
- संसद के लगभग 140 संदर्भों पर कार्रवाई की।
- वी.आई.पी पत्रों के उत्तरों का संकलन किया गया।
- कार्यालय आदेश इत्यादि से संबधित अन्य विविध कार्य किए गए।
- संसद के बजट सत्र के लिए संसद प्रश्नों से संबंधित कार्य किया गया।
- मासिक रिपोर्टों को तैयार करना।
- जोन-'डी' में पुनर्वास मंत्रालय की पॉकेटों से संबंधित मामलों पर सूचना उपलब्ध कराना।
- जोन-'डी' में अन्य संदर्भों के संबंध में कार्रवाई।
- अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित मामले।
- कार्मिक/स्टाफ आदेशों इत्यादि से संबंधित मामले।

9.6 यमुना नदी परियोजना

- यमुना नदी के नवीकरण के लिए पर्यावरणीय प्रबंध योजना पर 'नीरी' द्वारा प्रस्तुत की गई अन्तिम रिपोर्ट विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उस पर कार्रवाई की गई।
- 37 हैक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग के 'कृषि और जल निकाय' से 'आवासीय' में और 1.05 हैक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग के 'कृषि और जल निकाय' से 'सार्वजनिक और अर्ध - सार्वजनिक' में परिवर्तन का कार्य शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार किया गया।
- प्रस्तावित क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम परिसर के लिए 85 हैक्टेयर भूमि का प्रस्ताव यमुना समिति के साथ उठाया गया।
- शास्त्री पार्क एक्सटेंशन में बुलन्द मस्जिद के समीप 3.72 हैक्टेयर भूमि का प्रस्तावित भूमि उपयोग।
- राष्ट्रमंडल खेल गाँव से संबंधित कार्य।
- आई.टी.ओ. के समीप विकास मार्ग के दक्षिण में छट घाट का अनुमोदन।
- दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार जोन 'ओ' के बेस मैप का डिजिटाइजेशन।

9.7 द्वारका परियोजना

- द्वारका के निम्नलिखित पहुँच मार्गों के परिचालन हेतु योजना सूचना का समन्वय

i) राष्ट्रीय राजमार्ग-8 द्वारका से 60 मीटर/100 मीटर रोड (अगस्त, 2005 से कार्यशील)।

ii) रा.रा.-8 से छावनी होकर द्वारका-द्वार जाने वाला 45 मीटर लिंक रोड।

iii) पालम नाले को ढकते हुए 45 मीटर रोड का निर्माण किया गया।

- द्वारका सैक्टर-9 के बाराखम्बा रोड-द्वारका मैट्रो लिंक को चालू किया गया और इसे सैक्टर-22 तक बढ़ाया गया। इसकी

श्री सज्जन कुमार, सांसद, श्री महाबल मिश्रा, विधायक और श्री दिनेश राय, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., द्वारका में मैट्रो विस्तार के उद्घाटन के अवसर पर

भारतीय रेल के परामर्श में जांच की जा रही हैं, क्योंकि इसे मैट्रो पैसेन्जर टर्मिनल के साथ जोड़ा जाना है।

- बक्करवाला में दि.वि.प्रा. भूमि के विकसित सम्पर्क के लिए नांगलोई-नजफगढ़ रोड से 30 मीटर चौड़े लिंक रोड को इंजीनियरिंग विंग के परामर्श में अन्तिम रूप दिया गया।
- संभाव्यता रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात सैक्टर-23, 24, 25 और 26 फेज-II के लिए इंजीनियरिंग विंग को सीमांकन योजना जारी की गई।
- सी.जी.एच.एस., स्कूलों, सामुदायिक कक्षों, डिस्पैन्सरी, धार्मिक सुविधाओं, वैकल्पिक आवासीय प्लाटों इत्यादि के लिए लगभग 38 कब्जा प्लान जारी किए गए।
- द्वारका के लिए एकीकृत भाड़ा परिसर परियोजना शुरू की गई।
- भूमि के निम्नलिखित मामलों पर कार्रवाई की गई :-

i) सैक्टर 27, 28 और 29 की शेष अनधिग्रहीत भूमि का मामला, दि.वि.प्रा. के भूमि विभाग को अधिग्रहण हेतु भेजा गया। बामनौली गाँव के राजस्व क्षेत्र के अधिग्रहण हेतु इसे अनुमोदित द्वारका उप-नगर योजना के अनुसार अधिसूचित किया गया।

ii) रोहतक रोड योजना (लगभग 556 हैक्टेयर) और द्वारका जल शोधन संयंत्र के लिए अधिग्रहण कार्यवाही शुरू की गई।

iii) द्वारका इंजीनियरिंग विंग को हाल ही में अन्तरित समस्त गांव सभा भूमि के उपयोगिता प्लान तैयार किए गए और विकास/निपटान हेतु जारी किए गए।

- द्वारका फेज-I एवं II में निपटान/योजना अपेक्षाओं के अनुसार सांस्थानिक, आवासीय, व्यावसायिक और रोड इत्यादि वाली पॉकेटों के प्लेन टेबल सर्वे पूरे किए।
- द्वारका में 7 मैट्रो स्टेशनों की योजना को तकनीकी समिति/जांच-समिति को प्रस्तुत करके डी.एम.आर.सी. की सहायता से अंतिम रूप दिया गया। प्रस्तावित लीनियर जिला केन्द्र के संबंध में इन स्टेशनों के चारों ओर विस्तृत एकीकृत परिचालन प्लान को भी अंन्तिम रूप दिया गया है और यह दि. वि.प्रा. की जांच-समिति द्वारा अनुमोदित हो गया है।
- द्वारका में तीन गांवों मुख्यत: भरतल, पोछनपुर और ढुलसीरस की योजना तीन परामर्शदाताओं की मदद से शुरू की गई है।
- सैक्टर-24, द्वारका में होटल एवं अंतर्राष्ट्रीय समागम केन्द्र की अवस्थिति को अन्तिम रूप दिया गया है।
- आई.एफ.सी. द्वारका के भाग के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क हेतु 10 हैक्टेयर के एक स्थल को अन्तिम रूप दिया गया है।
- निम्नलिखित के लिए एच.यू.पी.डब्ल्यू और द्वारका इंजीनियरिंग विंग को योजना सामग्री उपलब्ध कराई गई।

i) सैक्टर-10, द्वारका में दि.वि.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय

ii) सैक्टर-20 में भारत वन्दना पार्क।

iii) मैट्रो मार्ग के साथ लीनियर व्यावसायिक केन्द्र।

iv) सैक्टर-11 में द्वारका पर्यावास केन्द्र।

v) सैक्टर-9, 10, 22 और 19 में पैडेस्ट्रियन प्लाज़ा।

vi) सैक्टर 2 में हज हाउस।

vii) द्वारका में नसीरपुर की गांव सभा पॉकेट।

- द्वारका उप-नगर में फ्लाई ओवर/अण्डर पास परियोजना, इलैक्ट्रिसिटी रूट क्लीयरैन्स मामले और उपयोगिता/सेवाओं इत्यादि के लिए भूमि के विनिधान और जोन 'के' तथा 'एच' में आने वाले किसी क्षेत्र के लिए योजना सामग्री के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
- योजना जोन 'के' तथा 'एच' में पड़ने वाले पृथक दि.वि.प्रा. पॉकेटों और गाँव सभा भूमि के लिए नवीन अधिग्रहण, भूमि स्वामित्व स्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण, भूमि उपयोगिता प्लानों के लिए भूमि शाखा के साथ समन्वय कार्य किया गया।
- द्वारका उप-नगर के दैनिक एवं विशिष्ट मामलों और योजना जोन-'के' तथा 'एल' के शेष क्षेत्र के लिए इंजीनियरिंग विंग के साथ समन्वय किया गया।
- योजना जोन 'के' तथा 'एल' में पड़ने वाली दि.वि.प्रा. की पृथक पॉकेटों और गांव सभा भूमि के लिए अधिग्रहण, भूमि

स्वामित्व स्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण, भूमि उपयोगिता प्लानों के लिए भूमि शाखा के साथ समन्वय किया गया।

- अन्य दैनिक कार्य जैसे–न्यायालय मामले, संसद/विधान सभा प्रश्नों, शहरी विकास मंत्रालय एवं उप राज्यपाल, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पत्रों इत्यादि के उत्तर दिए गए।

9.8 रोहिणी परियोजना

- रोहिणी उप–नगर को राष्ट्रीय राजमार्ग–1 और राष्ट्रीय राजमार्ग–10 के साथ जोड़ने वाले यू.ई.आर–II (100 मी. मार्गाधिकार) की संरेखण योजना तैयार की गयी और तकनीकी समिति से अनुमोदित कराई गई।
- रोहिणी, सैक्टर–30, ब्लॉक–'ए', पॉकेट–II में 'आवासीय' भूखण्डीय समूहों के लिए ले–आउट प्लान तैयार और अनुमोदित करवाया गया।
- सैक्टर–29, ब्लॉक/पॉकेट डी–1, डी–2, डी–3 में विभिन्न आकार के अर्थात 200 वर्ग मी., 60 वर्ग मी., 32 वर्ग मी., और 26 वर्ग मी. के प्लाटों के ले–आउट प्लान तैयार किए गए और जांच–समिति के समक्ष रखे गए।
- सैक्टर–30, ब्लॉक/पॉकेट सी–1 और सी–2 के विभिन्न आकार के अर्थात 200 वर्ग मी., 60 वर्ग मी., 32 वर्ग मी, और 26 वर्ग मी. के प्लाटों के ले–आउट प्लान जांच–समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए।
- सैक्टर–34 एवं 35 फेज –IV, रोहिणी के ले–आउट प्लान तैयार किए गए और अनुमोदित कराए गए।
- सैक्टर–32, ब्लॉक/पॉकेट ए–1 और ए–2 के विभिन्न आकार के अर्थात 200 वर्ग मी., 60 वर्ग मी., 32 वर्ग मी., और 26 वर्ग मी. के प्लाटों के ले–आउट प्लान जांच–समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए।
- सैक्टर–21 में पी.एस.पी–II के लिए ले–आउट का संशोधन किया गया और जांच–समिति को प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया।
- फेज–IV एवं V, रोहिणी में अधिसूचित क्षेत्र के 3000 हैक्टेयर के भूमि उपयोग के परिवर्तन का कार्य शुरू किया गया है और मामला मंत्रालय को भेजा गया।
- गाँव पुनर्विकास योजना के माध्यम से आसपास के योजनागत विकास के साथ विद्यमान गांवों के एकीकरण का प्रस्ताव प्रारम्भ किया गया है।
- यू.ई.आर–III (80 मी. मार्गाधिकार) और अनुप्रस्थ–काट के परिवर्तन के संशोधित संरेखण को तकनीकी समिति में विचार–विमर्श करने हेतु तैयार करने के लिए शुरू किया गया है।
- योजना जोन 'एन' की क्षेत्रीय योजना की तैयारी का कार्य चल रहा है।
- फेज–IV एवं V में अधिग्रहीत भूमि के सैक्टर ले–आउट प्लानों की तैयारी चल रही है।
- फेज–IV रोहिणी (अधिग्रहीत भूमि) के अनुमोदित सैक्टर ले–आउट प्लान में उल्लिखित सुविधा पॉकेट के सब–डिवीजन प्लान की तैयारी का कार्य प्रारम्भ किया गया है।
- सैक्टर–29, रोहिणी के विभिन्न पॉकेटों के सुविधा क्षेत्रों के लिए ले–आउट प्लान तैयार किया गया और अनुमोदित कराया गया।
- अतिरिक्त आवासीय प्लाटों तथा विद्युत सब स्टेशन (220 कि. वा.) के लिए नए स्थल के लिए सैक्टर–29 के ले–आउट में संशोधन जांच–समिति ने अनुमोदित किया।
- सैक्टर–28, रोहिणी में सुविधा पॉकेटों के लिए ले–आउट की तैयारी अनुमोदित कराई गई।
- बुध विहार और विजय विहार में पहले से ही निर्मित भाग को आपस में जोड़ने के लिए 30 मीटर मार्गाधिकार के मसौदा संरेखण की तैयारी को तकनीकी समिति में विचार–विमर्श करने के लिए उठाया गया।
- शहरी विकास मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार संशोधित की जा रही जोन 'एच'और 'एम' की क्षेत्रीय विकास योजना पर कार्य चल रहा है।
- आवासीय प्लाटों के लिए कब्जे से संबंधित मामलों के 4500 से भी अधिक संदर्भों को निपटाया गया है।

श्री दिनेश राय, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., रोहिणी परियोजना को देखते हुए

9.9 नरेला परियोजना

- नरेला उप-नगर में लगभग 1000 हैक्टेयर आकार के दो पॉकेटों के विकास क्षेत्र की घोषणा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की गई।
- आई.एफ.सी. नरेला में ट्रक टर्मिनल योजना में संशोधन को जांच-समिति ने अनुमोदित किया।
- बवाना में 400 के.वी. सब-स्टेशन के पीछे सैनिटरी लैंडफिल स्थल के प्रस्ताव को उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने अनुमोदित किया।
- डी.एस.आई.डी.सी द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक क्षेत्र के 175 हैक्टेयर के ले-आउट प्लान की जांच को तकनीकी समिति ने अपनी दिनांक 24.8.2002 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया।
- सैक्टर ए-9 पॉकेट-1 का ले-आउट प्लान जांच समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
- सिंधु बार्डर से नरेला तक 60 मीटर रोड के मार्गाधिकार के संशोधन को तकनीकी समिति ने अनुमोदित किया।
- सैक्टर ए-7 में 66 के.वी. टॉवर लाइन के स्थानान्तरण को तकनीकी समिति ने अनुमोदित किया।
- नरेला परियोजना की क्षेत्रीय योजना में प्रस्तावित संशोधनों को तकनीकी समिति ने अनुमोदित किया।
- जोन पी-II की प्राथमिक प्रारूप योजना तैयार की गई और सचिव (शहरी विकास) के साथ उस पर 25.11.05 को विचार विमर्श किया गया।
- आई.एफ.सी. नरेला के ले-आउट में रोड क्रॉस सैक्शन पर तकनीकी समिति की 12.7.2005 को आयोजित बैठक में विचार विमर्श किया गया। तकनीकी समिति की सिफारिश के अनुसार डी.एस.आई.डी.सी. को परामर्श कार्य के लिए अनुबन्धित करने के लिए विचारार्थ विषय को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
- आई.एफ.सी. नरेला में कैमिकल ट्रेडर्स के स्थानान्तरण से संबंधित मामलों की जांच की जा रही है।
- मौजूदा खाद्यान्न गोदाम को आई.एफ.सी. नरेला में स्थानान्तरित करने से संबंधित मामलों पर सचिव, शहरी विकास के साथ 25.11.2005 को विचार-विमर्श किया गया।
- औद्योगिक उपयोग के लिए नए स्थल निर्धारित किए गए और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए गए।
- सैक्टर जी-8 में जे.जे. पुनर्वास प्लाटों का ले-आउट प्लान जांच समिति के समक्ष रखा गया और जांच-समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार तेहखंड परियोजना के अनुरूप स्लम बस्ती के स्व-स्थाने विकास के लिए उपयोग में लाए जाने वाली पॉकेट की मुख्य वास्तुकार द्वारा योजना तैयार की गई।
- सुविधा स्थलों, लैंड बैंक डाटा अपडेशन का कार्य भूमि निपटान शाखा को भेजा गया।
- ग्रामीण क्षेत्र/हरित पट्टी में 6 पैट्रोल पम्प स्थलों के मामलों की जाँच की गई एवं उन पर कार्रवाई की गई और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए।
- यमुना नदी तट से जे.जे. समूह के पुनः-स्थान निर्धारण के लिए 2 पाकेटों हेतु ले आउट प्लान तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
- आवास, पुलिस पोस्ट और सुविधा बाजार हेतु सैक्टर ए-9, पाकेट-1 का पार्ट ले-आउट प्लान तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
- नरेला परियोजना के बचे हुए पाकेटों को विकास क्षेत्र के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को प्राधिकरण ने अनुमोदित किया और सचिव, भूमि एवं भवन को अन्तिम अधिसूचना हेतु भेजा गया।
- प्रारूप क्षेत्रीय विकास योजना तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित की गई और प्राधिकरण तथा मंत्रालय को अन्तिम अधिसूचना हेतु भेजी गई।
- सिंघु बार्डर के पास गुरू तेग बहादुर स्मारक के प्रस्ताव की जांच की गयी और तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित की गई।
- जिला जेल-स्थल के सैक्टर ए-1 - ए-4 से सैक्टर बी-8 में पुनर्स्थान निर्धारण को तकनीकी समिति ने अनुमोदित किया और भूमि विभाग को भेजा गया।
- तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए ज़ोन पी-2 की क्षेत्रीय योजना को तैयार किया गया है।
- जी.टी. करनाल रोड से कैमिकल ट्रेडर्स योजना तक 60 मीटर मार्गधिकार लिंक रोड बनाई गई।
- 80 मी. और 100 मी. मार्गाधिकार की विस्तृत रोड विकास योजना की तैयारी की गई। शहरी विस्तार रोड-। एवं ।। की जांच की गई।

9.10 भवन अनुभाग

क्र. सं.	इकाई	स्वीकृत	बी-1	अस्थायी	एन.ओ.सी/ओ.सी.	पुनर्वैधीकरण
1.	आवासीय	441	226	-	303	10
2.	रोहिणी	538	52	19	98	01
3.	व्यावसायिक	101	49	-	65	06
4.	औद्योगिक	28	01	-	10	04
5.	सांस्थानिक	62	20	01	37	03
6.	ले आउट/सी.जी.एच.एस.	31	19	24	22	01
	कुल	1201	367	44	535	25

9.10.1 : 1.4.05 से 31.3.06 तक प्राप्त राजस्व:

7,87,97,888.00 रूपये (7 करोड़, सत्तासी लाख, सत्तानवे हज़ार आठ सौ अठ्ठासी रु.) का राजस्व प्राप्त हुआ।

9.11 आवास एवं शहरी परियोजना विंग

आवास एवं शहरी परियोजना विंग, दि.वि.प्रा. की सभी भवन गति-विधियों की योजना एवं डिज़ाइन तैयार करने के साथ-साथ आवास, व्यावसायिक एवं अन्य विविध कार्यकलापों जैसे: - विरासत, खेल परिसर, सामुदायिक हॉलों एवं विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियाँ लगाने का कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। अधिकतर आवासीय परियोजनाओं और सामुदायिक केन्द्रों के स्तर तक की व्यावसायिक परियोजनाओं का कार्य अधिकतर अपने यहाँ ही किया जाता है। कभी-कभी आवासीय, सामुदायिक केन्द्रों और जिला केन्द्रों का कार्य निजी परामर्शदाताओं को सौंपा जाता है। सभी योजनाएँ जांच समिति, दिल्ली नगर कला आयोग (डी.यू.ए.सी.) से पहले अनुमोदित कराई जाती है।

अप्रैल 2005 से मार्च 2006 तक जांच समिति की 9 बैठकें आयोजित की गई और इन बैठकों में 152 मदों पर चर्चा की गई।

9.11.1 एच.यू.पी.डब्ल्यू 2005-2006 में शुरू की गई परियोजनाएं

ज़ोन	आवासीय आ.ई. की कुल संख्या	व्यावसायिक				विविध : खेल सामुदायिक हाल, विरासत उन्नयन, एमएल.पी., बी.ओ.टी. इत्यादि
		जि.केन्द्र	स.सदन	स्थानीय बा.	सु.बाजार	
दक्षिण क्षेत्र	3127	5	2	2	-	2 खेल परिसर, 6 विरासत परियोजनाएं 2 सामुदायिक हाल, 7 बी.ओ.टी. एवं 2 एम.एल.पी.
उत्तर क्षेत्र	2122	4	4	-	-	परिवहन केन्द्र, निगम बोध घाट, जामा मस्जिद, हज आउस, खेल, गोल्फ कोर्स, क्रिकेट पविलियन, बैडमिन्टन कोर्ट एवं मल्टीजिम
पश्चिमी क्षेत्र और द्वारका	पश्चिम क्षेत्र-शून्य	3-प.क्षे.	1-प.क्षे.	शून्य-प.क्षे.	शून्य-प.क्षे.	विकास मीनार का उन्नयन
	1568 + 750 टर्न-की (द्वारका)	1-द्वारका	2-द्वारका	2-द्वारका	2-द्वारका	
रोहिणी एवं नरेला क्षेत्र	12180 एल.आई.जी. और एम.आई.जी.	2	4	-	3	5 सामुदायिक हाल, 2 सामुदायिक टॉयलैट्स 1 बी.ओ.टी., 1 एरोबिक एवं छोटे बच्चों के लिए स्वीमींग पूल, दि.वि.प्रा. भवन
पूर्वी क्षेत्र	180 एल.आई.जी.	1सी.बी.डी. 2 डी.सी.	6	6	4	जिम बिल्डिंग, स्वीमिंग पूल, स्कवॉश कोर्ट कवर्ड बैडमिन्टन कोर्ट और राष्ट्रमंडल खेल गाँव

9.11.2 एच.यू.पी.डब्ल्यू. का तुलनात्मक कार्य निष्पादन (वर्ष 2005-06 पिछले वर्ष 2004-2005 के साथ)

वर्ष	आवासीय	व्यावसायिक				विविध परियोजनाएँ					
	आ.ई. की कुल संख्या	जिला केन्द्र	समाज सदन	स्थानीय बाजार	सुविधा बाजार	विरासत	खेल परिसर	सामुदायिक हाल	बहुमंजिली पार्किंग	बी.ओ.टी. टायलैट्स एवं सुलभ शौचा.	अन्य* विविध
2004-05	24023	15	14	8	2	4	8	13	1	7+2	6
2005-06	20000	18	19	10	9	6	9	7	2	8+2	5

अन्य विविध: विकास मीनार, निगम बोध घाट, दि.वि.प्रा. कार्यालय भवन, परिवहन केन्द्र और पैदल पथ प्लाजा इत्यादि का सुधार।

9.11.3 आवास

1. **वसुन्धरा सी.जी.एच.एस. में 180 एल.आई.जी. आवास:** योजना जांच समिति द्वारा अनुमोदित। सीढ़ियों की संशोधित ड्राइंग और क्लस्टर विवरण तैयार किया गया।
2. **कोंडली विस्तार में ई.डब्ल्यू. एस. आवास:** ले आउट प्लान जांच-समिति द्वारा अनुमोदित कराया गया। ई.डब्ल्यू.एस. मकानों के लिए मानक डिज़ाइन अनुमोदित कराई गई।
3. **द्वारका सैक्टर 18-बी में 508 एच.आई.जी. बहु मंजिले आवास:** इंजीनियरों का विकास प्लान जारी किया।
4. **सैक्टर 19-बी में 440 एच.आई.जी. बहु मंजिले आवास:** इंजीनियरों को विकास प्लान जारी किया।
5. **एम.एल.यू. पाकेट-4, सैक्टर-11, द्वारका में 620 एल. आई.जी. आवास:** समन्वय।
6. **सैक्टर 14 में 750 एल.आई.जी. आवासीय इकाई:** वास्तुकलात्मक ड्राइंग/विवरण अनुमोदित, स्थल समन्वय।
7. **मुखर्जी नगर में 336 आवासीय इकाइयाँ - बहु मंजिले एच.आई.जी. आवास :** दिल्ली नगर कला आयोग/सी.एफ. ओ. से अनुमोदित। विस्तृत अनुमान के लिए ड्राइंगें जारी।
8. **शाहीपुर शालीमार बाग में 70 आवासीय इकाइयाँ - एल. आई.जी. आवास:** जांच समिति द्वारा अनुमोदित, संरचनात्मक ड्राइंग अद्यतन की गई।
9. **कल्याण बिहार में 80 एम.आई.जी., 64 ई.डब्ल्यू.एस. /जनता आवास:** जांच समिति द्वारा अनुमोदित, इंजीनियरिंग शाखा को संशोधित ले-आउट जारी किया गया।
10. **अशोक नगर, फैज रोड में, 112 एल.आई.जी., 20 एम. आई.जी. 16 दुकाने:** जांच समिति द्वारा अनुमोदित। संरचनात्मक डिजाइन के लिए सी.डी.ओ. को ड्राइंगें जारी की गई।
11. **शालीमार बाग पाकेट-आई, ब्लाक सी एण्ड डी में 560 आवासीय इकाइयाँ-एस.एफ.एस. आवास:** 160 मकान आबंटन के अधीन हैं और स्थल पर श्रेणी I एवं II के सैम्पल फ्लैट बनाए गए।
12. **धीरपुर शहरी फॉर्म आवासीय, व्यावसायिक, सांस्थानिक और मनोरंजनात्मक घटक:** जांच समिति और दिल्ली नगर कला आयोग से अनुमोदित कराए गए।
13. **शालीमार बाग ब्लाक ए/डी में 648 आवासीय इकाईयाँ-एस. एफ.एस.:** निर्माणाधीन।
14. **मोतिया खान में 144 आवासीय इकाइयों की बहुमंजिली आवासीय योजना:** ब्लॉक का निर्माण/फिनिशिंग कार्य चल रहा है। नया ब्लॉक दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।
15. **सेक्टर 9-ए, जसोला में स्व वित्त आवास :** 400 आ.ई. (लगभग) प्रस्ताव को केन्द्रीय डिजाइन कार्यालय (सीडीओ) के नए मानदंडों के कारण संशोधित किया गया और उसके बाद उसे सीडीओ तथा इंजीनियरिंग विभाग को भेजा गया, अग्निशमन विभाग से स्वीकृति प्राप्त की गई।
16. **330 आ.इ., 2 कमरों के लाउन्ज आवास, सेक्टर-10 बी, जसोला :** दो कमरों के लाउन्ज क्लस्टर, पाँच मंजिले यूनिट

नरेला स्थित म.आ.व. फ्लैट

क्लस्टर के नए डिजाइन पर आधारित ले आउट को संशोधित किया गया और ले आउट प्लान को जाँच समिति से अनुमोदित कराया गया तथा ड्राइंगें इंजीनियरिंग विभाग को जारी की गईं ताकि आगे सीडीओ से संमन्वय किया जा सके।

17. **220 आ.इ. (लगभग), लाडो सराय में गोल्फ कोर्स के सामने दो कमरे+लाउन्ज आवास :** नए डिजाइन पर आधारित दो कमरे+लाउन्ज क्लस्टर, 5 मंजिले यूनिट क्लस्टर आवासों का ले आउट प्लान संशोधित किया गया और ले आउट प्लान जाँच समिति द्वारा अनुमोदित कराया गया तथा ड्राइंगें इंजीनियरिंग विभाग को जारी की गईं।

18. **मोलड़बंद में दो कमरे के आवास+लाउन्ज :** अस्पताल स्थल की व्यवस्था करने के लिए मोलड़बंद की संरचना योजना को संशोधित किया गया और एक पॉकेट में आवास-कार्य आरंभ किया गया तथा जाँच समिति से अनुमोदित कराकर इंजीनियरिंग विभाग को भेजा गया।

19. **तेहखंड में स्वस्थाने पुनर्वास परियोजना, पब्लिक-प्राइवेट साझा मॉडल (नया आवास) :** ले आउट जाँच समिति द्वारा अनुमोदित किया गया और दिल्ली नगर कला आयोग को प्रस्तुत किया गया। व्यवहार्यता हेतु ड्राइंगें जारी की गईं। नीति परिवर्तन के कारण आवास प्रक्रिया रोकी गई। अब स्वस्थाने पुनर्वास परियोजना हेतु उस स्थल को डिजाइन किया जा रहा है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर नीलामी के लिए रखा जा रहा है।

20. **डी-6, वसंत कुंज के निकटस्थ दो कमरे की 860 आ.ई. +लाउन्ज :** दो कमरे+लाउन्ज क्लस्टर, 5 मंजिलों के नए डिजाइन पर आधारित आवासों का ले-आउट संशोधित किया गया। जाँच समिति से यूनिट समूह और ले-आउट प्लान अनुमोदित कराया गया तथा इंजीनियरिंग विभाग को ड्राइंगें जारी की गईं।

रोहिणी स्थित नि.आ.व. फ्लैट

21. **सेक्टर बी, पॉकेट-2, वसंत कुंज में 160 आ.ई. के स्व वित्त योजना आवास :** सभी वास्तुकलात्मक ड्राइंगें निष्पादन हेतु इंजीनियरिंग विभाग को जारी की गईं।

22. **मेगा आवास और रिज लाइन, सुल्तानगढ़ी, वसंत कुंज के मध्य में 2 हैक्टेयर अतिरिक्त स्थल पर म.आ.व. की 268 और नि.आ.व. की 94 आ.इ. के मकान :** ले-आउट प्लान जाँच समिति से अनुमोदित कराया गया, सभी स्थानीय निकायों का अनुमोदन माँगा गया, मुख्य अभियंता (सीई) दि. ज.बो. के अनुमोदन हेतु प्रयास कर रहे हैं।

23. **सुल्तानगढ़ी के निकट टर्न-की आधार पर नि.आ.व., म. आ.व. और उ.आ.व. आवासों की 795 आ.इ. :** भूमि उपयोग का परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया। जाँच हेतु इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ड्राइंगे प्रस्तुत की गईं। टिप्पणियाँ और सुझाव इंजीनियरिंग विभाग को पहले ही भेजे जा चुके हैं। कार्य प्रगति पर है।

24. **1660 नि.आ.व. आवास, सेक्टर-28, ग्रेड-I, फेज-IV, रोहिणी :** आवासों का निर्माण किया जा रहा है। सभी कार्यशील ड्राइंगें इंजीनियरिंग विभाग को भेज दी गई हैं। स्थल अभियंताओं के साथ समन्वय कार्य किया गया।

25. **1080 नि.आ.व. आवास, सेक्टर-28, ग्रेड-3, फेज-4, रोहिणी :** आवास निर्माणाधीन हैं। कार्य-निष्पादन की प्रगति के साथ समन्वय कार्य चल रहा है।

26. **1380 नि.आ.व. आवास, सेक्टर-28, ग्रेड-3, फेज-4, रोहिणी :** आवास निर्माणाधीन हैं। कार्य-निष्पादन की प्रगति के साथ समन्वय कार्य चल रहा है।

27. **830 म.आ.व. आवास, सेक्टर-28, ग्रेड-3, फेज-IV, रोहिणी :** आवास निर्माणाधीन हैं। कार्य-निष्पादन की प्रगति के साथ समन्वय कार्य चल रहा है।

28. **680/400 नि.आ.व. आवास, सेक्टर-16, ब्लॉक 'जे' रोहिणी :** बाहरी फिनिश-विकास कार्य आदि से संबंधित कुछ कार्यशील ड्राइंगें तैयार की जा रही हैं। कार्य-निष्पादन की प्रगति के साथ समन्वय कार्य चल रहा है।

29. **680/400 नि.आ.व. आवास, सेक्टर-29, ग्रेड-4, फेज-IV, रोहिणी**—परियोजना के निर्माण हेतु आधारिक ड्राइंगें जारी कर दी गई हैं लेकिन कार्य रूका पड़ा है।

30. **630 नि.आ.व. आवास, सेक्टर-18, पॉकेट-3, ब्लॉक-ई, रोहिणी :** निर्माण पूरा हो गया है।

31. **1260 नि.आ.व., ग्रेड-I, सेक्टर-बी-2, नरेला :** शेष कार्य हेतु समन्वय-कार्य।

32. **1160 नि.आ.व., ग्रेड-II, सेक्टर-बी-2, नरेला :** शेष कार्य हेतु समन्वय-कार्य।

33. **660/440 नि.आ.व. आवास सेक्टर-18, ब्लॉक-ई, रोहिणी:** निर्माणाधीन, समन्वय कार्य।

34. **200 (170) नि.आ.व./डी.डब्ल्यू.एस, सेक्टर-18-ई, रोहिणी :** निर्माणाधीन

35. **एम.एस. आवास, सेक्शन-29, रोहिणी :** कार्यशील ड्राइंगें संशोधनाधीन।

9.11.4 व्यावसायिक

(क) जिला केन्द्र

1. **सीबीडी शाहदरा :** 2 होटल प्लाट नीलामी हेतु रखे गये।
2. **मयूर विहार :** 2 होटल प्लाट नीलामी हेतु रखे गए, होटल प्लाटों में संशोधन को जाँच समिति से अनुमोदित कराया गया, नाले को कवर करने के लिए स्कीम तैयार की गई।
3. **शास्त्री पार्क :** होटल प्लाट नीलामी हेतु रखे गए, पार्ट ले-आउट प्लान तैयार किया गया।
4. **लक्ष्मी नगर :** 9'0'' एलवीएल पिआजा के अन्तर्गत स्टॉल ड्राइंग, कनैक्टिंग ब्रिज की तैयारी।
5. **द्वारका :** एकीकृत यातायात प्रबंधन योजना सहित शहरी डिजाइन स्कीम जाँच समिति से अनुमोदित कराई गई। स्कीम अनुमोदनार्थ दि.न.क.आ. को प्रस्तुत कर दी गई है, 4 होटल प्लाट व्यावसायिक भूमि शाखा को भेजे गए।
6. **जनकपुरी :** मल्टी लेवल पार्किंग प्लॉट हेतु संशोधित प्रस्ताव जाँच समिति से अनुमोदित कराया गया, प्लॉट निपटान हेतु प्रस्तुत किया गया।
7. **पश्चिम विहार :** व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रस्ताव संबंधित विभाग के परामर्श से आरंभ किया जा रहा है। होटल प्लाट निपटान हेतु व्यावसायिक भूमि शाखा को प्रस्तुत किया जा रहा है।
8. **राजेंद्र प्लेस :** पार्किंग लॉट-डी हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया और निष्पादन के लिए भेजा गया। प्लाट नं. 23 के वास्तुकलात्मक नियंत्रण प्लाट के निपटान हेतु व्यावसायिक भूमि शाखा को प्रस्तुत किए गए।
9. **रोहतक रोड :** संकल्पनात्मक डिजाइन तैयार की गई हैं।
10. **शालीमार बाग :** होटल स्थलों को नीलामी हेतु भूमि शाखा को भेजा गया।
11. **वजीरपुर :** होटल स्थलों को नीलामी हेतु भूमि शाखा को भेजा गया।
12. **खैबर पास :** संकल्पनात्मक डिजाइन तैयार की जा रही हैं।
13. **नेहरू प्लेस, जिला केंद्र फेज-II, (क्षेत्रफल = 10.6 हैक्टेयर, प्लाटों की संख्या = 8) :** दिल्ली नगर कला आयोग का अनुमोदन प्रतीक्षित है।
14. **अश्रेणीबद्ध व्यावसायिक केंद्र जसोला, (जिला केन्द्र) स्थल क्षेत्रफल-18.2 हैक्टे., प्लाटों की सं. = 14) :** सभी अनुमोदन प्राप्त हो गए हैं। 70%, प्लाटों की नीलामी की जा चुकी है। सेवा केन्द्र से होकर जाने वाली 30मी. चौड़ी सड़क का प्रस्ताव जाँच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
15. **शॉपिंग मॉल वसंत कुंज फेज-II, (क्षेत्रफल = 19.13 हैक्टे., प्लाटों की सं. = 14) :** होटल, सर्विस अपार्टमेंट और बहु-स्तरीय पार्किंग के सम्मिलन हेतु ले-आउट प्लान में संशोधन जाँच समिति की बैठक में अनुमोदित कर दिया गया।
16. **साकेत जिला केन्द्र, (कुल क्षेत्रफल = 21.4 हैक्टे., प्लाटों की कुल सं. = 21) :** सभी विक्रेय प्लाटों को नीलामी हेतु आयुक्त (भूमि निपटान) को भेजा गया, 8 प्लाटों की नीलामी कर दी गई है। 90%, कार्य पूरा किया गया।
17. **नेहरू प्लेस फेज-I, का उन्नयन :** ड्राइंगें निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग विभाग को भेजी गईं। कार्य चल रहा है।

जनकपुरी जिला केन्द्र का दृश्य

18. **भीकाजी कामा प्लेस का सुधार कार्य :** 90% कार्य पूरा है। बहु-स्तरीय पार्किंग, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक और पुलिस चौकी के प्लॉट जाँच समिति द्वारा अनुमोदित किये गये।
19. **ट्विन जिला केन्द्र, रोहिणी :** 3 प्लॉट बेच दिए गए हैं। प्लॉटों की नियंत्रण–ड्राइगें निपटान की प्रक्रिया में है।
20. **जिला केन्द्र, मंगलम प्लेस :** संशोधन के बाद होटल प्लाटों को निपटान हेतु भूमि विभाग को भेज दिया गया है।

(ख) समाज सदन

1. **यमुना विहार :** प्लाटों की छानबीन।
2. **आनंद विहार :** ले-आउट प्लान जाँच समिति से अनुमोदित कराया गया।
3. **कड़कड़डूमा :** 2 प्लाटों की नीलामी की गई।
4. **मंडावली फाजलपुर–निकट इंजीनियर्स अपार्टमेंट :** स्कीम तैयार की जा रही है।
5. **मंडावली फाजलपुर–निकट उत्सव ग्राउन्ड :** स्कीम अनुमोदनार्थ दि.न.क.आ. को प्रस्तुत की गई।
6. **विवेक विहार :** दि.न.क.आ. को प्रस्तुत करने हेतु रिपोर्ट तैयार की गई।
7. **द्वारका सेक्टर-4 :** ड्राइंगें चरण-II पर दि.न.क.आ. द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं।
8. **द्वारका सेक्टर-6 :** ड्राइंगें जाँच समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। संकल्पनात्मक स्तर पर इन्हें दि.न.क.आ. को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है।
9. **सी.सी. रोड नं. 44, 42, मोतिया खान एवं के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा :** स्थल विकास कार्य चल रहा है।
10. **सी.सी. शालीमार बाग ब्लाक-ए :** व्यावसायिक स्थल एक यूनिट के रूप में नीलामी हेतु भेजा गया।
11. **सी.सी. शालीमार बाग, ब्लॉक-बी :** प्लाट नं. 10 नीलामी हेतु भेजा गया।
12. **सी.सी. शालीमार बाग, मोतिया खान :** होटल स्थलों को नीलामी हेतु भूमि शाखा को भेजा गया।
13. **सी.सी. अलकनंदा कालकाजी (क्षेत्रफल 3.3 हैक्टे. प्लाटों की सं. 10) :** संकल्पनात्मक ले-आउट प्लान जाँच समिति की 236वीं बैठक में अनुमोदित कराया गया और उसे दि.न.क.आ. के पास अनुमोदनार्थ भेजा गया। दि.न.क.आ. की टिप्पणी के अनुसार यातायात एवं परिवहन का अध्ययन करने हेतु यातायात परामर्शदाता को नियुक्त किया जा रहा है और अनुमोदनार्थ दि.न.क.आ. को इसे पुन: भेजा जाएगा।
14. **सी.सी. ओखला फेज-I :** संकल्पनात्मक ले-आउट प्लान जाँच समिति की 236वीं बैठक में अनुमोदित कराया गया और इसे अनुमोदनार्थ दि.न.क.आ. को भेजा गया। होटल प्लॉट को अनुमोदित किया गया और निपटान हेतु भूमि विभाग को भेजा गया। इस प्रस्ताव पर दि.न.क.आ. की टिप्पणियों को शामिल किया गया तथा दि.न.क.आ. को इसे पुन: अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
15. **सेक्टर-7, रोहिणी :** स्कीम को दि.न.क.आ. की टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए अंतिम अनुमोदनार्थ संशोधित किया जा रहा है।
16. **सेक्टर-15, रोहिणी :** प्रस्ताव को संशोधित किया जा रहा है ताकि दि.न.क.आ. की टिप्पणियों को शामिल किया जा सके।
17. **सेक्टर-16, रोहिणी :** स्कीम को अंतिम अनुमोदनार्थ संशोधित किया गया और दि.न.क.आ. को पुन: प्रस्तुत किया गया।
18. **सेक्टर-22, रोहिणी :** जाँच समिति ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और एक इकाई के रूप में नीलामी हेतु भूमि विभाग को भेजा गया।

नेहरू प्लेस, जिला केन्द्र का दृश्य

(ग) स्थानीय बाजार

1. **कोंडली घरौली क्षेत्र :** स्थल दशाओं के कारण ले-आउट प्लान संशोधित किया गया। दो प्लाटों की नीलामी की गई।
2. **मंडावली फाजलपुर–निकट प्रिंस सीजीएचएस :** 12 प्लाटों की नीलामी की गई।
3. **वसुंधरा सीजीएचएस :** स्कीम जाँच समिति के लिए तैयार की जा रही है।

4. **वसुंधरा सीजीएचएस निकट पवित्रा :** शौचालय/दरवाजों/खिड़कियों का ब्यौरा तैयार किया गया।
5. **खिचड़ीपुर :** कोल डिपो के 2 प्लाटों को जाँच समिति से अनुमोदित कराया गया। आयुक्त (भूमि) द्वारा आवंटन हेतु भेजे गए।
6. **पश्चिम त्रिलोकपुरी :** 2 प्लाटों की नीलामी की गई।
7. **द्वारका में विभिन्न स्थानीय बाजारों के 10 प्लाटों के वास्तुकलात्मक नियंत्रण :** तैयार किए गए और निपटान हेतु अग्रेषित किए गए।

विरासत स्थल : कुतुब मीनार

8. **द्वारका, सेक्टर-8 में स्थानीय बाजार :** एक एकल यूनिट डिस्पोजल प्लॉट के रूप में नियोजित, प्लॉट का एक भाग ऑटो सर्विस दुकानों के रूप में नियोजित। एकल यूनिट प्लॉट निपटान हेतु व्यावसायिक भूमि शाखा को भेजा जाएगा।
9. **पश्चिम विहार, बीजी-I और बीजी-II के बीच में स्थानीय बाजार :** विकास नियंत्रण मानकों और एक एकल यूनिट के रूप में निपटान हेतु ले-आउट प्लान जाँच समिति से अनुमोदित कराया गया। नियंत्रण शर्तों को अंतिम रूप दिया गया और प्लॉट एकल यूनिट के रूप में निपटान हेतु अग्रेषित किया गया।
10. **बारापुला नाला पर स्थानीय बाजार :** जाँच समिति द्वारा अनुमोदित कराया गया।
11. **वसंत कुंज में 2 स्थानीय बाजार :** स्कीमों पर जाँच समिति की बैठक में चर्चा की गई और तद्नुसार स्थल का निरीक्षण किया गया, जाँच-समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
12. **रोहिणी, फेज-III, एवं-IV में 8 स्थानीय बाजार :** स्थलों की योजना और डिजाइन तैयार की जा रही है।

(घ) सुविधा बाजार

1. **यमुना विहार बी-5 :** जाँच समिति हेतु स्कीम तैयार की गई।
2. **बालाजी अस्पताल के निकट :** जाँच समिति हेतु स्कीम तैयार की गई।
3. **मिश्रित सेक्टर कोंडली घरौली :** प्लॉट एकल यूनिट के रूप में नीलाम किया गया।
4. **सैक्टर-14 में सुविधा बाजार :** जाँच समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
5. **सैक्टर-18 बी में सुविधा बाजार :** जाँच समिति के निर्देशानुसार संशोधन किया गया, स्थल पर कार्यान्वयन हेतु अभियंताओं को ड्राइंग जारी की गई।
6. **सैक्टर-I, रोहिणी (अवंतिका) में सुविधा बाजार :** जाँच समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदित कर दिया गया है और आगे कार्रवाई हेतु इसे इंजीनियरिंग विभाग को भेज दिया गया है।
7. **सैक्टर-21, रोहिणी में सर्विस-दुकानों सहित सुविधा बाजार :** क्षेत्र को, सर्विस शॉप्स के लिए छोड़ने के बाद, स्कीम को एक यूनिट के रूप में निपटान हेतु जाँच समिति ने अनुमोदित कर दिया है, स्कीम के निष्पादन हेतु सर्विस दुकानों की ड्राइंगें इंजीनियरिंग विभाग को भेज दी गई हैं।
8. **सैक्टर-21, रोहिणी में सर्विस दुकानों सहित 2 सुविधा बाजार :** क्षेत्र को सर्विस शॉप्स हेतु छोड़ने के बाद, स्कीम को एकल यूनिट के रूप में निपटान के लिए जाँच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। सर्विस शॉप्स की ड्राइंगें स्कीम के निष्पादन हेतु इंजीनियरिंग विभाग को भेज दी गई हैं।
9. **रोहिणी, फेज-III, एवं-IV में 24 सुविधा बाजार :** स्थलों को नियोजित और डिजाइन किया जा रहा है। एक या दो सुविधा बाजारों को प्रतिमाह जाँच-समिति से अनुमोदित कराया गया।

(ङ) विरासत परियोजनाएँ

1. **पुरातात्विक पार्क, महरौली :** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पार्क में विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र सुझावों सहित प्राप्त हो गया है। सुलभ शौचालय का प्रावधान किया गया है। मेटकाफ तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और इटैक द्वारा पुनः स्थापन कार्य चल रहा है। फलोद्यान में वृक्षारोपण पूरा हो चुका है।
2. **सुल्तानगढ़ी का एकीकृत संरक्षण एवं इसके अहाते का नगर डिजाइन प्लान :** भू-दृश्यांकन परामर्शदाता ने भूदृश्यांकन के प्रारंभिक अनुमान का विवरण प्रस्तुत कर दिया है, जिसे

मुख्य अभियंता (द.प.क्षे.) द्वारा वित्त सदस्य कार्यालय को अनुमोदनार्थ भेज दिया गया है। इंटैक-दिल्ली चैप्टर ने सुल्तानगढ़ी के चारों ओर 4 खंडहरों में बहाली कार्य आरंभ कर दिया है, अब यह कार्य पूरा हो चुका हैं।

3. **गार्डन झरना, महरौली का पुनरुद्धार :** महरौली पुरातात्विक पार्क की एक उप-परियोजना आरंभ की गई है। चयनित परामर्शदाता ने अनुमोदनार्थ प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत कर दिया है और फेज-I के लिए परामर्शदाता से अनुबंध पर हस्ताक्षर हेतु प्रशासनिक अनुमोदन माँगा जा रहा है।
4. **ऐंग्लो-अरैबिक स्कूल, अजमेरी गेट का संरक्षण :** आंतरिक प्रांगण, तहखाना का पुनर्रुद्धार जैसे कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रवेश लॉबी में प्रस्तावति निरुपण केन्द्र में कार्य चल रहे हैं। डीयूएचएफ की बैठक के अनुसार अग्रप्रांगण की पुन: डिजाइन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।
5. **ओल्ड स्टीफन कॉलेज भवन, कश्मीरी गेट का संरक्षण:** एचसीसी, दि.न.क.आ. को किए गए प्रस्तुतिकरण के अनुसार- अनुमोदन न मिलने के कारण अभी कार्य आरंभ किया जाना है। इस परियोजना के लिए दि.वि.प्रा. ही एक परामर्शदाता है, पी.डब्ल्यू.डी. को इसे लागू करना है।
6. **रिडेम्पशन चर्च रोड का कैथेड्रल चर्च :** स्थल मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप के निर्धारित क्षेत्र हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। इसके आधार पर चर्च प्राधिकरण से प्रारंभिक अनुमान माँगा गया है।

(च) खेल परिसर

1. **भलस्वा गोल्फ कोर्स :** डिजाइन तैयार की जा रही है।
2. **क्रिकेट पैविलिअन, आरएसकेपी पीतपमुरा :** स्कीम संशोधित की गई और संशोधित ड्राइंगें इंजीनियरिंग विभाग को भेजी गईं।
3. **बैडमिंटन हॉल एवं मल्टी जिम, अशोक विहार :** प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
4. **मंदाकिनी के निकट खेल परिसर :** सुविधा भवन, रैस्टोरेंट और पैविलिअन को जाँच समिति की बैठक में अनुमोदित कराया गया और प्रारंभिक अनुमान हेतु मुख्य अभियंता को अग्रेषित किया गया।
5. **वसंत कुंज, सैक्टर-डी, पॉकेट-2 में खेल परिसर :** सुविधा ब्लॉक सहित संशोधित ले-आउट प्लान अनुमोदनार्थ निदेशक, खेल को भेजा गया।

(छ) विविध परियोजनाएँ :-

1. **बैंक एनक्लेव में जिम भवन :** अनुमान हेतु ड्राइंगें भेजी गईं।
2. **चिल्ला में तरण-ताल :** विवरण सहित ड्राइंगें प्राप्त की गईं।
3. **म.आ.व. आवास, कोंडली घरौली, चिल्ला एफ सेंटर, कोडली, मंडावली फाजलपुर में समाज सदन :** स्थान हेतु पार्ट ले आउट प्लान तैयार किया गया।
4. **कोंडली एक्सटेंशन में पुनर्वास कॉलोनी :** शौचालय ड्राइंगें तैयार की गईं।
5. **सीमापुरी जी.टी. रोड पर उप मार्ग (सबवे) :** संकेतक विवरण, वाल क्लैडिंग, फ्लोरिंग पैटर्न, रेलिंग डिटेल।
6. **राष्ट्रमंडल खेल गाँव :** ले-आउट प्लान तैयार किया गया।
7. **सीरी फोर्ट में स्क्वाश कोर्ट/कवर्ड बैडमिंटन कोर्ट :** नागर विमानन विभाग से स्वीकृति ली गई, स्कीम तैयार की गई।
8. **द्वारका, सैक्टर-10 में पैडेस्ट्रियन प्लाजा :** डिजाइन पूरी की गई। जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।
9. विकास मीनार और इसके आस-पास के क्षेत्र को सुधारने के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। तहखाने के उन्नयन का प्रस्ताव जाँच समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। कार्यान्वयन हेतु ड्राइंग जारी की गई।
10. **परिवहन केन्द्र, तिमारपुर सुविधा केन्द्र :** सुविधा-प्लाटों हेतु संकल्पनात्मक डिजाइन तैयार किया गया।
11. **निगमबोध घाट, श्मशान भूमि :** पूरा होने वाला है।
12. **महाराजा सूरजमल, नांगलोई (श्मशान भूमि) :** डिजाइन जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सीरी फोर्ट खेल परिसर में तैराकी का आनन्द लेते हुए बच्चे

13. **जामा मस्जिद :** जामा मस्जिद एस्टेट में भू-दृश्यांकन-विवरण सहित विकास योजना अधिकांशत: स्थल पर निष्पादित की गई।

14. **हज हाउस :** डिजाइन स्कीम तैयार की गई।

15. **बहाई मंदिर के पास बहु-स्तरीय पार्किंग एवं इस्कॉन मंदिर (आस्था कुंज) के पास पार्किंग लॉट :** ले आउट प्लान जाँच समिति द्वारा अनुमोदित कराया गया और बहाई मंदिर के विस्तृत ले-आउट प्लान निष्पादन हेतु इंजीनियरिंग विभाग को भेजे गए।

16. **मदनपुर खादर पुनर्वास कॉलोनी में 2 समाज सदन :** जाँच समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया।

17. **विद्यमान व्यावसायिक केंद्रों में 7 बीओटी शौचालय :** ले-आउट प्लान में बीओटी शौचालयों का स्थान निर्धारण एवं शौचालयों के विस्तृत डिजाइन जाँच समिति द्वारा अनुमोदित कराए गए और निष्पादन हेतु इंजीनियरिंग विभाग को जारी किए गए।

18. **युसूफ सराय मल्टी लेवल पार्किंग :** जाँच समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया और निर्णयानुसार पेट्रोल पंप स्थल संशोधित लेआउट प्लान तैयार किया जाना है। आयुक्त, भूमि निपटान पेट्रोल की लीज रद्द करने के लिए इस मामले पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लीज समाप्त हो चुकी है।

19. **शॉपिंग आर्केड और बैंक्वेट हॉल, सैक्टर-3, रोहिणी :** समन्वय कार्य। निर्माण लगभग पूरा हो गया है।

20. **मांगे राम पार्क, सैक्टर-23, रोहिणी में समाज सदन :** निर्माणाधीन, ड्राइंगें तैयार की गईं और जाँच समिति की बैठक में अनुमोदित की गईं। कार्य-निष्पादन हेतु सभी ड्राइंगें स्थल अभियंताओं को भेज दी गई हैं। स्थल पर कार्य की प्रगति के अनुसार इंजीनियरों के साथ समन्वय कार्य।

चिल्ला खेल परिसर में एरोबिक सेंटर

21. **नाहरपुर गाँव, सैक्टर-7, रोहिणी में समाज सदन :** निर्माणाधीन, ड्राइंगें तैयार की गईं और जाँच-समिति में अनुमोदित कराई गई। कार्य-निष्पादन के लिए सभी ड्राइंगें स्थल अभियंताओं को भेज दी गई हैं। स्थल पर कार्य की प्रगति के अनुसार अभियंताओं के साथ समन्वय कार्य।

22. **गाँव बादली, सैक्टर-19 रोहिणी में समाज सदन :** निर्माणाधीन, ड्राइंगें तैयार की गईं और जाँच समिति में अनुमोदित कराई गईं। कार्य-निष्पादन हेतु सभी ड्राइंगें स्थल अभियंताओं को भेज दी गई हैं। स्थल पर कार्य की प्रगति के अनुसार इंजीनियरों के साथ समन्वय कार्य।

23. **भोरगढ़, नरेला में समाज सदन :** निर्माणाधीन, ड्राइंगें तैयार की गईं और जाँच-समिति में अनुमोदित की गईं। कार्य-निष्पादन हेतु सभी ड्राइंगें स्थल अभियंताओं को भेज दी गई हैं। स्थल पर कार्य की प्रगति के अनुसार इंजीनियरों के साथ समन्वय कार्य।

24. **बी-4, पॉकेट-13, नरेला में समाज सदन :** निर्माणाधीन है, ड्राइंगें तैयार की गईं और जाँच समिति की बैठक में अनुमोदित कराई गईं। कार्य-निष्पादन हेतु सभी ड्राइंगें स्थल अभियंताओं को भेज दी गई हैं। स्थल पर कार्य की प्रगति के अनुसार इंजीनियरों के साथ समन्वय कार्य।

25. **सामुदायिक शौचालय नं. 1, पॉकेट बी-4, सैक्टर-13, नरेला :** निर्माणाधीन है, ड्राइंगें तैयार की गईं और जाँच समिति की बैठक में अनुमोदित की गईं। कार्य-निष्पादन हेतु सभी ड्राइंगें स्थल अभियंताओं को भेज दी गई हैं। स्थल पर कार्य की प्रगति के अनुसार इंजीनियरों के साथ समन्वय कार्य।

26. **सामुदायिक शौचालय, पॉकेट बी-4 सैक्टर-13, नरेला:** निर्माणाधीन है, ड्राइंगें तैयार की गईं और जाँच समिति की बैठक में अनुमोदित की गईं। कार्य-निष्पादन हेतु सभी ड्राइंगें स्थल अभियंताओं को भेज दी गई हैं। स्थल पर कार्य की प्रगति के अनुसार अभियंताओं के साथ समन्वय कार्य।

27. **रोहिणी में बीओटी आधार पर शौचालय :** रोहिणी में विभिन्न स्थानों पर बीओटी आधार पर शौचालयों के प्लानों को जाँच समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है और आवश्यक कार्रवाई हेतु स्थल को भेजा गया। निर्माणाधीन, ड्राइंगें तैयार की गईं और जाँच समिति से अनुमोदित कराई गईं। कार्य-निष्पादन हेतु

सभी ड्राइंगें स्थल अभियंताओं को भेजी गई हैं। स्थल पर कार्य की प्रगति के अनुसार इंजीनियरों के साथ समन्वय कार्य।

28. **एरोबिक हॉल एवं शिशु तरण-ताल :** निर्माणाधीन है, डिजाइन तैयार किया गया, सभी कार्यशील ड्राइंगें निष्पादन हेतु स्थल अभियंताओं को भेजी गईं।

29. **मधुबन चौक, रोहिणी में दि.वि.प्रा. कार्यालय भवन :** भवन निर्माणाधीन है, विस्तृत ड्राइंग और समय-समय पर समन्वय कार्य किया गया।

30. **विविध कार्य :** उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त, समाज सदनों के अनेक संदर्भ/अनुरोध, वीआईपी पत्रों, रैजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों के पत्रों, मार्केट एसोसिएशनों के पत्रों, मिल्क बूथ स्थलों के निर्धारण, विभिन्न व्यावसायिक प्लाटों और राष्ट्रमंडल खेल गाँव हेतु स्थल-कार्यालय के वास्तुकलात्मक नियंत्रणों के संबंध में ड्राइंगों की छानबीन आदि कार्य शामिल हैं।

9.12 भूदृश्यांकन एवं पर्यावरण योजना इकाई

9.12.1 सौभाग्य से भारत की राजधानी, दिल्ली देश के सबसे हरे-भरे महानगरों में से एक है और दि.वि.प्रा., जो भारत में सबसे पहला शहरी विकास प्राधिकरण है, सतत विकास, उन्नयन तथा शहर के हरे-भरे एवं वायुप्रद क्षेत्रों के रख-रखाव पर जोर देता है। दि.वि.प्रा. ने नदी और रिज जैसे प्राकृतिक विशेषताओं वाले स्थलों का भी संरक्षण किया है और क्षेत्रीय पार्कों, जिला पार्कों, हरित पट्टियों तथा समीपवर्ती हरे-भरे क्षेत्रों के रूप में खुले स्वच्छ वायुप्रद स्थानों का विकास किया है, जो इस शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रथम मुख्य योजना में योजनाबद्ध विकास पर जोर दिया गया था। दिल्ली मुख्य योजन–2001 में मनोरंजनात्मक पहलुओं, खुले स्थानों एवं खेलकूद की आवश्यकताओं के विवरण का आकलन शामिल किया गया है। दि.मु.यो.–2021 में पर्यावरण और प्रदूषण के अध्याय पर तकनीकी सूचना भू-दृश्य यूनिट द्वारा प्रदान की गई। निदेशक (भू-दृश्यांकन) इस उप-समूह के सह-अध्यक्ष हैं।

दि.वि.प्रा. न केवल शहर का निर्माण करता है, बल्कि दिल्ली के नागरिकों के लिए गुणवत्ता पूर्ण जीवन भी सुनिश्चित करता है। अपने इस प्रयास में दि.वि.प्रा. हरित पट्टियों के विकास, विशिष्ट पार्कों, शहरी वनों, स्मारकों के आस-पास हरित क्षेत्रों, जैव-विविधता पार्कों

आस्था कुंज

आदि के विकास को बढ़ावा देता रहा है। इन्हें दि.वि.प्रा. में भू-दृश्यांकन यूनिट द्वारा ही डिजाइन किया जाता है।

क) इस परियोजना में मुख्य योजना में निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार क्षेत्रीय पार्कों से सम्बन्धित नीति निर्धारण करना और डिजाइन करना सम्मिलित हैं।

ख) दि.वि.प्रा. के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी जिला पार्कों का डिजाइन और समीपवर्ती पार्कों, खेल के मैदानों, शिशु पार्कों तथा आवासीय क्षेत्रों में लघु पार्कों का भी डिजाइन तैयार किया जाता है।

ग) स्वस्थ पर्यावरण बनाने और जीवन स्तर सुधारने के लिए दि.वि.प्रा. के हरित क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

घ) भू-दृश्यांकन यूनिट में विशेष परियोजनाएँ जैसे–जैव-विविधता पार्क, गोल्फ कोर्स, सेनीटरी लैंडफिल स्थलों (इन्द्रप्रस्थ पार्क) का सुधार, नदी तट विकास, आस्था कुंज और तुगलकाबाद जैसी विरासत परियोजनाएँ भी आरंभ की गई हैं। योजना में जलागम विकास, बरसाती पानी संग्रहण और संरक्षण तथा भू-जल रिचार्जिंग की अवधारणा को भी अपनाया गया है।

9.12.2 वर्ष 2005-2006 के दौरान भू-दृश्यांकन इकाई द्वारा आरंभ की गईं परियोजनाएँ :–

I आस्था कुंज

आस्था कुंज की अवधारणा उन लोगों के लिए आध्यात्मिक शांति और प्रकृति से सीधा संपर्क स्थापित करने हेतु एक भू-दृश्यांकन प्रस्ताव

के रूप में की गई है, जो शांति और आध्यात्मिकता की खोज में रहते हैं। यह स्थल 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जो नेहरू प्लेस जिला केंद्र से सटा हुआ है और यह बहाई मंदिर, कालकाजी मंदिर एवं इस्कॉन जैसे पूजा स्थलों से घिरा हुआ है। यह पार्क प्राकृतिक पारिस्थितिकी को संरक्षित करने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए आध्यात्मिक संस्कृति को प्रस्तुत करेगा।

शहरी पार्क सुविधाएँ : इनमें प्लाजा, स्वास्थ्यकारी अच्छे भोजन वाले भोजनालय, बैठने के स्थान और झील के किनारे वाली सुविधाएँ शामिल हैं। इन प्लाजा के बीच में बैठने के स्थान और जलाशयों का कार्य विभिन्न स्तरों पर विकसित किया जा चुका है तथा अन्य विशेष कार्यों का विकास कार्य चल रहा है।

समीपवर्ती सुविधाएँ : इनमें बच्चों के खेल के मैदान, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्नर, फिटनेस जोन और अन्य संबंधित सुविधाएँ शामिल हैं जिनका विकास कार्य चल रहा है।

उत्सव सभा जोन : धार्मिक स्थानों के बीच में होने के कारण इसमें उत्सव सभा क्षेत्र, प्राकृतिक पथ, ध्यान स्थल, योग कक्षाओं, प्रदर्शनी के लिए क्षेत्र और प्रवचन क्षेत्र शामिल हैं। ये सभी डिजाइन करने के बाद विस्तार के अंतिम चरण में हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक जोन : यह क्षेत्र कार्य-कलापों का केन्द्र है, जिसमें एम्फी थियेटर, जलक्रीड़ा सुविधाएँ एवं सांस्कृतिक आयोजन, प्लाजा की सुविधाएँ हैं जिनके द्वारा सांस्कृतिक भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस जोन में जलाशय और पैदल पथों का निर्माण कार्य चल रहा है।

पारिस्थितिकीय क्षेत्र : यहाँ पारिस्थितिकीय क्षेत्र है जो शहरी पार्क सुविधाओं और प्राकृतिक उद्यान के बीच समन्वय जोन है। यह एक वनस्पति वाटिका है, जिसमें पेड़-पौधों का भंडार है, जिससे प्रकृति की अलग-अलग विशेषताएँ झलकती हैं। इसमें शांत मनोरंजन, मौसमी उद्यान एवं जड़ी-बूटी उद्यान है। इस क्षेत्र में वृक्षारोपन का कार्य प्रगति पर है।

यमुना जैव-वैविध्य पार्क में सीख लेते हुए बच्चे

II यमुना जैव वैविध्य पार्क

दिल्ली में जैव वैविध्य पार्क विकसित करने का आदर्श विचार तत्कालीन माननीय उप राज्यपाल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। पहले चरण के रूप में यह 156 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वजीराबाद (बाहरी रिंग रोड) के समीप अवस्थित है। दूसरे चरण में अतिरिक्त 300 एकड़ क्षेत्र इसमें शामिल किया जाएगा। जैव-वैविध्य पार्क का अभियान यमुना नदी बेसिन की जैव विविधता के भंडार एवं विरासत के साथ-साथ शहरी समाज को पारिस्थितिकीय, सांस्कृतिक और शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करता है।

III अरावली जैव वैविध्य पार्क

अरावली जैव वैविध्य पार्क का कार्य वर्ष 2003 में दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से आरंभ किया गया था। यह स्थल वसंत कुंज और वसंत विहार के बीच 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में अवस्थित है। यह स्थल अरावली पहाड़ी का पर्वत स्कंध है, जिसने अनेक प्राकृतिक झटकों का सामना भी किया है, जिसके कारण इसकी प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रभावित हुई है। जैव वैविध्य पार्क का अभियान अरावली पर्वत प्रणाली की जैव विविधता के भंडार एवं विरासत के साथ-साथ शहरी समाज को पारिस्थितिकीय, सांस्कृतिक और शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करना तथा सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखना है। यह पार्क शिक्षा देने, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने और दिल्ली की जीवन आधार प्रणाली को स्वस्थ बनाने में मदद करेगा।

IV यमुना नदी तट का विकास

इस स्कीम के अन्तर्गत 83 हेक्टेयर क्षेत्र, जो यमुना नदी के पश्चिमी किनारों पर समाधि क्षेत्र के पीछे पुराने रेलवे पुल और आई.टी.ओ. के बीच स्थित है, को प्रथम चरण के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना में एम्फी थियेटर, आगन्तुक प्लाजा, सूचना केन्द्र, प्रदर्शनी स्थल, भोजनालय, बच्चों के लिए खेल मैदान, रख-रखाव किये गये हरित क्षेत्र, पैदल मार्ग, साइकिल मार्ग आदि, जो सक्रिय जोन का एक भाग हैं, जैसे कार्यकलापों सहित सक्रिय एवं शांत मनोरंजनात्मक

जोन शामिल है। शांत जोन में कई जलाशय और स्थल के बीच में बने हुए पैदल पथ तथा टेढ़े-मेढ़े साइकिल मार्ग शामिल हैं। शांत क्षेत्र का डिजाइन सक्रिय क्षेत्र के कार्यक्रम आयोजन की तुलना में निरभ्र एवं शांत वातावरण तैयार करने के लिए बनाया गया है। सक्रिय क्षेत्र में विद्यमान नाले पर जलाशय बनाया गया है।

V भरत नगर में जनक वाला बाग

यह भरत नगर में स्थित विशाल वृक्षों और झाड़ियों वाला एक पुराना फलोद्यान है, जो लगभग 3.8 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। स्थल का आकार समलम्ब चतुर्भुज जैसा है और उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में सड़क से घिरा है तथा इसके अन्य दोनों तरफ निर्मित समाज सदन हैं। यहाँ वाहन द्वारा उत्तरी दिशा से पहुँचने का प्रस्ताव है और पैदल प्लाजा इसके दक्षिणी दिशा में है। 140-150 कारों के लिए पार्किंग-सुविधा पूर्वी बाउन्डरी के साथ-साथ प्रस्तावित है और लगभग 1.00 हैक्टेयर क्षेत्र में समारोह स्थल निर्धारित किया गया है। शेष क्षेत्र का उपयोग वहाँ के निवासियों द्वारा आराम करने के लिए किया जाएगा, बैठने के लिए स्थान का निर्धारण बड़े-बड़े छायादार वृक्षों के नीचे किया गया है। 2.5 मी. चौड़ाई वाला, म्यूरम का एक परिधीय औपचारिक जौगिंग ट्रैक भी प्रस्तावित है।

VI सैक्टर-19 द्वारका में पैडेस्ट्रियन प्लाजा एवं जिला पार्क फेज-II

यह जिला पार्क सैक्टर-19 द्वारका में स्थित है और 4.135 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। घास के लॉनों, म्यूरम और ऊपर की ओर चढ़ाई वाले पथरीले मार्गों के साथ-साथ एक समारोह स्थल और शिशु क्रीड़ा क्षेत्र की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ फूलों वाले पौधे लगाने का प्रस्ताव किया गया है, इससे द्वारका का वातावरण जगमगा जाएगा। इस जिला पार्क से सटा हुआ 0.28 हैक्टेयर क्षेत्र में मुख्य सड़क पर एक प्लाजा है। कठोर संरचना के अन्तर्गत खाद्य स्थल और बैठने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

VII मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-I एवं II के बीच में पार्क

यह खुला हरित क्षेत्र फेज-I एवं II, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र के बीच में स्थित है। यहाँ पर एक तरफ मायापुरी रोड से पहुँचा जा सकता है और इसका पहले से ही उपयोग हो रहा है, जबकि यह समुचित रूप से विकसित भी नहीं है। 22 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए इस हरित क्षेत्र में लगभग 1.00 हैक्टेयर क्षेत्र में एक समारोह-स्थल है तथा साथ में लगभग 150 कार पार्किंग करने का स्थान है। स्थल पर काफी वृक्ष हैं, जिन्हें डिजाइन में शामिल किया गया है। विद्यमान प्रविष्टि को बनाए रखा गया है जो समारोह स्थल तक पहुँचने के लिए पैदल मार्ग के रूप में उपयोग की जा रही है। सीटवॉल और झाड़ियों की क्यारियों सहित साइड में एक शिशु क्रीड़ा क्षेत्र तैयार किया गया है। 2.5 मी. चौड़ा म्यूरम मार्ग परिधि पर से होकर जाता है जो विभिन्न डिजाइन किए गए स्थानों को जोड़ता है। हरित प्रांगण, टीले, आश्रय और लॉनों के अतिरिक्त वृक्षों के नीचे चबूतरों पर बैठने के इंतजाम किए जाने का प्रस्ताव है। जे.जे. समूह की ओर से विकिट गेट से होकर एक छोटी प्रविष्टि दी गई है। कुछ किओस्कों की भी व्यवस्था की गई है, जिन तक पार्क के अंदर से और बाहर दोनों ओर

दि.वि.प्रा. द्वारा अनुरक्षित एक हरित क्षेत्र

से पहुँचा जा सकता है। इस क्षेत्र का दृश्यात्मक सौंदर्य बढ़ाने के लिए विभिन्न किस्मों के बारहमासी फूलों वाले वृक्ष एवं झाड़ियों का प्रस्ताव किया गया है।

VIII पीतमपुरा में सैनिक विहार और आनन्द विहार के मध्य मुख्य योजना हरित क्षेत्र

यह स्थल लगभग 7.67 हैक्टेयर क्षेत्रफल में आवासी कालोनी के बीच में लंबी पट्टी है। दक्षिणी परिधि पर सैनिक विहार की ओर हरित क्षेत्र से होकर एक नाला बह रहा है जो बदबू से बचने और पार्क की शोभा बढ़ाने के लिए ढक दिया गया है। यह ढका हुआ नाला पैदल पथ के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है, पार्क के दक्षिण-पूर्व की ओर योजना मानकों के अनुसार 173 कार पार्किंग की सुविधा सहित एक समारोह स्थल का प्रस्ताव किया गया है। समारोह स्थल से सटा हुआ एक क्रीड़ा-क्षेत्र प्रस्तावित है, जिसमें निम्नलिखित खेल

सुविधाएँ होंगी–क्रिकेट का मैदान, बास्केट बॉल, वॉली बॉल, दो लॉन टेनिस कोर्ट। स्कैटिंग रिंक बच्चों के पहले वाले पार्क से मिला दिया गया है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और क्षेत्र की जलवायु को सुधारने के लिए अनेक किस्म के वृक्षों का प्रस्ताव किया गया है।

इंद्रप्रस्थ पार्क के भू-दृश्यांकन का दृश्य

IX वसन्त कुंज, सैक्टर-बी में पार्क की भू-दृश्यांकन योजना

यह स्थल पूर्वी और पश्चिमी दिशा में डी.डी.ए. फ्लैटों से, उत्तरी दिशा में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दक्षिण की ओर नेल्सन मंडेला रोड से घिरा हुआ है। इस स्थल को समारोह स्थल, क्रीड़ा-क्षेत्र और सजावटी पार्क के रूप में विकसित किया गया है। ऐंट्रेंस प्लाजा और 152 कार पार्किंग स्थल का प्रावधान किया गया है। उत्तरी-पश्चिमी कोने पर वहाँ के निवासियों द्वारा यथा वांछित वॉली बॉल, बास्केट बॉल, दो क्रिकेट पिच जैसी सुविधाओं सहित बच्चों के खेलने के मैदान का प्रस्ताव किया गया है। दबे हुए क्षेत्र में स्केटिंग रिंक और उपकरणों सहित बच्चों के खेलने के मैदान की व्यवस्था की गई है। पार्क के मध्य भाग को हरे-भरे वृक्षों और झाड़ियों वाले एक सजावटी क्षेत्र के रूप में रखा गया है।

X आजादपुर, दिल्ली में अयोध्या कपड़ा मिल्स से लिए गए हरित क्षेत्र का भू-दृश्यांकन विकास

प्रदूषक उद्योगों द्वारा वापस किए गए इस क्षेत्र को 'हरित क्षेत्र' के रूप में तैयार किया गया है। यह स्थल आजादपुर में स्थित है और लाल बाग तथा शादी नगर क्षेत्र से घिरा हुआ है। इस स्थल तक पहुँचने के लिए जी.टी. रोड से और समीपस्थ क्षेत्रों के अंदर से अन्य सड़कों से पहुँच मार्ग हैं। घिरे हुए स्थानों का रूप देने के लिए परिधि के साथ-साथ 2.5 मी. चौड़े म्यूरम पैदल मार्ग की व्यवस्था करके स्थल विकसित किया गया है। मध्य भाग में बच्चों के खेलने के एक मैदान की व्यवस्था की गई है और प्रवेश द्वार के निकट एक वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर व पार्किंग की व्यवस्था भी है। ग्रैंट ट्रक रोड से एक औपचारिक पहुँच मार्ग आस-पास के यातायात से बचने के लिए बफर की व्यवस्था करके परिधीय वृक्षारोपण किया गया है।

XI सतपुला झील परिसर

15 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फैला सतपुला झील परिसर इस तरह तैयार किया गया है ताकि हर तरह की मनोरंजनात्मक सुविधाओं को क्रियान्वित किया जा सके। इस स्थल पर तीन तरफ से पहुँचा जा सकता है। सतपुला स्मारक के स्वाभाविक स्वरूप को बनाए रखते हुए मुख्य प्रवेश प्लाजा का प्रस्ताव किया गया है। प्रेस एनक्लेव रोड के साथ-साथ पार्किंग क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। झील को भरने के लिए नाले का शोधित जल उपयोग में लाया जाएगा। झील के निकट एम्फी थिएटर, खाद्य स्थल (फूड कोर्ट्स), बैठने की व्यवस्था और रोलिंग भृ-दृश्यांकनों जैसी विभिन्न सुविधाओं से सतपुला स्मारक के परिवेश का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। जल शोधन प्रणाली, सम्प/ढांचों को डिजाइन विकास के साथ जोड़ दिया गया है। ऐतिहासिक जलाशयों को समुचित महत्व दिया गया है। स्थल से होकर जाने वाले नाले के अशोधित जल को भूमिगत सीवर पाइप द्वारा निकालकर नाले के स्वाभाविक दिशा मार्ग से मिलाने का प्रस्ताव है। सम्पूर्ण क्षेत्र को अनौपचारिक पैदल पथों एवं पुलों से जोड़ दिया गया है। विशाल सदाबहार वृक्षों, पुष्प-वृक्षों और झाड़ियों से परिसर का रंग रूप ही सुधर जाएगा।

XII शिवाजी मार्ग पर एसआईईएल/एसबीएम द्वारा वापस की गई भूमि का भू-दृश्य विकास

प्रदूषणकारी उद्योगों जैसे–एसआईईएल (18.85 हैक्टेयर) एवं एसबीएम (30.28 हैक्टेयर) द्वारा वापस की गई भूमि को अब 'हरित क्षेत्र' के रूप में तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। भू-दृश्य प्रस्ताव में औषधीय उद्यान, गुलाब एवं सुगंधित उद्यान, फल उद्यान और शिशु-क्रीड़ा क्षेत्र शामिल हैं। शिवाजी मार्ग की तरफ पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। किसी विद्यमान पक्की संरचना को आश्रय प्लेटफार्मों और मार्गों के रूप में पुन: उपयोग में लाने के लिए उचित ध्यान रखा गया है। मेट्रो को अस्थाई आधार पर सौंपे जाने वाला क्षेत्र प्रस्तावित 'हरित क्षेत्र' के एक विस्तार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जहाँ पर भी संभव है, विद्यमान सम्पर्क-मार्गों को जारी रखा गया है। यदि

व्यवहार्य होगा तो जल की उपलब्धता और भौतिक स्थायित्व के आधार पर विद्यमान तालाबों को नाव चलाने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। सुविधाजनक स्थानों पर घुमावदार आश्रय और विश्राम स्थलों की व्यवस्था की गई है। स्थल पर पड़े हुए मलबे को हरित क्षेत्रों के अन्दर टीले बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

XIII अक्षरधाम मंदिर के निकट गोल्फ कोर्स

प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है और इसे अनुमोदनार्थ जाँच-समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

XIV नगर पार्कों का विकास

दिल्ली में स्थानीय निकायों द्वारा हरे-भरे क्षेत्रों की माँग बढ़ती जा रही है और भागीदारी एवं रुचि के अनुसार जनता द्वारा इनकी काफी माँग की गई है। कुछ पार्कों, खेल-मैदानों, तैयार किए गए और विकासाधीन खेल-परिसरों का विवरण नीचे दिया गया है–

- गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन (रामलीला मैदान) के पीछे हरित क्षेत्र।
- खिचड़ीपुर गाँव में खेल का मैदान।
- नेहरू प्लेस में होटल पार्क के सामने हरित क्षेत्र।
- मार्बल मार्केट रोड/भारत वंदना सैक्टर-20 ।
- अशोक विहार फेज-3 में पार्क (खिम्मन सिंह पार्क)।
- धौली प्याऊ, जनकपुरी के साथ 'ए' ब्लाक में हरित पट्टी।
- अशोक विहार फेज-2, बड़ा कुआँ, ब्लॉक 'ए' के निकट हरित क्षेत्र।

XV वर्ष 2005-06 में उन्नयन हेतु तैयार की गई कुछ भू-दृश्यांकन योजनाएँ

- शालीमार बाग में समीपस्थ पार्क
- जहाँगीरपुरी में मेट्रो अपार्टमेंट के सामने हरित क्षेत्र।
- कोंडली घरौली, मयूर विहार फेज-3 में स्मृति वन से होकर पैदल चलने वालों और साइकिल से आने-जाने वालों के लिए मार्ग की व्यवस्था।
- महरौली-गुड़गाँव रोड पर हरित क्षेत्र।
- गाँव नाहरपुर, सैक्टर-7, रोहिणी में पार्क।
- नजफगढ़, ओवर हैड टैंक से सटा हुआ पार्क।
- शेख सराय फेज-1 में निकटस्थ पार्क में बच्चों के खेलने का मैदान।
- पीतमपुरा में सैनिक विहार और शक्ति विहार के मध्य योजना क्षेत्र का संशोधन।
- इन्द्रप्रस्थ पार्क में अतिरिक्त पार्किंग।
- साकेत खेल परिसर में समुचित प्रवेश द्वार, निकास का विकास।
- कान्ति नगर जिला पार्क में 20 फुट चौड़ा अतिरिक्त रास्ता।
- पंचशील पार्क में पार्क।
- भलस्वा में श्मशान भूमि हेतु वैकल्पिक स्थल का निर्धारण।

XVI बी.ओ.टी जन-सुविधाओं का प्रस्ताव

प्रमुख सड़कों के साथ-साथ पार्क के प्रवेश द्वार के निकट मनोरंजनात्मक क्षेत्र/हरित क्षेत्र में बी.ओ.टी. जन-सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के विभिन्न जोनों में निर्धारित किए गए स्थलों की सूची निम्नानुसार है–

उत्तरी जोन

- जिला पार्क, शालीमार बाग (राम बाग)।
- जिला पार्क, हर्ष विहार।
- ए.ई. ब्लॉक, शालीमार बाग में पार्क।
- जिला पार्क, गुलाबी बाग।
- अशोक विहार में अशोक गार्डन।
- पीतमपुरा जिला पार्क

दक्षिणी-पूर्वी जोन

- तुगलकाबाद मनोरंजनात्मक परिसर।
- जिला पार्क, पंचशील।
- जिला पार्क, सरिता विहार।
- मिलेनियम पार्क–4
- लाला लाजपत राय पार्क, विनोबापुरी
- लेडी श्रीराम कॉलेज के सामने पार्क
- बाहरी रिंग रोड के साथ-साथ (पेट्रोल पंप के निकट) पंचशील पार्क
- आस्था कुंज–8
- जिला पार्क, सीरी फोर्ट

दक्षिणी-पश्चिमी जोन–

- जिला पार्क, जनकपुरी (संगीतमय फव्वारा)
- सैल्वेज पार्क
- सत्य पार्क, नारायणा
- प्रियदर्शिनी पार्क, मायापुरी

- पश्चिम विहार, बी-ब्लॉक
- हौजखास जिला पार्क
- जिला पार्क, पश्चिम विहार, जी-17
- मायापुरी, 22 एकड़/रिवाड़ी लाइन

पूर्वी जोन

- मयूर विहार में संजय झील
- कोंडली घरौली में स्मृति वन
- मंडावली-फाजलपुर में जिला पार्क

रोहिणी

- जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, रिंग रोड के निकट हरित पट्टी
- मधुबन चौक/ओ-ब्लॉक, प्रशांत विहार, रिंग रोड के निकट हरित पट्टी
- स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी-4
- जिला पार्क, रोहिणी सैक्टर-14

श्री बी.एल. जोशी, उपराज्यपाल, दिल्ली पुष्प-प्रदर्शनी में पुष्प विन्यास की प्रशंसा करते हुए

- जिला पार्क, अवंतिका, सैक्टर-1

द्वारका

- हरित क्षेत्र, सैक्टर-6

वसंत कुंज

- वसंत वाटिका, वसंत कुंज

XVII अन्य कार्यकलाप

दि.वि.प्रा. द्वारा पुष्प-प्रदर्शनी/उद्यान-समारोह आयोजित किया गया जिसमें पूरी दिल्ली से भागीदारों ने और प्राइवेट नर्सरियों ने भाग लिया। पुष्प-प्रदर्शनी हौजखास जिला पार्क में मार्च में आयोजित की गई थी। भू-दृश्यांकन यूनिट पुष्प-प्रदर्शनी आयोजित करने और प्रतियोगिता में विभिन्न प्रविष्टियों के बारे में निर्णय लेने में एक अहम् भूमिका निभाता है।

भू-दृश्यांकन यूनिट द्वारा विवरणिका कार्यक्रम और निमंत्रण-पत्र/कार्ड तैयार किए जाते हैं। यमुना नदी तलहटी विकास, भलस्वा मनोरंजनात्मक परिसर हेतु पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण तैयार किए गए हैं। वृक्षारोपण समारोह हेतु स्मृति वन, वसंत कुंज एवं स्मृति वन, कोंडली के लिए विवरणिकाएँ और हैंडआउट तैयार किए गए हैं।

दि.वि.प्रा. द्वारा प्रत्येक तिमाही में 'दिल्ली बायोडाइवर्सिटी फाउंडेशन' पर एक न्यूज लेटर भी प्रकाशित किया जाता है, जिसमें भू-दृश्यांकन यूनिट से मुख्य सम्पादक प्रो. सी.आर. बाबू और निदेशक (एलएस) को उसकी सम्पादकीय टीम में सहायक सामग्री प्रदान की गई है।

निदेशक (भू-दृश्यांकन) एक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में विभिन्न समितियों एवं समूहों जैसे-राष्ट्रमंडल खेल, दि.मु.यो.-2021, समाधि उन्नयन और पर्यावरण, भू-दृश्य एवं संरक्षण आदि को संबंधित कार्यों में सहयोग देते हैं।

10

आवास

10.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवास संबंधी कार्यकलापों का शुभारम्भ सन् 1967-68 में किया और समय-समय पर फ्लैटों की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्कीमों की घोषणा की। पहली पंजीकरण स्कीम सन् 1969 में शुरू की गई थी। उसके बाद आज तक 40 और स्कीमें शुरू की गई। अभी तक शुरू की गई कुल 41 स्कीमों में से केवल 5 स्कीमें अभी चल रही हैं। अभी तक दि.वि.प्रा. ने 31.3. 2006 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 3,63,530 फ्लैटों का आबंटन किया है जिनका विवरण निम्नानुसार है–

स्कीम का नाम	किए गए कुल आबंटन
सामान्य आवास स्कीम	65,590
न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम-79	1,67,310
स्व वित्त योजना/विजयी वीर आवास योजना	53,938
अम्बेडकर आवास योजना-1989	17,465
विस्तारणीय आवास योजना-1995-96/	22,352
एन.एच.एस./श्रमिक आवास योजना आदि	
जनता आवास पंजीकरण योजना-96/	20,299
पंजाब एण्ड कश्मीर प्रवासी/मोतिया खान	
सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी/जम्मू एण्ड	1,015
कश्मीर प्रवासी (आर.पी.एस.)	
विविध	440
उच्च आय वर्ग (एच.आई.जी.)	3,337
सरकारी संगठन	4,670
जसोला जनता टेनामेंट्स 2003	2,252
टी.बी.आर.एच.एस. (एम.आई.जी.)2004	2,356
उत्सव आवास योजना-2004 (एच.आई.जी.-	2,506
1287 + एम.आई.जी. 862+ई.एच.एस. 357	
कुल	**3,63,530**

10.2 आवासीय योजनाओं की नवीनतम स्थिति इस प्रकार है–

10.2.1. न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम–1979

म.आ.व., नि.आ.व. और जनता श्रेणी के फ्लैटों के आबंटन हेतु वर्ष 1979 में एन.पी.आर.एस.–1979 स्कीम आरम्भ की गई थी। यह स्कीम अखिल भारतीय स्तर की थी। इस स्कीम के अन्तर्गत आबंटित किए गए फ्लैटों का विवरण निम्नानुसार है–

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	आवंटित फ्लैटों की संख्या	बकाया संख्या
म.आ.व.	47,521	46,278	शून्य
नि.आ.व.	67,502	66,744	1,043
जनता	56,249	54,288	शून्य
कुल	**1,71,272**	**1,67,310**	**1,043**

*पंजीकरण एवं आबंटन बैकलॉग में अंतर रद्दकरण / फ्लैट वापस करने या योजनाओं में परिवर्तन कराने के कारण है

10.2.2 अम्बेडकर आवास योजना–1989

यह स्कीम एन.पी.आर.एस.-79 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 25% पंजीकरण की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1989 में आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत म.आ.व./नि.आ.व. एवं जनता फ्लैटों के आबंटन हेतु 20,000 व्यक्ति पंजीकृत किए गए थे।आबंटन का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है–

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	आवंटित फ्लैटों की संख्या	बकाया
म.आ.व.	7,000	5,902	शून्य
नि.आ.व.	10,000	8,575	449
जनता	3,000	2,988	शून्य
कुल	20,000	17,465	449

इस स्कीम में निम्नलिखित आरक्षण किए गए

1. 1% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए

2. 1% भूतपूर्व सैनिकों के लिए
3. 1% युद्ध में मारे गए वीरों की विधवाओं के लिए

10.2.3. जनता आवास पंजीकरण योजना 1996

यह स्कीम चरणबद्ध तरीके से जनता फ्लैटों के आबंटन हेतु समाज के कमजोर वर्ग के 20000 लोगों को पंजीकृत करने के लिए वर्ष 1996 में आरंभ की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित आरक्षण किए गए–

1. 25% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु
2. 1% भूतपूर्व सैनिकों के लिए
3. 1% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए
4. 1% शहीदों की विधवाओं के लिए
5. 2% बच्चों वाली शहीदों की विधवाओं के लिए

आबंटन की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार है–

पंजीकृत व्यक्ति	आबंटन किया गया	बकाया संख्या
20,000	18,080	976

10.2.4 विजयी वीर आवास योजना–1999

विजयी वीर आवास योजना वर्ष 1999 में आरंभ की गई थी और यह स्कीम शुरू में 'ऑपरेशन विजय' में शहीद हुए अथवा स्थाई रूप से विकलांग हो गए सैनिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों/आश्रितों के लिए 10.09.1999 से 30.06.2000 तक खोली गई थी। तथापि, यह स्कीम 30 सितंबर, 2003 तक बढ़ा दी गई थी और यह मई 1999 के बाद हुए ऑपरेशन में सैनिकों की विधवाओं/निकट संबंधियों/आश्रितों के लिए भी बढ़ा दी गई थी।

इस स्कीम के अन्तर्गत 414 फ्लैटों का निर्माण किया गया था जिनमें से 312 फ्लैट दो शयन कक्ष वाले (टाइप-ए) और 102 फ्लैट तीन शयनकक्ष वाले (टाइप-बी) थे। इस समय 431 आवेदकों ने आवेदन भेजे हैं। 431 आवेदकों में से 17 आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र वापस ले लिए। शेष 414 में से 308 को टाइप-ए (2 शयन कक्ष वाले फ्लैट) और 102 को टाइप-बी (3 शयन कक्ष वाले फ्लैट) आबंटित किए गए थे, 4 ने अभी तक वांछित 90% राशि जमा नहीं की, अत: उन्हें फ्लैट आबंटित नहीं किए गए।

10.2.5 पंजाब के प्रवासियों के पुनर्वास हेतु आवास योजना

पंजाब के 3661 प्रवासी, जो निम्नलिखित कैंपों में ठहरे हुए थे, के पुनर्वास हेतु आवास स्कीम दिनांक 8 मार्च 2000 को आरंभ की गई थी–

क्र. सं.	कैम्प स्थल	परिवारों की संख्या	कैम्प स्थल स्वामी एजेंसी
1.	पीरागढ़ी कैम्प	2560	दि.वि.प्रा.
2.	मंगोलपुरी कैम्प	226	डी.एस.आई.डी.सी.
3.	गोविन्दपुरी कैम्प	347	डी.एस.आई.डी.सी.
4.	जहाँगीरपुरी कैम्प	385*	दि.वि.प्रा.
5.	ज्वालापुरी कैम्प	42	स्लम एवं जे.जे.
6.	पालिका होस्टल कैम्प	36	एन.डी.एम.सी.
7.	यूथ होस्टल, मोरी गेट	65	दिल्ली प्रशासन
	कुल	**3661**	

*इन प्रवासियों के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा फ्लैट आबंटित नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के स्लम विंग ने इन्हें फ्लैट आबंटित करने का निर्णय लिया है।

आबंटन के बारे में दिनांक 31.3.2006 तक नवीनतम स्थिति इस प्रकार है–

कुल प्रवासी	3,661
घटाएँ–जहाँगीर पुरी में रहने वाले प्रवासी	385
	3,276
आबंटन हेतु आवेदन किया	3,254
किए गए आबंटन	2,959

दिनांक 31.3.2006 तक 2959 में से लगभग 2710 कब्जा पत्र जारी कर दिए गए हैं (नरेला, द्वारका और रोहिणी बिंदापुर में फ्लैट्स आबंटित किए गए)

10.2.6 कश्मीर प्रवासियों के पुनर्वास हेतु आवास योजना

कुल 14 शरणार्थी कैम्प हैं, जिनमें इस समय 237 कश्मीरी प्रवासी ठहरे हुए हैं। विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	कैम्प स्थल	परिवारों की संख्या	कैम्प स्थल स्वामी एजेंसी
1.	हौजरानी	16	दि.न.नि.
2.	बापू धाम	24	एन.डी.एम.सी
3.	न्यू मोती नगर	23	दि.न.नि.
4.	पालिका धाम	13	एन.डी.एम.सी
5.	बलजीत नगर	49	स्लम एवं जे.जे.
6.	मंगोल पुरी-डी ब्लॉक	34	स्लम एवं जे.जे.
7.	मंगोल पुरी-एम ब्लॉक	16	दि.न.नि.
8.	सुलतान पुरी-पी-2	09	स्लम एवं जे.जे.
9.	बेगमपुरा	06	दि.न.नि.
10.	साउथ एक्स, पार्ट-2	05	स्लम एवं जे.जे.
11.	कृष्णा पार्क	10	दि.न.नि.
12.	कैलाश कॉलोनी	02	दि.न.नि.
13.	अली गंज	12	दि.न.नि.
14.	नन्द नगरी	18	स्लम एवं जे.जे.
	कुल प्रवासी	**237**	
	आबंटन के लिए आवेदन किया	**228**	
	आबंटन किया गया	**228**	

इन कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए द्वारका और रोहिणी में फ्लैट दिए गए।

10.2.7 सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना

दिनांक 02.07.2001 को सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना आरंभ की गई थी। कुल 2074 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। आबंटन का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	श्रेणी	आवेदन प्राप्त हुए	आबंटन किया गया
1.	म.आ.व.	1,464	410
2.	नि.आ.व.	550	546
3.	जनता	60	59
4.	**कुल**	2,074	1,015

टिप्पणी : असफल पंजीकृत व्यक्तियों को जमा राशि के रूप में कोई बकाया राशि नहीं लौटानी है।

10.2.8 मोतियाखान झुग्गीवासियों के पुनर्वास हेतु आवास योजना

दि.वि.प्रा. ने अपने संकल्प सं. 88/2002 दिनांक 26.12.2000 द्वारा मोतियाखान के पात्र झुग्गिवासियों को रोहिणी, सैक्टर-4 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एक कमरे के आवास के आवंटन हेतु योजना का अनुमोदन किया था। नई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मोतियाखान में 2068 झुग्गीवासी थे। यह योजना 26.09.2001 से आरंभ की गई और 30.06.2002 तक जारी रही। 1288 पात्र झुग्गी परिवारों को रोहिणी में फ्लैट आवंटित किए गए हैं। अब योजना बंद हो चुकी है।

10.2.9 उच्च आय वर्ग आवास योजना द्वारका–2003

416 पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन किए गए और योजना बंद कर दी गई है।

10.2.10 जसोला जनता आवास योजना–2003

2215 पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन किए गए और योजना बंद कर दी गई।

10.2.11 नरेला आवास योजना–2004 (30% छूट सहित)

योजना 15.04.2004 तक खुली थी। इस स्कीम में 2124 फ्लैट आबंटित किए गए। अब यह स्कीम बंद कर दी गई है।

10.2.12 दो शयन कक्ष आवास स्कीम–2004

यह स्कीम 7.6.2004 से 7.7. 2004 तक शुरू की गई थी। लगभग 90,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। दिनांक 12.8.2004 को आयोजित किए गए लाटरी के ड्रा के माध्यम से 2356 फ्लैट आबंटित किए गए। अब यह स्कीम बंद कर दी गई है।

10.2.13 उत्सव आवास योजना–2004

यह स्कीम 2500 तैयार निर्मित फ्लैटों के लिए 20.10.2004 से 24.11.2004 तक शुरू की गई थी। दिनांक 28.1.2005 को आयोजित किए गए ड्रा में 2506 फ्लैट (एच.आई.जी. 1287 + एम.आई.जी. 862 + ई.एच.एस. 357) आबंटित किए गए। अब यह स्कीम बंद कर दी गई है।

10.3.14 फ्लैट का परिवर्तन

प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या	निपटाए गए आवेदन पत्रों की संख्या	बंद किए	लंबित आवेदन-पत्रों की संख्या
		स्मरण पत्र जारी किए जाने के बाद भी बकाया देयदाएँ एवं अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण बंद।	
57917	55886	199	1832

10.4 योजना वार बकाया

क्र.सं.	योजना	कुल बकाया
1.	एन.पी.आर.एस.-79	1,043
2.	अंबेडकर आवास योजना-89	449
3.	जेएचआरएस-96	976
	कुल	2,468

10.5 म.आ. वर्ग, नि.आ. वर्ग और जनता फ्लैटों के पंजीकृत व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची समाप्त करने हेतु कार्य योजना

एनपीआरएस–1979 के अन्तर्गत म.आ. वर्ग के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की मुख्य सूची पूरी की जा चुकी है। जनता/नि.आ.वर्ग से म.आ. वर्ग में परिवर्तन के मामलों और उसके अन्तिम भाग की प्राथमिकता पहले ही समाप्त हो चुकी है।

10.6 आवास लेखा विंग

10.6.1 आवास लेखा विभाग फ्लैटों के आबंटन से संबंधित मुख्यत: निम्नलिखित कार्यकलापों से जुड़ा हुआ है–

i) वित्तीय सहमति के लिए बी.जी.डी.ए. के आरंभिक अनुमान की जाँच।

ii) फ्लैटों एवं स्थानीय बाजारों/सुविधा बाजारों में दुकानों की लागत निर्धारण।

iii) फ्लैटों की प्राप्ति और भुगतान तथा उनकी वसूली के खातों का रख-रखाव।

iv) निर्मित दुकानों के संबंध में खातों का रख-रखाव।

v) आवास विभाग में तैनात कर्मचारियों के संस्थापना मामले।

10.6.2 वर्ष 2005-06 के दौरान मुख्य कार्यकलाप/उपलब्धियाँ

1. आरंभिक अनुमानों की जाँच

क. 2 (दो) आवास योजनाओं के आरंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति प्रदान की गई। इसमें 770 फ्लैट शामिल हैं।

ख. एक योजना के संबंध में 6 दुकानों और 4 कियोस्क के आरंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति प्रदान की गई।

2. फ्लैटों की लागत का निर्धारण

क. 17 नई योजनाओं की लागत के निर्धारण को अन्तिम रूप दिया गया, जिसमें 12483 फ्लैट शामिल हैं।

ख. 5 नई योजनाओं में शामिल 114 फ्लैटों की लागत के निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया।

10.6.3 अन्य उपलब्धियाँ

क. विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत फ्लैटों की लागत निकालने के लिए ली जाने वाली कुर्सी क्षेत्रफल दरों के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण का संकल्प सं. 78/2005 दिनांक 19.10.2005 और 21/2006 दिनांक 24.3.2006 पारित करवाया गया। इसकी प्रभावी तिथियाँ 01.10.2005 एवं 01.04.2006 हैं।

दि.वि.प्रा. उत्सव आवास योजना के फ्लैटों के आवंटन हेतु ड्रा का एक दृश्य

ख. माननीय उप-राज्यपाल, दिल्ली के अनुमोदन से पीआरएस योजना–2001 को 31.03.2006 तक बढ़ाया गया।

10.6.4 कंप्यूटरीकरण

निम्नलिखित सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए कदम उठाए गए हैं–

1. फ्लैटों का लागत निर्धारण
2. सामान्य आवास शाखा का कम्प्यूटरीकरण
3. पे रोल लेखा
4. आवास प्राप्तियों का ऑनलाइन सत्यापन
5. पीआरएस 2001 प्राप्तियों का ऑनलाइन सत्यापन।

10.6.5 वसूली में तेजी लाने के लिए किए गए कार्य

इसके अन्तर्गत मासिक किश्तों के बकाया की वसूली/चूककर्ता आवंटितियों से जुर्माना वसूल करने को प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान वसूली के उद्देश्य से पाँच सहायक समाहर्ता ग्रेड-II/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आवास लेखा विंग में नियुक्त किए गए। वसूली में तेजी लाने के लिए वित्त सलाहकार (आवास) के नियंत्रणाधीन एक लेखाधिकारी की प्रमुखता वाले एक विशेष वसूली कक्ष का गठन किया गया है। रद्दकरण की कार्रवाई आरंभ करने के लिए लगभग 4750 मामले प्रबंध विंग को भेजे गए हैं।

10.6.6 आवास लेखा विंग के 01.04.05 से 31.03.06 की अवधि के दौरान कुछ अन्य कार्य

क. लीज होल्ड से फ्री होल्ड के 12617 मामलों में निर्णय लिए गए।

ख. कब्जा पत्र जारी करने के लिए प्रबन्ध विंग को 761 मामलों में 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी किए गए।

ग. जहाँ पंजीकृत व्यक्ति आवंटन के इच्छुक नहीं थे ऐसे 7828 मामलों में धन वापसी की गई।

घ. पीआरएस 2001 के अन्तर्गत 3103 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, इनमें से 2991 मामले निपटाए गए और वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 23.16 करोड़ रु. वसूल किए गए। कुल 13,327 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और 12888 निपटाए गए। वसूल की गई कुल राशि 69.45 करोड़ रु. निकलती है।

11 भूमि प्रबन्ध एवं निपटान विभाग

11.1 भूमि प्रबन्ध विभाग

11.1.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों की भूमि का व्यापक क्षेत्र आता है। पूर्व विकास सुधार न्यास से दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्राप्त नजूल-I भूमि की देख-रेख करने के अतिरिक्त यह 1957 के बाद दि.वि.प्रा. द्वारा अधिग्रहित नजूल-II भूमि का प्रबंध और देखभाल भी करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुछ ऐसी भूमि भी है, जो एक पैकेज डील के अन्तर्गत पूर्व पुनर्वास मंत्रालय से ली गई थी। इसके अलावा भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी कार्य मंत्रालय की भी कुछ भूमि देखभाल एवं रख-रखाव के उद्देश्य के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है। इस भूमि का उपयोग एवं आबंटन भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा किया जाता है।

11.1.2 भूमि प्रबन्ध विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं–

i) भूमि अधिग्रहण।
ii) भूमि प्रबन्ध।
iii) भूमि उपयोगकर्ता विभागों को सौंपे जाने से पूर्व भूमि की सुरक्षा करना।
iv) भूमि उपयोगकर्ता विभागों की सहायता करना।
v) भूमि उपयोग मामलों में विभिन्न विभागों और बाहरी एजेंसियों को सहयोग देना।
vi) अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम की योजना और निष्पादन।
vii) विकास क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करना।
viii) मुख्य योजना प्रावधानों के अन्तर्गत दुरुपयोग के विरुद्ध कार्रवाई करना।

11.1.3 इस विभाग की एक शाखा नजूल भूमि-I - जो पूर्ववर्ती दिल्ली सुधार न्यास से दि.वि.प्रा. को प्राप्त हुई भूमि है और नजूल-II भूमि जो दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास और निपटान की नीति के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गई थी, का कार्य देखती है। 1.4.2004 से 31.3.2005 की अवधि के दौरान एल.ए.सी. द्वारा दि.वि.प्रा. को 1765.60 एकड़ भूमि सौंपी गई।

11.1.4 भूमि प्रबन्ध विभाग के कार्यों में से एक अति महत्वपूर्ण कार्य दि.वि.प्रा. की भूमि की अतिक्रमण से सुरक्षा करना है। दि.वि.प्रा. ने भूमि सुरक्षा के लिए एक क्षेत्रीय कार्य प्रणाली बनाई है। इसमें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी-पूर्वी, दक्षिणी-पश्चिमी और रोहिणी ये छह क्षेत्र हैं।

11.1.5 प्रत्येक क्षेत्र का प्रमुख उपनिदेशक स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। इनकी सहायता सचिवीय एवं फील्ड स्टाफ करता है। सुरक्षा गार्डों द्वारा दि.वि.प्रा. की भूमि पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है, जो विशिष्ट गश्त क्षेत्रों पर लगाए जाते हैं। अतिक्रमण को रोकने के लिए नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियानों की योजना बनाई जाती है और पुलिस की सहायता से पूरी की जाती है।

11.1.6 अप्रैल 2005 से 31.3.2006 तक दि.वि.प्रा. ने 344 अतिक्रमण हटाओ अभिचान चलाए और लगभग 158.9 एकड़ भूमि अतिक्रमणकर्ताओं से मुक्त कराई। इस प्रक्रिया में 4495 कच्चे-पक्के और आधे पक्के ढाँचे हटाए गए। भूमि प्रबन्ध विभाग ने इस वर्ष के दौरान निर्माण गिराने के कुछ बड़े अभियान दि.वि.प्रा. की भूमि वापस पाने के लिए चलाए। निर्माण गिराने के ऐसे कुछ बड़े कार्यक्रम सरिता विहार, यमुना पुश्ता, गीता कालोनी, गाँव शाहपुर गढ़ी (नरेला) होलम्बी कलाँ, सरस्वती विहार, पीरागढ़ी कैंप (पश्चिम विहार), नसीरपुर गाँव, गाँव पीतमपुरा, पूठकलाँ, लाजपत नगर, लाडो सराय, रोहिणी सैक्टर-3, बाल्मीकि कैंप-2 (कटवारिया सराय), गाँव मालवीय

नगर, महरौली, हरिजन बस्ती मसूदपुर, अरकपुर बाग मोची, कड़कड़डूमा, उत्तम नगर, पालम बाजार रोड, भोर गढ़, होलम्बी कलाँ, गाँव रिठाला, झिमरनपुर बस्ती, ओखला इंड. एरिया, गाँव खिचड़ीपुर, आजादपुर, गाँव नाहरपुर, रोहिणी सैक्टर-10, किशनगढ़ (महरौली), गाजीपुर, खसरा नं. 75/2/1, 2/2, 2/3, नरेला, सराय काले खाँ (निजामुद्दीन), नन्दनगरी और गाँव अम्बर हई, सैक्टर-10, द्वारका में चलाए गए। इससे दि.वि.प्रा. की छवि को एक ऐसी एजेंसी के रूप में बनने में सहायता मिली है, जो अपनी भूमि की रक्षा प्रभावी ढंग से करती है।

मुकदमेबाजी और कानून एवं व्यवस्था में पुलिस की व्यस्तता के कारण उसकी अनुपलब्धता के कारण कभी-कभी अतिक्रमण हटाओ अभियानों को पुन: निर्धारित करना पड़ा। अवधि के दौरान दि.वि.प्रा. ने कुछ महत्वपूर्ण कोर्ट केस भी जीते हैं।

11.1.7 दि.वि.प्रा. के नियंत्रणाधीन सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों से भूमि खाली कराने और क्षतिपूर्ति निर्धारण एवं वसूली का कार्य क्षतिपूर्ति शाखा करती है। सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वालों के विरुद्ध दि.वि.प्रा. पी.पी. एक्ट के अन्तर्गत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करता है। इस शाखा के दो संपदा अधिकारी हैं, जिन्हें क्षतिपूर्ति निधारण और अतिक्रमण हटाने का कार्य करने के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 1.4.2004 से 31.3.2005 तक संपदा अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए–

गोल्फ ड्राइविंग रेंज सीरी फोर्ट खेल परिसर

i)	क्षतिपूर्ति की वसूली	Rs. 2,56,14,216/-
ii)	क्षतिपूर्ति के निर्णीत मामलों की संख्या	154
iii)	31.3.06 तक निपटाए गए बेदखली वाले मामले	12

11.1.8 वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं–

क्र. सं.	कार्य	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1.	एलसीए द्वारा दि.वि.प्रा. को सौंपी गई भूमि	2095 एकड़	770.697 एकड़	1765.60 एकड़	3426.97 एकड़
2.	निर्माण गिराने के लिए चलाए गए अभियानों की संख्या	472	354	326	344
3.	झुग्गियों को हटाकर फिर से प्राप्त की गई भूमि	374.54 एकड़	259.44 एकड़	181 एकड़	158.90 एकड़
4.	हटाए गए ढांचे/भवन	14567	13077	14937	4495
5.	क्षतिपूर्ति की वसूली	1.15 करोड़ रु. (लगभग)	1.37 करोड़ रु.	1.57 करोड़ रु.	2.56 करोड़ रु.
6.	निर्णीत क्षतिपूर्ति मामलों की संख्या	835	887	321	154

11.1.9 2005-06 के दौरान भूमि अधिग्रहण

वर्ष 2005-06 के दौरान 8268.33 एकड़ भूमि क्षेत्र प्रदान किया गया था जिसमें से 3426.97 एकड़ भूमि, भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा दि.वि.प्रा. को सौंपी गई। भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा दि.वि.प्रा. को सौंपी गई भूमि का विवरण निम्नानुसार है–

1.	पूर्वी जोन	0.86 एकड़
2.	पश्चिमी जोन	9.93 एकड़
3.	उत्तरी जोन	3335.85 एकड़
4.	दक्षिणी जोन	80.60 एकड़
	कुल	**3426.97 एकड़**

11.2 भूमि निपटान विभाग

भूमि निपटान विभाग पूर्व दिल्ली सुधार न्यास को भारत सरकार द्वारा नजूल करार 1937 के अन्तर्गत सौंपी गई 24 राजस्व सम्पदाओं की भूमि और बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास एवं निपटान स्कीम के अंतर्गत दि.वि.प्रा. के निपटान पर सौंपी गई भूमि का प्रबन्ध कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, भूमि निपटान विभाग पैकेज डील के अन्तर्गत पुनर्वास मंत्रालय द्वारा अंतरित भूमि का प्रशासन भी संभालता

है। भूमि निपटान विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न शाखाओं का कार्य निष्पादन एवं उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

11.2.1 भूमि विक्रय शाखा/पट्टा प्रशासन शाखा (आवासीय)

पट्टा प्रशासन शाखा नीलामी द्वारा आवासीय प्लाटों के निपटान और उन व्यक्तियों को वैकल्पिक प्लाटों के आबंटन का कार्य करती है, जिनकी भूमि दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास एवं निपटान योजना के अंन्तर्गत अधिग्रहीत की गई है। इसके अतिरिक्त यह शाखा पट्टे के प्रशासन से संबंधित अन्य संबद्ध कार्यकलापों जैसे नामांतरण, अंतरण, बंधक अनुमति प्रदान करना और लीज होल्ड अधि कारों से फ्री होल्ड में परिवर्तन का कार्य भी करती है। इस अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियाँ की गईं–

क्र.सं.	मद	उपलब्धियाँ
1.	प्लाटों का आबंटन	शून्य
2.	प्रीमियम के रूप में प्राप्त की गई राशि	290.88 लाख
3.	कम्पोजीशन फीस के रूप में वसूली गई राशि	50.63 लाख
4.	निष्पादित हस्तान्तरण विलेख (फ्री-होल्ड)	1555
5.	कब्जा-पत्र	229
6.	निष्पादित पट्टा विलेख	289
7.	निर्णीत नामान्तरण	242
8.	समयावधि बढ़ाना	488

11.2.2 सहकारी समिति

सहकारी भवन निर्माण समिति कक्ष उन सहकारी समितियों का काम देखता है, जिन्हें प्लाटों का विकास करने के लिए भूमि आबंटित की गई है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की गई–

1.	कम्पोजीशन फीस	3,96,58,845/-
2.	परिवर्तन मामले	618
3.	उप-पट्टा विलेख निष्पादित किए	5
4.	नामांतरण मामले निपटाए	70
5.	समय वृद्धि	95
6.	बंधक अनुमति	8

11.2.3 भूमि विक्रय शाखा (रोहिणी)

भूमि विक्रय शाखा (रोहिणी), रोहिणी आवासीय योजना–1981 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों जैसे–म.आ.वर्ग, नि.आ. वर्ग एवं जनता के प्लाटों का आबंटन कार्य करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की गई–

1.	प्लाटों का आवंटन	1174
2.	वसूल की गई राशि	36.87 करोड़ रु.
3.	माँग पत्र जारी किये	1172
4.	तीसरी किश्त के लिए माँग पत्र	1434
5.	अन्तिम दरों के लिए माँग पत्र	2080
6.	कब्जा पत्र	3470
7.	भुगतान के लिए वृद्धि पत्र	6
8.	बंधक अनुमति	16
9.	कारण बताओ नोटिस	376
10.	रद्दकरण पत्र	104
11.	नामांतरण पत्र	578
12.	कंप्यूटर में पते बदले गए	424

11.2.4 पट्टा प्रशासन शाखा (रोहिणी)

यह शाखा रोहिणी आवासीय योजना के अंतर्गत आबंटित/नीलाम किए गए प्लॉटों के संबंध में पट्टा विलेख जारी/निष्पादन करने के मुख्य कार्य के अतिरिक्त लीज होल्ड से फ्री-होल्ड करने का कार्य भी करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की गई–

1.	कम्पोजीशन फीस	76,18,867/-
2.	परिवर्तन	1199
3.	पट्टा विलेख निष्पादित किए	2685
4.	नामांतरण	102
5.	समय वृद्धि	433
6.	बंधक	15

राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर में बच्चे स्केटिंग का आनन्द लेते हुए

11.2.5 भूमि विक्रय शाखा (औद्योगिक)

भूमि विक्रय शाखा नीलामी/आबंटन द्वारा औद्योगिक प्लॉटों का निपटान करती है। निपटान के अतिरिक्त, शाखा विलेखों के निष्पादन और प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की गई–

1.	पट्टा विलेख निष्पादन	8
2.	नामांतरण	77
3.	बंधक अनुमति	22
4.	परिवर्तन	310
5.	समय वृद्धि	35
6.	कारण बताओ नोटिस	21
7.	पट्टा विलेख रद्दकरण	1
8.	भू-भाटक	20,15,89,419 रु.

11.2.6 पुरानी योजना शाखा

पुरानी योजना शाखा, किंग्जवे कैंप के पुनर्विकास की योजना के प्लॉटों, पैकेज डील के अन्तर्गत अंतरित पुनर्वास मंत्रालय की भूमि और 24 राजस्व सम्पदाओं की भूमि के निपटान का कार्य करती है। यह शाखा गाडगिल आश्वासन योजना के अंतर्गत आने वाले प्लाटों को नियमित करने का कार्य करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की गई–

1.	पट्टा एवं सीडी का निष्पादन	307
2.	नामांतरण	24
3.	बंधक	8
4.	समय वृद्धि	7
5.	गाडगिल आश्वासन योजना के अंतर्गत आवंटन	52

भीकाजी कामा प्लेस, जिला केन्द्र

11.2.7 व्यावसायिक भूमि शाखा

व्यावसायिक भूमि शाखा विभिन्न व्यावसायिक केन्द्रों में दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित व्यावसायिक प्लॉटों, मिश्रित भूमि उपयोग के प्लॉटों के निपटान का कार्य करती है। व्यावसायिक प्लॉटों का निपटान नीलामी/निविदा/आवंटन आदि द्वारा किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की गई–

1.	प्लॉट के आवंटन का प्रकार क) नीलामी द्वारा ख) वैकल्पिक आवंटन द्वारा	 56 532
2.	नीलामी प्राशुल्क	1188.23 (करोड़) रु.
3.	भू-भाटक	5.60 (करोड़) रु.
4.	समयवृद्धि	37
5.	कब्जा-पत्र	84
6.	पट्टा विलेख निष्पादन	54
7.	नामांतरण/हस्तातंरण	81
8.	बंधक की अनुमति दी	60
9.	कारण बताओ नोटिस जारी	170
10.	आबंटन की बहाली	शून्य

11.2.8 व्यावसायिक सम्पदा शाखा

व्यावसायिक सम्पदा शाखा आरक्षित श्रेणियों अर्थात अनु. जाति/अनु. जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों भूमि अधिग्रहीत क्षेणी, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों और सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों–जिन्हें प्राधिकरण के विभिन्न संकल्पों द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है, को नीलामी, निविदा और आवंटन द्वारा निर्मित व्यावसायिक सम्पत्तियों के निपटान का कार्य करती है। इस शाखा द्वारा लाइसेंस शुल्क आधार पर निविदाओं द्वारा पार्किंग स्थलों के निपटान का कार्य भी किया जाता है। विवरण निम्नानुसार है–

1.	निविदा द्वारा आवंटन	कोई आवंटन नहीं
2.	सीआर पार्क में बेदखल व्यक्तियों को ड्रा द्वारा आबंटन	52
3.	कब्जा पत्र	394
4.	रद्दकरण पत्र	170
5.	आवंटन की बहाली	14
6.	कारण बताओ नोटिस	430
7.	नामांतरण	50
8.	बंधक	18

11.2.9 सांस्थानिक शाखा

सांस्थानिक शाखा, सामाजिक, सांस्कृतिक, सरकारी और अर्ध-सरकारी, डाक एवं तार, एमटीएनएल, डीवीबी, एमसीडी,

धार्मिक, निजी एवं सरकारी स्कूलों जैसे–विभिन्न संस्थानों को भूमि के आवंटन का कार्य करती है। दि.वि.प्रा. द्वारा सांस्थानिक प्लाटों के निपटान के लिए मुख्य नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं और अब अस्पतालों, नर्सिंग होम, उच्चतर अथवा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, समाज सदनों, क्लबों और स्कूलों के लिए निजी समितियों को स्थलों का निपटान केवल नीलामी के माध्यम से किया जाना है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की गईं।

1.	आवंटन पत्र	79
2.	कब्जा पत्र	80
3.	राशि प्राप्त की गई	106.75 करोड़
4.	बंधक रखना	66
5.	समय वृद्धि	278
6.	कारण बताओ नोटिस	185
7.	अनापत्ति प्रमाण पत्र	53
8.	निष्पादित पट्टे	128
9.	रद्दकरण पत्र	13

11.2.10 समूह आवास समिति

1.	प्लाट का आवंटन	शून्य
2.	प्राशुल्क प्राप्त किया	13,45,47,963/- रु.
3.	कम्पोजीशन फीस	94,32,494/- रु.
4.	परिवर्तन	4789
5.	कब्जा पत्र	3
6.	पट्टा विलेख	10
7.	नामांतरण/अंतरण	159
8.	अनापत्ति प्रमाण पत्र	2
9.	बंधक अनुमति	15
10.	कारण बताओ नोटिस	7
11.	हस्तांतरण विलेख	6456

11.3 भूमि लागत निर्धारण विंग

11.3.1 भू-भाटक की वसूली

भू-भाटक की बकाया देयताओं की वसूली को प्रभावित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। ब्याज सहित 50.00 करोड़ रु. के अनुमानित बकाया के कंप्यूटरीकृत चूककर्ता नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं और आगे भी नोटिस जारी किए जाते रहेंगे। विगत पाँच वर्षों के दौरान की गई भू-भाटक की वास्तविक वसूली निम्नानुसार है–

वर्ष	भू-भाटक (करोड़ रु. में)
2001-02	29.50
2002-03	33.96
2003-04	37.45
2004-05	40.85
2005-06	51.49

11.3.2 लाइसेंस शुल्क की वसूली

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कई सम्पत्तियाँ लाइसेंस शुल्क के आधार पर आवंटित की जाती हैं। जनकपुरी जिला केंद्र और भीकाजी कामा प्लेस में दि.वि.प्रा. की निर्मित सम्पत्तियाँ भी लाइसेंस शुल्क आधार पर आवंटित की गई थीं। वर्ष के दौरान इन सम्पत्तियों से लाइसेंस फीस वसूल करने के लिए कई कदम उठाए गए। गत पाँच वर्षों के दौरान लाइसेंस शुल्क की वास्तविक वसूली निम्नानुसार है।

वर्ष	लाइसेंस शुल्क (करोड़ रु. में)
2001-02	29.89
2002-03	32.88
2003-04	33.87
2004-05	28.28
2005-06	39.15

11.3.4 अन्य कार्य/पहल

वर्ष 2005-06 के लिए द्वारका, नरेला और रोहिणी फेज-3, 4 एवं 5 के लागत लाभ विश्लेषण और पूर्व निर्धारित दरों को वैज्ञानिक परियोजना मूल्यांकन के तरीके से उचित वित्तीय प्रबंध हेतु अंतिम रूप दिया गया है। ये दरें शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भी हाल ही में अधिसूचित की गई है। वर्ष 2006-07 के लिए नरेला, टीकरी कलां और रोहिणी फेज-4 एवं 5 की परियोजनाओं के संबंध में लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित कार्य को भी अंतिम रूप दिया गया है और 24.3.06 को हुई प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित कराया गया। अनुमोदन एवं अधिसूचना हेतु मंत्रालय को इस संबंध में आवश्यक पत्र भी भेजा गया है।

11.3.5 आवासीय सम्पत्तियों का परिवर्तन

आवासीय सम्पत्तियों के लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन के मामलों की भूमि लागत निर्धारिण विंग के लेखा अनुभाग द्वारा जाँच की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि प्रचलित निर्धारित नीतियों में न तो कोई विलंब होता है और न कोई उल्लंघन होता है। इस विभाग ने दि.वि.प्रा. के अधिकार क्षेत्र में आने

वाली कालोनियों से संबंधित मौजूदा परिवर्तन प्रभारों पर 50% तक परिवर्तन प्रभार बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है और इसे 15.02.2006 से प्रभावी बनाया गया है।

गाजीपुर सब्जी मंडी में दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित फ्लाई ओवर

11.3.6 व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों का परिवर्तन

जून, 2003 में सरकार ने व्यावसायिक और औद्योगिक सम्पत्तियों के लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन की योजना को अनुमोदित किया गया है। परिवर्तन योजना को उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाने के मुख्य तथ्य को ध्यान में रख कर, वर्तमान विस्तृत दर संरचना की समीक्षा के बाद, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों की दरों को पुनः युक्तिसंगत बनाने के लिए एक प्रयोग शुरू किया गया था। विस्तृत विचार-विमर्श करने और पर्याप्त सावधानी के बाद उपाध्यक्ष के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2005-06 के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक भूमि को बाजार दरों से युक्तिसंगत बनाया जाए, जिन्हें समान रूप में ग्रहण किया जाना है। दरों की उपर्युक्त युक्तिसंगतता से, परिवर्तन चाहने वाले इच्छुक आवेदकों की अच्छी प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन मिला है।

दरों की प्रासंगिकता और भू-संपदा में हुई अचानक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर कि वर्ष 2005-06 की दरों के संदर्भ में दरें आसमान को छू रही हैं, विभाग इस मामले में काफी प्रतिबद्ध नजर आता है और आबंटितियों की वास्तविक परेशानियों/ आवश्यकताओं को एक उदार दृष्टिकोण से देख रहा है ताकि विद्यमान व्यावसायिक और औद्योगिक दरों को वर्ष 2006-07 के लिए केवल 20% बढ़ाया जा सके, बावजूद इसके कि भू-संपदा बाजार में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। वर्ष 2006-07 के लिए संशोधित दरें निम्नानुसार जारी की गई हैं।

व्यावसायिक संपत्तियों के लिए बाजार दरें

क्र. सं.	जोन	2006-07 के लिए 100 एफ.ए.आर. हेतु प्रति वर्ग मीटर दरें
1	मध्य और दक्षिणी	43,200/-
2	पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और रोहिणी	30,000/-
3	द्वारका	43,200/-
4	नरेला	12,000/-

औद्योगिक संपत्तियों के लिए बाजार दरें

क्र. सं.	जोन	2006-07 के लिए प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित दरें
1.	मध्य और दक्षिणी	25,920/-
2.	पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और रोहिणी	18,000/-
3.	द्वारका	25,920/-
4.	नरेला	9,000/-

11.3.7 सांस्थानिक भूमि प्राशुल्क की दरों का संशोधन

वर्ष 2005-06 के लिए सांस्थानिक भूमि प्राशुल्क की दरों को निर्धारित करने हेतु प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 19.10.2005 को आयोजित बैठक में एक कार्यावली मद रखी गई और प्रस्तावित दरों का ढाँचा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। तदनुसार, मंत्रालय ने दि.वि.प्रा. के प्रस्ताव पर अपने पत्र सं. जे-13036/3/2000-डीडीवीए दिनांक 24.4.06 द्वारा अनुमोदन दि.वि.प्रा. को प्रेषित कर दिया है। तथापि, चालू कार्यकलापों के साथ गति बनाते हुए विभाग ने वर्ष 2006-07 के लिए सांस्थानिक भूमि दरों को निर्धारित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और यह उच्च प्राधिकारियों के सक्रिय विचाराधीन है।

11.3.8 अन्य महत्वपूर्ण मदें/उपलब्धियाँ

वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों के लिए भूमि प्राशुल्क निर्धारित करने, पेट्रोल पंपों के संबंध में लाइसेंस शुल्क निर्धारित करने और बैंकों, नर्सिंग होम तथा अतिथि गृहों के लिए अनुमति शुल्क निर्धारित करने के प्रयास किए गए हैं और इस मामले को मंत्रालय के साथ उठाया गया है। दि.वि.प्रा. की भूमि पर पेट्रोल पंप स्थलों को संस्थापित करने के लिए लाइसेंस फीस निर्धारित करने से संबंधित मामले को अंतिम रूप दे दिया गया है और यह लागू किया जा रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण मामला, चारदीवारी शहर में चावड़ी बाजार के बेदखलियों से वसूल की जाने वाली पूर्व निर्धारित दरों के निर्धारण के संबंध में था और काफी समय से लटका हुआ था, और उन्हें पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर

में बसाया जाना था। उसे अथक प्रयासों के बाद सुनिश्चित किया जा सका। इस मामले पर विस्तृत विचार-विमर्श करके और सूझबूझ से काम लिया गया था। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे दुरुपयोग प्रभारों का निर्धारण और विलंब से निर्माण करने के कारण संघटन शुल्क की दरों का आकलन करना आदि भी सुलझाए गए हैं और समय पर उपलब्ध कराए गए हैं।

11.3.9 लेखा, भूमि रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण

वर्तमान में लेखा विभाग में माँग और संग्रह रजिस्टरों का हस्तलिखित रख-रखाव किया जा रहा है। कभी-कभी इसके कारण आवंटितियों से रोकड़ सत्यापन अथवा देय बकायाओं के परिकलन में विलंब होता है। अत: यह निर्णय लिया गया कि भूमि के आवंटन से संबंधित लेखा के रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण करके, वर्तमान मैन्युअल वातावरण से स्वचलन में पर्याप्त परिवर्तन किया जाए। आवंटनों के ये रिकार्ड अद्यतन किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में इन्हें कंप्यूटरीकृत किए जाने की संभावना है।

11.3.10 भू-भाटक की वसूली की आउटसोर्सिंग

विभिन्न संपत्तियों से संबंधित भू-नाटक के संबंध में देयताओं/देयताओं के अद्यतन कार्यान्वयन से संबंधित अनुसरण कार्रवाई के एक भाग के रूप में दि.वि.प्रा. ने भू-भाटक की वसूली बाहरी संस्थाओं से कराने के लिए प्रमुख बैंकों में से एक अर्थात् इंडस इंड बैंक को पदनामित करने का ठोस निर्णय लिया है। इंडस इंड बैंक ने इस कार्य को गंभीरता से लिया है और इस महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने में विभिन्न विंगों द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। बैंक ने बहुत अच्छी प्रगति का प्रदर्शन किया है।

11.3.11 क्षतिपूर्ति की दरों में संशोधन

सरकारी भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण के लिए क्षतिपूर्ति हेतु इस समय दरों की तीन प्रकार की प्रणाली है–(क) 01.04.0981 से पूर्व के दखलकार (ख) 01.04.1981 से 31.3.92 तक के दखलकार और (ग) 01.4.1992 से आगे के दखलकार। क्षतिपूर्ति प्रभार एक दशक से पूर्व निर्धारित किए गए थे और इनमें काफी समय से संशोधन किया जाना था। शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय (एलएण्डडीओ डिवीजन) की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें दि.वि.प्रा. को भूमि दरों की 10% एक समान दर का अनुसरण करने के लिए कहा गया था। इसका अर्थ है मौजूदा दरों में लगभग 10 गुना वृद्धि। विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन के बाद मौजूदा दरों की 2.5 गुना दरों पर क्षतिपूर्ति की चालू दरें रखने पर प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ एक प्रस्ताव निश्चित किया गया है। दि.वि.प्रा. के अधीन नजूल-II/जीडीए भूमि के लिए यह प्रस्ताव है कि संबंधित उद्देश्य हेतु भूमि की बाजार दरों के 10% प्रति वर्ष की दर से क्षतिपूर्ति वसूल करने की सरकारी पद्धत्ति को ग्रहण किया जाए। क्षतिपूर्ति की वर्तमान दरों पर 5% वृद्धि के साथ ये दरें पुन: संशोधित की गई हैं।

डिस्ट्रिक्ट पार्क, हौज खास

खेलकूद

12

12.1 परिचय

सन् 1982 में दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों ने दिल्ली- वासियों के लिए खेल सुविधाओं की कमी के संबंध में जागरूकता पैदा की। इस पहलू ने दि.वि.प्रा. को खेल संबंधी नजरिया अपनाने की चुनौती दी, जिसने दिल्ली में खेलों की योजना और विकास में नए आयाम जोड़े। दि.वि.प्रा. द्वारा खेलों का विकास दिल्ली मुख्य योजना 2001 के अनुरूप है। दि.वि.प्रा. का पहला खेल परिसर सीरी फोर्ट में सन् 1989 में स्थापित किया गया, जिसने खेल योजनाकारों के सपनों को साकार किया। इन वर्षों में दि.वि.प्रा. के खेल विभाग ने पूरी दिल्ली में कई खेल-परिसर और बहु-व्यायामशालाएँ बनाई हैं, जिनका दिल्लीवासियों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। दिल्लीवासियों द्वारा इन सुविधाओं का उपयोग खेल-परिसरों के स्थायी सदस्य बनकर या तो 'भुगतान करो और खेलो' आधार पर या फिर अस्थायी सदस्य के रूप में अथवा आकस्मिक सदस्य के रूप में किया जा रहा है। उपलब्ध सुविधाएँ वहन करने योग्य हैं और आम जनता की पहुँच के अंदर है। छात्रों और वरिष्ठ नागरकिों (60 वर्ष और उससे अधिक) को रियायत देने के अतिरिक्त इन खेल-परिसरों को सभी आयु वर्ग के नागरिकों की पहुँच के अंदर बनाया गया है। खेल विभाग का प्रयास अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करके और विद्यमान सुविधाओं का विकास करके अधिक से अधिक परिसरों/बहु-व्यायामशालाओं की व्यवस्था करना रहा है। इसके अतिरिक्त दि.वि. प्रा. ने उद्यान विभाग के अधीन अन्य खेल/मनोरंजनात्मक सुविधाएँ जैसे खेल के मैदान, बाल-उद्यान और फिटनेस ट्रेल का विकास किया है।

श्री ए.के. जैन, आयुक्त, योजना, दि.वि.प्रा. श्री एस. जयपाल रेड्डी, माननीय केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री को यमुना खेल परिसर की विकास योजना समझाते हुए।

इस प्रकार, दि.वि.प्रा. ने दिल्लीवासियों को उनके घर के निकट न केवल खेलकूद सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं वरन् वह खेल को पूर्णत: समर्पित खेल सुविधाओं का विकास करके स्वास्थ्य और फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी महत्वपूर्ण रूप से सफल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दि.वि.प्रा. का खेल के प्रति दृष्टिकोण व्यापक हुआ है और यह खेल-परिसरों के अंदर कार्यकलापों से राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के समन्वय और आयोजन तक फैल गया है। दि.वि.प्रा. का राष्ट्रमंडल खेल 2010 की तैयारियों में भी बहुत बड़ा योगदान होगा।

12.2 उद्देश्य

- दिल्ली के नागरिकों को मनोरंजनात्मक और स्वास्थ्यकर वातावरण उपलब्ध कराना।
- समाज के उन वर्गों को खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराना, जो प्रतिष्ठित क्लबों आदि की सदस्यता का खर्च वहन नहीं कर सकते और ऐसे लोगों को खेल-सुविधाएँ उपलब्ध कराना जो खेलों को पूरी तरह से समर्पित क्लबों से जुड़ना चाहते हैं।
- उन विभिन्न खेलों को विकसित करना जो आम जनता की आसानी से पहुँच में नहीं है।

- खेल गतिविधियों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना और इस प्रकार आम तौर पर दिल्ली के नागरिकों के बीच और विशेष रूप से परिसरों के सदस्यों के बीच आपसी सहायता और सद्भाव की भावना पैदा करना।

12.3 प्रबंधन

12.3.1 खेल प्रबंध बोर्ड

निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था, खेल प्रबंध बोर्ड का गठन निम्नानुसार है–

उपराज्यपाल, दिल्ली	अध्यक्ष
उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.	सदस्य
वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.	सदस्य
अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.	सदस्य
निदेशक (खेल), दि.वि.प्रा.	सदस्य सचिव

12.3.2 खेल प्रबंध बोर्ड (एस.एम.बी) की भूमिका

- उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एस.एम.बी. सर्वोच्च है। यह नीति और निर्णय लेने वाली संस्था है। यह खेल के विकास पर दिशा-निर्देश और परामर्श देता है और खेल-परिसरों की वित्तीय स्थिति और समग्र प्रबंध पर नजर रखता है।
- एस.एम.बी. की बैठक सामान्यत: तीन महीने में एक बार होती है। यह जब कभी जरूरत होती है दि.वि.प्रा. के अन्य अधिकारियों अथवा बाहर से विशेषज्ञों को परामर्श के लिए बुलाती है।
- दि.वि.प्रा. में खेल के कार्यकारी प्रमुख वित्त सदस्य हैं। उनके अधीन निदेशक (खेल) हैं जो खेल विभाग के प्रमुख हैं और उनका खेल परिसरों पर पूर्ण नियंत्रण है। वे दि.वि.प्रा. में सभी खेल गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं।
- निदेशक (खेल) खेलों से सम्बन्धित मामलों पर उपाध्यक्ष और वित्त सदस्य को परामर्श भी देते हैं और खेल परिसरों के पदेन प्रशासक हैं।

12.3.3 प्रशासन

सभी खेल-परिसरों का संपूर्ण प्रशासन निदेशक (खेल) के अधीन है। उन्हें सचिव (समन्वय) और वरिष्ठ लेखाधिकारी (खेल) क्रमश: प्रशासन/खेल से संबंधित कार्यकलापों और वित्तीय प्रबंध पर सहायता देते हैं। प्रत्येक प्रशासन के दैनन्दिन प्रशासन का कार्य सचिव द्वारा देखा जाता है, जिनकी सहायता प्रबंधक और सहायक लेखा अधिकारी (स.ले.अ.) और खेल एवं रख-रखाव कर्मचारी करते हैं। खेल-परिसरों के रख-रखाव के लिए सिविल और विद्युत कार्यों, प्रत्येक के लिए एक-एक कनिष्ठ अभियंता और अनुभाग अधिकारी (उद्यान) हैं। इनमें से प्रत्येक, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों की सहायता से, जिनमें इलेक्ट्रिशियन, खलासी, मेट, बेलदार, उद्यान सर्वेक्षक, माली, हाउस कीपिंग/सुरक्षा कर्मचारी आदि शामिल हैं, इन खेल परिसरों के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार हैं। अधिकांश सेवाओं का कार्य जैसे हाउस-कीपिंग, सुरक्षा, मैदानों के रख-रखाव आदि का कार्य बाहर से (आउट सोर्स्ड) करवाया जाता है। जब जरूरत होती है तो पेशेवर संस्थाओं से अनुबंध आधार पर अन्य तकनीकी/फील्ड स्टॉफ कार्मिकों की भी सेवाएँ ली जाती हैं। केवल केन्द्र-प्रशासनिक लेखा और फील्ड कर्मचारी दि.वि.प्रा. के नियमित कॉडर से हैं।

विशिष्ट खेल-परिसर का संस्थागत चार्ट नीचे दिया गया है–

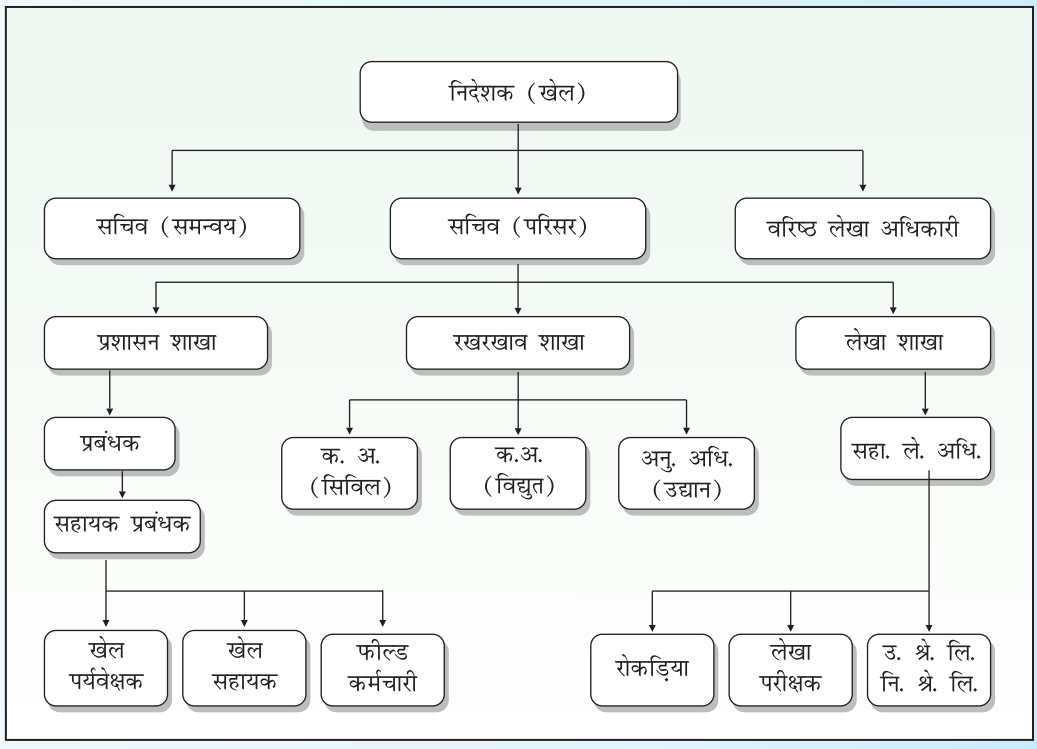

खेल परिसरों का विकास अनुमोदित हरित क्षेत्रों में दि.वि.प्रा. के अभियंताओं द्वारा किया जाता है। तथापि, डिजाइन और निर्माण के चरण के दौरान उपभोक्ता का ध्यान रखने के तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए निदेशक (खेल)/खेल विभाग की सलाह ली जाती है। एक बार खेल-परिसर का पूर्ण विकास हो जाने के बाद इन खेल परिसरों को चलाने और रखरखाव के लिए अभिरक्षक के रूप में खेल विभाग को सौंप दिया जाता है।

सीरी फोर्ट खेल परिसर में शूटिंग का एक दृश्य

12.4 खेल आधारिक संरचना का विकास, रखरखाव और सुधार

12.4.1 खेलकूद आधारिक संरचना

दि.वि.प्रा. द्वारा सन् 1989 में सीरी फोर्ट में अपना पहला खेल परिसर बनाने के बाद से, विकसित खेल परिसरों/जोड़ी गई अन्य बड़ी खेल सुविधाएँ नीचे दी गई हैं–

क)	खेल परिसर	13
ख)	मिनी खेल परिसर	01
ग)	बहुव्यायामशाला i) हरित क्षेत्रों में ii) खेल परिसरों के अंदर	 24 13
घ)	खेल परिसरों में तरणताल	13
ङ)	खेल के मैदानों में तरणताल	01
च)	इन्डोर बहुउद्देशीय/ बैडमिंटन हॉल	07
छ)	टेनिस कोर्ट (सिंथेटिक सरफेस)	85 (सिंथेटिक सतह वाले 21 सहित)
ज)	स्क्वाश कोर्ट	30 (ग्लास बैक वाल वाले 9 सहित
झ)	गोल्फ कोर्स	02 (कुतुब गोल्फ कोर्स और भलस्वा गोल्फ कोर्स)
न)	मिनी गोल्फ कोर्स	01
त)	गोल्फ ड्राइविंग रेंज	03

12.4.2 2005-06 के दौरान आधारिक संरचना में बड़े सुधार

- श्री रमाकांत गोस्वामी, क्षेत्र के विधायक द्वारा प्रसाद नगर में बहुव्यायामशाला का उद्घाटन।
- सीरी फोर्ट खेल परिसर (एस.एफ.एस.सी.) में तरणताल की गहराई को डीप-एन्ड पर 7 फुट तक घटाया गया।
- द्वारका खेल परिसर में ओलम्पिक आकार का तरणताल शुरू किया गया।
- आर.एस.के.पी. (पीतमपुरा) में ओलम्पिक आकार के तरणताल का निर्माण किया गया।
- एस.एफ.एस.सी. में 4 सिमेंटेड टेनिस कोर्ट सिंथेटिक कोर्ट में बदले गए।
- मेजर ध्यान चंद खेल परिसर में 2 सिमेंटेड टेनिस कोर्ट का सिंथेटिक कोर्ट में सुधार।
- रोहिणी खेल परिसर में 3 क्ले कोर्ट का पूर्ण पुनरुद्धार।
- सीरी फोर्ट बहुव्यायामशाला का पुनरुद्धार करके उसे आधुनिकतम साधनों से सुसज्जित फिटनेस सेंटर बनाया गया।
- साकेत खेल परिसर में एक स्केटिंग रिंक का निर्माण और बॉस्केट बॉल कोर्ट का सुधार कार्य किया गया।
- राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पीतमपुरा में कवर्ड बैडमिंटन हॉल और ऐरोबिक हाल को चालू किया गया।

दि.वि.प्रा. के एक खेल परिसर में चल रहे बॉस्केट बाल मैच का दृश्य।

12.4.3 सुविधाओं का प्रगामी विकास

दि.वि.प्रा. द्वारा किए गए विकास कार्यों का क्रमानुसार विवरण नीचे दिया गया है–

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
खेल परिसर	• मुनीरका में लघु खेल परिसर शुरु किया गया। • पीतमपुरा, द्वारका, चिल्ला एवं जसोला में नए विकसित परिसरों में सदस्यता खोली गई	• वसन्त कुंज खेल परिसर भाग-I का उद्घाटन किया गया।	• वसन्त कुंज भाग-I को परिचालित किया गया। • वसन्त कुंज भाग-II को भी खोला गया।	• अलकनंदा में लघु खेल परिसर के विकास का अनुमोदन किया गया।
स्वीमिंग पूल	• यमुना खेल परिसर के स्वीमिंग पूल को पूर्णत: शुरु किया गया। • एन. एस. एस. सी. (जसोला) एवं पश्चिम विहार खेल परिसर के स्वीमिंग पूल चालू किए गए।	• मुनीरका में स्वीमिंग पूल खोला गया।	• वसन्त कुंज में स्वीमिंग पूल चालू किया गया। • द्वारका पूल का निर्माण किया गया। • राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पीतमपुरा में पूल का निर्माण शुरु किया गया। • कान्ति नगर एवं प्रताप नगर में पूलों का निमार्ण शुरु किया गया।	• द्वारका स्वीमिंग पूल खोला गया। • राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पीतमपुरा में स्वीमिंग पूल का निर्माण किया। • सीरीफोर्ट खेल परिसर को सुरक्षित बनाने के लिए इसकी गहराई को 7 फीट कम किया गया। • कान्ति नगर एवं प्रताप नगर में पूलों का निर्माण चल रहा है। • सी.एस.सी. में पूल योजना के स्तर पर है।
मल्टिजिम	• 10 जिम (सुभाष मोहल्ला, बिन्दापुर, गोकलपुरी, हस्तसाल, मुनीरका, जसोला, द्वारका, चिल्ला, दिलशाद गार्डन, पूर्वी दिल्ली खेल परिसर एवं यमुना खेल परिसर में लेडीज़ जिम) खोले गए।	• 2 जिम (अवन्तिका एवं जनकपुरी) जनता के लिए खोले गए।	• वसन्त कुंज एवं सुभाष नगर मल्टिजिम खोले गए।	• प्रसाद नगर में मल्टि जिम खोला। • सीरी फोर्ट में मल्टि जिम को उन्नत किया गया। • सेल्वेज पार्क एवं मानसरोवर गार्डन में मल्टिजिम प्रगतिधीन है।
इन्डोर हॉल	• अत्याधुनिक निर्माण, आधुनिक बहुउद्देशीय इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा किया गया। • द्वारका एवं हरी नगर में इन्डोर हॉल को चालू किया गया।	• पीतमपुरा एवं साकेत में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण शुरु किया गया।	• पीतमपुरा एवं साकेत में इन्डोर हॉलों का विकास किया गया।	• राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर-पीतमपुरा बैडमिन्टन हॉल खोला गया। • साकेत में हॉल निर्माणाधीन है।
एरोबिक्स हॉल	• साकेत में एरोबिक्स हॉल चालू किया गया।	• पीतमपुरा, जसोला के के लिए एरोबिक्स हॉल अनुमोदित किये गए एवं सीरी फोर्ट खेल परिसर में उन्नत किया गया।	• पीतमपुरा एवं जसोला में एरोबिक हॉल का निर्माण चल रहा है।	• पीतमपुरा में चालू किया गया। • जसोला में निर्माणधीन।
गोल्फ कोर्स	• 3 होल भलस्वा गोल्फ कोर्स, ड्राइविंग रेंज के साथ पूरा किया गया।	• बी.जी.सी. में 3 और होल्स के विकास को नियोजित किया गया।	• कुतुब गोल्फ कोर्स में दो नए फेयर एवं होल्स को शामिल किया गया। • बी.जी.सी. में 3 और होल्स का विकास शुरु किया गया।	• कुतुब गोल्फ कोर्स को उन्नत किया गया। • बी.जी.सी. में 2 और होल्स जोड़े गए। • सीरी फोर्ट गोल्फ कोर्स में लघु गोल्फ कोर्स को उन्नत किया गया।

12.4.4 भावी विकास योजनाएँ

- सीरी फोर्ट खेल परिसर में स्कवाश ओर बैडमिन्टन के लिए स्पोर्ट्स स्टेडिया और यमुना खेल परिसर में टेबल टेनिस के लिए तथा राष्ट्र मंडल खेल 2010 के लिए अक्षर धाम मंदिर के पास खेल गाँव।
- 2006 स्वीमिंग सत्र के दौरान 3 स्वीमिंग पूल (पीतमपुरा, विकासपुरी एवं कान्ति नगर) खोलने की योजना है। तथापि, स्वीमिंग पूलों और मल्टी जिमों का भावी विकास बी.ओ.टी. आधार पर होगा।
- अलकनन्दा में लघु खेल परिसर का विकास अनुमोदित हो गया है और इस वर्ष के दौरान शुरु किया जाएगा।

- इस समय सेवाधीन क्षेत्रों में 4 और खेल परिसरों को प्रस्तावित किया जाना है। ये नरेला, करोलबाग / पटेलनगर / राजेन्द्र नगर, रोहिणी फेज़ –III और द्वारका फेज़–II में स्थित होंगे।

- भलस्वा गोल्फ कोर्स के विकास के अतिरिक्त द्वारका में 18 होल कोर्स के एक गोल्फ कोर्स की योजना बनाई जा रही है। विभिन्न एजेंसियों से क्लीयरैन्स मिलने पर, यमुना किनारे के साथ एक अन्य गोल्फ कोर्स पर विचार किया जा रहा है।

12.4.5 खेल सुविधाओं का रख रखाव

खेल परिसरों और उनकी सुविधाओं का दिन-प्रतिदिन का रखरखाव परिसरों की कार्य दक्षता का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक होता है। परिसरों से सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ताओं/ शाखाधिकारियों के अधीन कार्य कर रहे रखरखाव-स्टाफ की सहायता से सभी खेल परिसरों में इस पहलू पर जोर दिया जाता है। बनाई गई कार्य प्रणाली और जाँच सुनिश्चित करती है कि रखरखाव की कोटि उत्कृष्ट मानदण्ड वाली है। क्योंकि खेल परिसर पूर्वाह्न 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिदिन खुले रहते हैं, इसलिए सप्ताह में एक दिन अर्थात् सोमवार को रखरखाव-दिन के रुप में निर्धारित किया गया है, इस दिन खेल-परिसरों को खेल गतिविधियों के लिए बन्द रखा जाता है।

श्री एस.जयपाल रेड्डी, माननीय शहरी विकास मंत्री, यमुना खेल परिसर में निदेशक (खेल), दि.वि.प्रा. के साथ

12.5 राष्ट्रमंडल खेल-2010 की तैयारी

दि.वि.प्रा. राष्ट्रमंडल खेल-2010 (सी. डब्ल्यू जी-2010) की तैयारी में एक मुख्य सहयोगी है। यह राष्ट्रमंडल खेल-2010 के लिए निम्नलिखित सुविधाओं/आधारभूत संरचनाओं की तैयारी और विकास करने में पूर्णत: शामिल है:–

12.5.1 खेल गाँव

''नोएडा क्रासिंग'' पर अक्षरधाम मंदिर के पास स्थित खेलगाँव। इस गाँव में निम्नलिखित सुविधाएँ होंगी :

i) **आवासीय जोन**–7,500 खिलाड़ियों और कर्मचारियों के लिए आवास, भोजन स्थल, पोलिक्लीनिक, निवास केन्द्र इत्यादि।

ii) **अंतर्राष्ट्रीय जोन**–मुख्य प्रवेश द्वार, संभार-तंत्र और प्रत्यायन केन्द्र, समारोह स्थल, छोटी-छोटी सुविधाएँ, मीडिया, सांस्कृतिक, परिवहन और सूचना केन्द्र, आराम और मनोरंजन की सुविधाएँ होंगी।

iii) **गाँव कार्य एवं समर्थन क्षेत्र (वोसा)**–सेवा कार्य जैसे कूड़ा एकत्र करना/हटाना, खाने, लाइनन, ईंधन डिपो इत्यादि के लिए भंडारण सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

iv) **ट्रांसपोर्ट माल**–प्रतियोगिता और प्रशिक्षण स्थलों में खिलाड़ियों को आने और जाने की परिवहन सेवाएँ देना।

v) **अभ्यास क्षेत्र**–एथलेटिक्स ट्रैक, स्वीमिंग पूल, फिटनैस सेन्टर इत्यादि।

प्रतियोगिता स्थल

प्रतियोगिता स्थल में यमुना खेल परिसर में टेबल-टेनिस के लिए और सीरी फोर्ट खेल परिसर में बैडमिन्टन और स्कवॉश के लिए इन्डोर स्टेडियम होंगे।

प्रशिक्षण स्थल

प्रशिक्षण स्थल निम्नलिखित रूप से स्थापित होंगे:–

i) खेल गाँव–एथलैटिक्स, एक्वेटिक्स, फिटनैस सेन्टर।

ii) सीरी फोर्ट खेल परिसर–एक्वेटिक्स, स्क्वाश, बैडमिंटन, लॉन बॉल।

iii) यमुना खेल परिसर–एक्वेटिक्स, जिमनास्टिक्स, रग्बी 7 एस., टेबल टेनिस।

12.5.2 परामर्शदाताओं की नियुक्ति

राष्ट्रमंडल खेल गाँव के विकास के लिए डिजाइन और वित्तीय परमार्शदाताओं की नियुक्ति, खेल स्थलों और प्रशिक्षण स्थलों के प्रस्ताव हेतु व्यापक बोली दस्तावेज खेल विंग के तत्त्वाधान में तैयार एवं जारी किए गए।

12.5.3 राष्ट्रमंडल खेल-2010 समन्वय कार्यालय की स्थापना

राष्ट्रमंडल खेल–2010 के लिए एक समन्वय कार्यालय की स्थापना सीरी फोर्ट खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम के प्रथम तल पर की गई है।

12.6 खेल गतिविधियाँ

खेल विंग की 2005-06 की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार नियोजित खेल गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मुख्य उपलब्धियों का उल्लेख उत्तरवर्ती पैरा में किया गया है:–

12.6.1 पुरस्कार राशि के टूर्नामैन्ट

दि.वि.प्रा. ने उन लोगों के लिए खेलों को बढ़ावा देने और सुविधाजनक भागीदारी के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित पुरस्कार राशि वाले टूर्नामेन्ट आयोजित किए हैं, जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को दर्शाने का अवसर नहीं प्राप्त कर पाते। दि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित पुरस्कार राशि वाले टूर्नामैन्टों की राशि बढ़ा कर और टूर्नामेन्ट के स्तर को ऊँचा करके इसे और अधिक आकर्षित बनाया गया है जो निम्नलिखित है:

- **20 से 28 दिसम्बर, 2005 तक आयोजित किया गया द्वितीय उपराज्यपाल कप फुटबॉल टूर्नामेन्ट** अब अखिल भारतीय स्तर का टूर्नामेन्ट है। इसकी पुरस्कार राशि 1.60 लाख रु. से बढ़ाकर 4 लाख रु. कर दी गई है। टूर्नामेन्ट का आयोजन दि. वि.प्रा. द्वारा डा. अम्बेडकर स्टेडियम में किया गया।
- सीरी फोर्ट खेल परिसर में 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2005 तक कनिष्ठ स्तर (स्कूल स्तर) के लिए **चौथे डी.डी.ए. उपाध्यक्ष कप फुटबॉल टूर्नामैंट** का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के 20 नामी स्कूलों ने हिस्सा लिया। इसकी कुल पुरस्कार राशि 80,000/= रु. थी।
- हरीनगर खेल पसिर में 5 से 7 नवम्बर 2005 तक राज्य स्तर की टीमों के लिए **छठे डी.डी.ए. आमंत्रण वालीबॉल टूर्नामेन्ट का आयोजन किया गया।** इसकी बढ़ी हुई पुरस्कार राशि 10,000/=रु. थी। टूर्नामैंट में 13 टीमों ने हिस्सा लिया।
- ए.आई.टी.ए. के दिशा निर्देशों के अनुसार साकेत खेल परिसर में 21 नवम्बर से 26 नवम्बर 2005 तक कनिष्ठ स्तर (अण्डर 16) के लिए **डी.डी.ए. नैशनल सीरीज टैनिस टूर्नामैन्ट** (आई.टी.ए. रैंकिंग) का आयोजन किया गया।
- सीरी फोर्ट खेल परिसर में 25 से 29 सितम्बर 2005 तक **12वें डी.डी.ए. ओपन स्कवॉश टूर्नामैन्ट,** जो एक राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामैन्ट है, का आयोजन किया गया, इसकी पुरस्कार राशि 1.5 लाख रु. से बढ़ाकर 2 लाख रु. कर दी गई है।

कुतुब गोल्फ कोर्स में 'दि.वि.प्रा. ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप' का उद्घाटन

12.6.2 अन्य टूर्नामैन्ट

क) क्रिकेट

- डी.डी.ए क्रिकेट टूर्नामैन्ट ऑफ विजुअली चैलेन्जड 2005–आर.एस.सी. में 16 से 20 नवम्बर, 2005 तक इस टूर्नामैन्ट का आयोजन किया गया। इसमें 10 टीमों ने भाग लिया।
- डी.डी.ए. क्रिकेट टूर्नामैन्ट फॉर हीयरिंग इम्पेयर्ड 2005–आर. एस.सी. में 21 से 24 नवम्बर, 2005 तक इस टूर्नामैंट का आयोजन किया गया। इसमें 13 टीमों ने भाग लिया।
- दिसम्बर, 2005 के पहले सप्ताह में एम.डी.सी.एस.सी., अशोक विहार में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक क्रिकेट टूर्नामैन्ट का आयोजन किया गया।
- 22 नवम्बर, से 15 दिसम्बर, 2005 तक पश्चिम विहार खेल परिसर में स्कूलों (अण्डर-14) के लिए चौथे डी.डी.ए. आमंत्रण क्रिकेट टूर्नामैन्ट का आयोजन किया गया।
- 24 जनवरी, 2006 को पूर्व दिल्ली खेल परिसर में राजीव गाँधी मैमोरियल क्रिकेट टूर्नामैन्ट का आयोजन किया गया।

ख) फुटबॉल

- डी.डी.ए. कप फुटबॉल टूर्नामैंट का आयोजन 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर, 2005 तक सीरी फोर्ट खेल परिसर में किया गया।
- यमुना खेल परिसर में 14 से 23 अक्टूबर, 2005 तक 14 वर्ष से कम एवं 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इन्टर स्कूल फुटबॉल टूर्नामैन्ट आयोजित किया गया। इसमें 32 स्कूलों ने भाग लिया।

ग) हाकी

- 11वें डी.डी.ए. स्पोर्ट्स गाला में 14 से 25 दिसम्बर, 2005 तक स्कूली बच्चों के लिए चौथे आमंत्रण हॉकी टूर्नामैंट का आयोजन किया गया। श्री जफर इकबाल, अर्जुन पुरस्कार विजेता (हाकी) ने विजेताओं को पुरस्कार दिए।

घ) बास्केट बॉल

- पूर्व दिल्ली खेल परिसर में 23 नवम्बर, 2005 से 30 नवम्बर 2005 तक चौथे डी.डी.ए. बास्केट बॉल टूर्नामैंट का आयोजन किया गया। आसपास के स्कूलों की 8 टीमों ने इसमें भाग लिया।
- साकेत खेल परिसर में 20 से 24 दिसम्बर, 2005 तक स्कूल स्तर के इन्वीटेशनल बास्केट बॉल टूर्नामैंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामैंट में 16 स्कूलों ने भाग लिया।
- यमुना खेल परिसर में 10 अगस्त, 2005 को ''मनोविकास कम्प्रीहैन्सिव रीहैबिलिटेशन एण्ड रिसर्च सैन्टर'' ने मानसिक रूप से विकलांग लगभग 60 व्यक्तियों के लिए एक बास्केटबॉल मैच का आयोजन किया।

लॉन टेनिस मैच चल रहा है

ङ) वॉलीबॉल

- हरि नगर खेल परिसर में 15 से 17 नवम्बर, 2005 तक डी.डी.ए. आमंत्रण वालीबॉल टूर्नामैंट (राज्य स्तर) का आयोजन किया गया।

च) टैनिस

- यमुना खेल परिसर में 11 से 16 जुलाई, 2005 तक 14 वर्ष से कम तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और लड़कों के लिए आई.ए.टी.ए. जूनियर चैम्पियनशिप सीरीज (राष्ट्रीय स्तर के टेनिस टूर्नामैंट) का आयोजन किया गया।
- साकेत खेल परिसर में 21 से 26 नवम्बर, 2005 तक डी.डी.ए. नैशनल सीरीज अण्डर-16 टैनिस टूर्नामैंट (ए.आई.टी.ए. रैकिंग) का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न भागों से 227 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया।

छ) बैडमिन्टन (अन्तर्राष्ट्रीय)

- सीरी फोर्ट खेल परिसर के इन्डोर स्टेडियम में 21 से 25 नवम्बर 2005 तक पाँचवीं यू.एस.आई.सी. वर्ल्ड रेलवे बैडमिन्टन चैम्पियनशिप-2005 का आयोजन किया गया।
- द्वारका खेल परिसर में 22 से 26 नवम्बर, 2005 तक लड़कों एवं लड़कियों के लिए इन्टर स्कूल बैडमिन्टन टूर्नामैंट का सफलता-पूर्वक आयोजन किया गया।
- रोहिणी खेल परिसर ने स्पोर्ट्स गाला के अन्तर्गत 14 से 18 दिसम्बर, 2005 तक अपने सदस्यों के लिए बैडमिन्टन टूर्नामैंट 2005 का आयोजन किया।
- सीरी फोर्ट खेल परिसर में 18.10.2005 से 23.10.2005 तक एशियन इन्टरनैशनल बैडमिन्टन चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैम्पियनशिप में सात देशों अर्थात् नेपाल, मलेशिया, इन्डोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान और भारत ने भाग लिया।

ज) स्क्वाश

- सीरी फोर्ट खेल परिसर में 25 से 29 सितम्बर, 2005 तक 12वें डी.डी.ए. ओपन स्क्वाश टूर्नामैंट का आयोजन किया गया।
- साकेत खेल परिसर में 20 से 24 सितम्बर, 2005 तक दिल्ली स्क्वाश एसोसिएशन (स्क्वाश रैकेट्स फैडरेशन ऑफ इण्डिया से सम्बद्ध) द्वारा आयोजित नोर्थन इण्डिया दिल्ली स्क्वाश चैम्पियनशीप-2005 का आयोजन किया गया।

झ) टेबल टेनिस

- वसन्त कुंज खेल परिसर में 25 से 27 नवम्बर, 2005 तक इन्टर स्कूल टेबल टेनिस आमंत्रण टूर्नामैंट का आयोजन किया गया।
- सीरी फोर्ट खेल परिसर के इन्डोर स्टेडियम में 17 से 20 दिसम्बर, 2005 तक एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामैंट का आयोजन किया गया। चीन, जापान और कोरिया सहित एशिया के अग्रणी देशों ने इसमें भाग लिया।

ञ) स्केटिंग

- यमुना खेल परिसर में 10 से 12 जून, 2005 तक 5 वीं लाल बहादुर शास्त्री मैमोरियल रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न आयु के 237 प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया।
- एम.डी.सी.एस.सी., अशोक विहार में 7 एवं 8 दिसम्बर, 2005 को 10वीं रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया।

ट) नैट-बॉल

- यमुना खेल परिसर में 26 अप्रैल, 2005 को भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा नेट-बॉल मैच आयोजित किया गया। मैच पाकिस्तान टीम ने जीता।

ठ) सॉफ्ट-बॉल

- यमुना खेल परिसर में 21 से 26 जून, 2005 तक सॉफ्ट-बॉल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली द्वारा जूनियर नैशनल सॉफ्टबॉल चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें 23 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों से लड़के और लड़कियों की टीमों ने भाग लिया, जिनमें लगभग 1000 खिलाड़ी थे।

12.6.3 खेल समारोह

अक्टूबर, 2005 से जनवरी, 2006 के बीच 15 दिनों के अवधि के लिए सभी खेल परिसरों के वार्षिक खेल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिन्टन, स्क्वाश और बिलियर्ड/स्नूकर जैसे खेल थे। इन प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त टीमों के खेल जैसे फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, वालीबॉल और स्केटिंग भी खेल समारोह के दौरान परिसरों द्वारा आयोजित किए गए।

12.6.4 गोल्फ टूर्नामैन्ट

कुतुब गोल्फ कोर्स में वर्ष के दौरान निम्नलिखित टूर्नामैंट आयोजित किए गए :-

क) कुतुब गोल्फ कोर्स में 6 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2005 तक डी. डी.ए. ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप (प्रो-एम) आयोजित की गई।

ख) दिल्ली गोल्फ सोसाइटी दिल्ली स्टेट इन्टर स्कूल अमेच्योर गोल्फ चैम्पियन 27 से 28 सितम्बर, 2005 तक आयोजित की गई।

ग) एडमिरल्स कप गोल्फ टूर्नामेंट 26 नवम्बर, 2005 को आयोजित किया गया।

घ) एक मैडल राउन्ड गोल्फ टूर्नामेंट 7 जनवरी, 2006 को आयोजित किया गया।

ङ) सी ए जी कप गोल्फ टूर्नामेंट 4 फरवरी, 2006 को आयोजित किया गया।

च) आई सी आई सी आई प्राइवेट बैंकिंग टूर्नामेंट 15 फरवरी, 2006 को हुआ।

छ) लैफ्टिनेंट गवर्नर गोल्फ कप 4 मार्च से 5 मार्च, 2006 तक आयोजित किया गया।

ज) दि.वि.प्रा. ने अपने कुतुब गोल्फ कोर्स में 11 मार्च से 12 मार्च, 2006 तक सिविल सर्विसिज गोल्फ चैम्पियनशिप, दिल्ली जोन आयोजित किया।

झ) 25 मार्च, 2006 को 'द ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया टूर्नामेंट' आयोजित किया गया।

दिल्ली के उपराज्यपाल श्री बी.एल. जोशी एल.जी.गोल्फ कप के विजेता मुकेश कुमार को पुरस्कार राशि देते हुए

12.7 कोचिंग

खेल परिसरों ने पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों में कोचिंग आयोजित की। श्री गुरुचरन सिंह, श्री मदनलाल, श्री सुमित डोगरा, श्री दिनेश वर्मा और श्री अचरेकर द्वारा आयोजित की गई क्रिकेट-कोचिंग ने काफी प्रशंसा प्राप्त की। सीरी फोर्ट और साकेत खेल परिसरों में 5-8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए संचालित की जा रही लघु रैकेट मिनी टैनिस कोचिंग बहुत अच्छी तरह से ली जा रही है। अन्य विशेष स्कीमों, जैसे पेनिन्सुला टेनिस अकादमी और टीम टेनिस अकादमी द्वारा टेनिस में दी जानी वाली उच्च कोचिंग ने काफी अच्छा परिणाम दिया है। इन अकादमियों के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त अनेक युवा लड़के और लड़कियाँ राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। खेल परिसरों में कोचिंग ले रहे कई युवा स्केटरों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में भाग लेकर अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

कराटे कोचिंग क्लास चल रही है

12.7.1 ग्रीष्मकालीन कोचिंग कैम्प

सभी खेल-परिसरों में विभिन्न खेलों में बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियों के दौरान सफलतापूर्वक कोचिंग कैम्प चलाए गए। कुतुब गोल्फ कोर्स में दिनांक 1 जून से 16 जून, 2005 तक और 20 जून से 2 जुलाई, 2005 तक दो ग्रीष्मकालीन कोचिंग कैंप/क्लीनिक आयोजित किए गए। इन कैंपों/क्लीनिकों से अनेक बच्चों ने लाभ उठाया।

12.7.2 तैराकी प्रशिक्षण

दि.वि.प्रा. द्वारा चलाए जा रहे 12 तरण ताल जल की गुणवत्ता, साफ-सफाई और उत्तम परिवेश के लिए जाने जाते हैं। सुरक्षित तैराकी-सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त सदस्यों और गैर-सदस्यों को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। तैराकी-सत्र की समाप्ति पर कई प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताएँ आयोजित करके तैराकी समारोह का समापन किया गया।

12.7.3 खेल-कूद प्रोत्साहन स्कीमें

- **एथलेटिक्स**–पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत श्री जी.एस. रंधावा की देख रेख में लड़के एवं लड़कियों के लिए डी.डी.ए. एथलेटिक्स प्रोत्साहन स्कीम अच्छी तरह से कार्य कर रही है। स्कीम में 15 प्रशिक्षुओं ने वर्ष के दौरान, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया और उन्होंने 26 स्वर्ण, 17 रजत और 7 कास्य पदक जीते।
- **फुटबॉल प्रोत्साहन स्कीम**–इस स्कीम ने, जो श्री मेल्विन डिसूजा (भूतपूर्व फीफा रैफरी) के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में जून, 2002 में आरंभ की गई थी, एक सराहनीय कार्य किया है। नए प्रशिक्षुओं (16 वर्ष से कम आयु के लड़कों) के चयन हेतु यमुना खेल परिसर में 16 एवं 17 जुलाई, 2005 को तथा 23 एवं 24 जुलाई को सीरी फोर्ट खेल परिसर में ट्रायल किए गए। इस समय इस स्कीम की कुछ उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं –

  क) सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामैन्ट - 2005 में 31 लड़कों ने अपने-अपने स्कूल की टीमों का प्रतिनिधित्व किया।

  ख) 11 लड़के (16 वर्ष से कम आयु के) दिल्ली राज्य टीम के सदस्य थे, जिन्होंने नॉर्थ जोन में भाग लिया। कलकत्ता/गोवा के कोचिंग कैम्पों में प्रशिक्षण लेने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन द्वारा 3 प्रशिक्षुओं को उदीयमान फुटबॉलर के रूप में चुना गया।

  ग) 18 प्रशिक्षुओं को फुटबॉल में उनकी प्रतिभा और कौशल के कारण पब्लिक स्कूलों (एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, सुब्रतो पार्क/लोदी रोड) में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। उनके शिक्षा-शुल्क और परिवहन शुल्क में छूट दी गई।

12.8 सदस्यता प्रबंध

वर्ष के दौरान 4094 सदस्यों का नाम दर्ज किया गया। परिसरों द्वारा उन सदस्यों को नियमित नोटिस भेजे गए जिन्होंने अपने मासिक अंशदान का भुगतान नहीं किया था। वर्ष 2005-2006 के दौरान (फरवरी 2006 तक) 3945 सदस्यों की सदस्यता समाप्त की गई।

12.9 प्रचार

वर्ष के दौरान दि.वि.प्रा. के चार खेल समाचार पत्र प्रकाशित किए गए जिनमें परिसरों में खेल गतिविधियाँ, सुविधा विकास पर चल रहा कार्य, मुख्य खेल-कूद कार्यकलापों पर तकनीकी लेख और उन कार्यकलापों पर फोकस, जिन्हें राष्ट्र मण्डल खेल 2010 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा, संबंधी जानकारी दी गई थी।

12.10 वित्तीय प्रबंध

- दि.वि.प्रा. के खेल परिसरों की संरचना ऐसे की गई है जिससे कि वह स्वयं को संपोषित कर सके। इसे सम्भव करने के लिए उन सदस्यों का नामांकन किया जाता है जो एक बार प्रवेश शुल्क देने के अतिरिक्त मासिक अंशदान भी करते हैं। जिससे कि खेल परिसरों का रखरखाव करने में सहायता मिलती है। हालांकि खेल परिसर सदस्यता उन्मुखी होते हैं, ये सभी के लिए 'भुगतान करो और खेलो' आधार पर उपलब्ध होते हैं। शुल्क प्रभार इतने कम और वहन करने योग्य होते हैं जिससे कि लगभग सभी को इनका उपयोग करने में आसानी हो। विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट दी जाती है।
- विस्तारणीय निर्माण कार्यों/पूँजी स्वरूप में सुधार सहित खेल परिसरों के विकास और अन्य खेल सुविधाओं पर पूँजी व्यय दि.वि.प्रा. के नजूल लेखा II खाते से पूरा किया जाता है। हालांकि, दिन-प्रतिदिन की खेल सुविधाओं के रख- रखाव का कार्य सदस्यता शुल्क और विविध प्राप्तियों द्वारा खेलकूद शाखा करती है। जहाँ अपेक्षित होता है, वहाँ पर कम लोकप्रिय परिसरों की तुलना में अधिक लोकप्रिय परिसरों से प्रति-आर्थिक सहायता दी जाती है।
- परिसरों द्वारा सदस्यता हेतु इकट्ठी की गई अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क राशि पूँजी व्यय के लिए दि.वि.प्रा. मेन को जमा कराई जाती है। इस खाते में डी.डी.ए. मुख्यालय में दिसम्बर 2005 तक 2331.17 लाख रु. जमा किए जा चुके हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान (दिसम्बर, 2005 तक) 74.14 लाख रु. अधिक सृजित किए गए हैं।

  दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलाने और रखरखाव, जिसमें कर्मचारियों का वेतन, संस्थापना की लागत, हाउस कीपिंग, सुरक्षा शामिल हैं, का खर्च परिसर स्वयं वहन करते हैं। सदस्यता और 'भुगतान करो और खेलो' की संकल्पना द्वारा ऐसा सम्भव हो सका है। जहाँ भी आवश्यकता होती है तब अधिक लोकप्रिय परिसर से कम लोकप्रिय परिसर को आर्थिक सहायता दी जाती है।
- लेखों का मासिक विवरण दि.वि.प्रा. मेन को भेजा जाता है। पुनरीक्षण के अंतर्गत वर्ष के सभी खेल परिसरों के वार्षिक खाते पूरे कर लिए गए हैं और मु. लेखा अधिकारी को डी.डी.ए. मेन खाते में भेज दिए गए हैं। खेल परिसरों का बजट अगले वित्त वर्ष में डी.डी.ए. मेन बजट में शामिल कर लिया गया है। खेल शाखा के खातों की लेखा परीक्षा दि.वि.प्रा. के आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है और बाहरी लेखापरीक्षा सी.ए.जी. कार्यालय द्वारा की जाती है। सभी खेल परिसरों के खातों की लेखापरीक्षा हो चुकी है।
- सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सो में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं और बिल नोटिस भेजने का कार्य कम्प्यूटरीकृत होता है और नियमित आधार पर किया जाता है। चूककर्ताओं की बकाया सूची को निपटाया जा रहा है और ऐसे लोग जो नियमित रूप से चूककर्ता सूची में हैं उनकी सदस्यता समाप्त की जा रही है।

12.11 निष्कर्ष

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित खेल परिसरों ने दिल्लीवासियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा की हैं। इन खेल परिसरों ने खेल सुविधाओं के अतिरिक्त हरित पर्यावरण और मनमोहक विस्तार भी दिए हैं। इस वर्ष के दौरान विद्यमान खेल परिसरों और मल्टीजिमों में कई सुविधाओं में सुधार किया गया है। दि.वि.प्रा. स्पोर्ट्स विंग द्वारा खेल परिसरों में अनेक टूर्नामेंटों के अलावा पाँच राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल (दो टूर्नामेंट), स्क्वैश, टेनिस (ए आई टी ए रैंकिंग) और वौलीबॉल में इनामी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। पब्लिक गोल्फ कोर्स, लाडो सराय में कई गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किए गए जिसमें प्रोफैशनल गोल्फ एसोसिएशन आफ इंडिया के संरक्षण/देख-रेख में प्रथम प्रो-एम प्रतियोगिता भी शामिल है। दि.वि.प्रा. ने अपनी प्रोत्साहन स्कीम के अन्तर्गत प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एथलेटिक्स और फुटबॉल को प्रोत्साहित करने हेतु अपने प्रयास जारी रखे। दिल्ली को राष्ट्रमंडल खेल-2010 आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपे जाने के कारण, दि.वि.प्रा. को खेलगाँव का विकास करने और बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस हेतु स्टेडियमों तथा सभी तीनों स्थानों पर प्रशिक्षण-स्थलों का विकास करने का कार्य सौंपा गया है।

उद्यान–राजधानी को हरा–भरा बनाना

13

13.1 कंकरीट जंगल में सदा हरा–भरा रहने वाला वन मिलना आश्चर्य की बात है। इसी सत्यता के कारण दि.वि.प्रा. को देश में श्रेष्ठ हरित क्षेत्रों के जाल की व्यवस्था करने के लिए अपने ऊपर गर्व है। इस बात का श्रेय नगर वनों के विकास, वन क्षेत्र, हरित पट्टियों, गोल्फ कोर्स, खेल परिसर, सहस्त्राब्दी पार्क और आवासीय कालोनियों, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रों तथा विरासत स्मारकों के आस–पास बने हुए लघु भूखण्डों के कारण मिला है। वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, मंत्रियों/विधायकों और संसद सदस्यों ने भाग लिया। मार्च, 2006 में दि.वि.प्रा. के उद्यान विभाग द्वारा एक पुष्प–प्रदर्शनी का भी सफलता–पूर्वक आयोजन किया गया।

13.2 पिछले वर्षों की तरह दि.वि.प्रा. ने वसंत ऋतु के दौरान 3 मार्च से 5 मार्च, 2006 तक 22 वीं वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान, दि.वि.प्रा. 'एक उज्ज्वल भविष्य हेतु हरित क्षेत्रों का परिरक्षण और विकास' लक्ष्य को साकार करने का प्रयास किया।

अपने प्रारम्भिक काल से चार दशकों में दि.वि.प्रा. ने दिल्ली के पर्यावरण को अच्छा बनाने में सफलता पाई है और दिल्ली निवासियों को स्वस्थ एवं सुखी जीवन प्रदान किया है। यह माना जाना चाहिए कि दिल्ली का विकास एक निरन्तर प्रगतिशील प्रक्रिया है।

वर्ष 2005–06 के दौरान उत्तरी जोन में कार्य निष्पादन/ उपलब्धियाँ

क्र. सं.	मद	वर्ष 2005-06	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	वृक्षारोपण	1,44,195	1,46,680
2	नए लॉनों का विकास	100.18 एकड़	44.62 एकड़
3	बाल उद्यान/कॉर्नर का विकास	28	12

वर्ष 2005–06 के दौरान दक्षिणी जोन में कार्य निष्पादन/ उपलब्धियाँ

क्र. सं.	मद	वर्ष 2005-06	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	वृक्षारोपण	2,36,000	2,63,746
2	नए लॉनों का विकास	132.70 एकड़	76.47 एकड़
3	बाल उद्यान/कॉर्नर का विकास	10	4

कुतुब गोल्फ कोर्स

14 कोटि आश्वासन कक्ष

14.1 आज की उच्च प्रतिस्पर्धा की दुनिया में ग्राहक बादशाह हैं इस प्रकार ग्राहकों की सन्तुष्टि के लिए दि.वि.प्रा. के पास 'क्वालिटी' का एक नया मंत्र हैं, इसका प्रयोग मात्र दि.वि.प्रा. के सेवा करने वाले विभिन्न विभागों में ही नहीं किया जाता बल्कि निर्माण कार्यों में भी किया जाता है।

14.2 निर्माण की कोटि के प्रर्यवेक्षण और मानीटरिंग पर, मात्र कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा ही नियमित रूप से कार्य नहीं किया जाता, बल्कि आंतरिक रूप से अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ताओं के स्तर पर भी नियमित जाँच की जाती है और बाहरी रूप से दि.वि.प्रा. के अभ्यन्तर कक्ष कोटि नियंत्रण के स्तर पर समय-समय पर निरीक्षणों को आयोजन करके भी जांच की जाती है।

14.3 कोटि नियंत्रण कक्ष, जिसका वर्ष 1982 में थोड़े से कर्मचारियों के साथ गठन किया गया था, जो अब 6 कनिष्ठ अभियन्ताओं, 9 सहायक अभियन्ताओं, (7 सिविल और 2 विद्युत) 7 अधिशासी अभियन्ताओं (6 सिविल और 1 विद्युत), एक सहायक निदेशक (उद्यान), और एक अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता (कोटि नियत्रंण) प्रमुख के साथ अपनी पूरी शक्ति सहित अब बढ़ गया है। कोटि आश्वासन में यह इकाई महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है, जो सामग्री और कारीगरी की कोटि में ही उत्तम नहीं है बल्कि प्लानिंग, डिजाइनिंग, कन्ट्रैक्ट डोकूमैंटस, स्पैसिफिकेशन आदि की कोटि में भी उत्तम है और जब कभी भी आवश्यकता होती है यथा स्थिति समय-समय पर मार्गदर्शन और परिपत्र आदि जारी करता है। कुछ मेगा परियोजनाओं/प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए किसी अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण का कार्य शुरू किया गया और सी.आर.आर.आई., आई. आई. टी. आदि अभिकरण भी परामर्शदाताओं के रूप में लिए गए हैं।

14.4 कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा फाउंडेशन स्तर पर, सुपर स्ट्रक्चर स्तर पर कम से कम तीन बार जाँच होती है। कार्य पद्धति और कारीगरी के पहलू पर रिकार्ड के रखरखाव के लिए पूरा ध्यान दिया जाता है। कोटि लेखा परीक्षण के दौरान समुचित रूप से जाँच की जाती है। नोट की गई कमी यदि कोई हो तो उसे तुरंत उपयुक्त और प्रभावकारी प्रशासनिक/संविदात्मक कार्रवाई के लिए तुरन्त अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियंता के नोटिस में लाया जाता है। कमी देखकर उसे दूर करने के लिए बहुत निगरानी रखी जाती है।

14.5 गृहीत विशेष विनिर्दिष्टियों और तकनीकियों की नियमित रूप से समीक्षा हो रही हैं और वर्तमान आवश्यकताएं, वातावरण, पर्यावरणीय परामर्श, नई निर्माण सामग्री का उपयोग, नई तकनीकियों, आर.एम.सी. आदि का उपयोग करने के लिए उपयुक्त सुधार हो रहा है। कार्य की कोटि के मामले में समझौता किए बिना समय और मूल्य पर नियंत्रण किया जाता है। कार्यात्मक आवश्यकताएँ सौंदर्य और भवन की संरचनात्मक मजबूती की प्रभावकारी रूप से मानीटरिंग की जाती है।

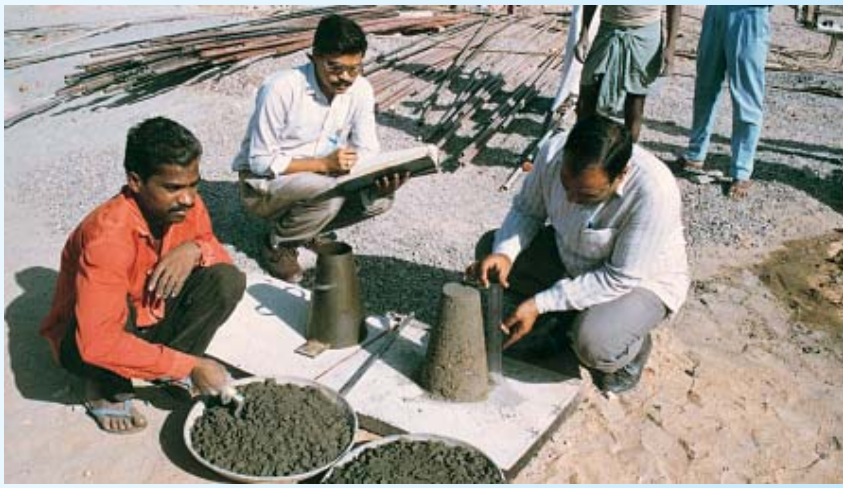

स्थल पर की जा रही कोटि नियंत्रण जांच

14.6 आकाश एक सीमा है, इस सार को मस्तिष्क में रखते हुए दि. वि.प्रा. लगातार सेवाओं/कार्य की गुणवत्ता में सुधार को बढ़ा रहा है। प्रत्येक जोन में जोनल स्तर की परस्पर क्रियात्मक कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें सभी स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया और सतत गुणवत्ता सुधार हेतु कनिष्ठ अभियंताओं से लेकर अधीक्षण अभियंताओं तक ने बहुमूल्य सुझाव दिए। सी.पी. डब्ल्यू डी/सीआर आर आई/एन सी सी बी एम/ एनपीसी आदि विभागों द्वारा दक्षता उन्नयन हेतु संचालित किए जाने वाले रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोटि नियंत्रण के अधिकारियों और अन्य इंजीनियरिंग स्टाफ को भेजा गया।

14.7 लंबे अरसे के कोटि नियंत्रण पैरों और मामलों की समाप्ति के लिए भी बल डाला गया है, जिसके लिए विभिन्न कार्यालयों, ए. टी.आर, एस. में पड़े निलम्बित मामलों के लिए कोटि आश्वासन कक्ष के माध्यम से संबंधित अधिशासी अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं/ मुख्य अभियन्ताओं ने एक अभियान चलाया था और अन्तिम कार्रवाई तक पहुँचने तक या तो मामले को बंद किया जाए या दोषी कर्मचारियों/ ठेकेदारों के विरुद्ध प्रशासनिक/संविदात्मक कार्रवाई की जाए। परिणामस्वरूप कोटि आश्वासन कक्ष वर्ष के दौरान 441 पुराने मामलों को समाप्त करने में सफल हुआ और इसकी अन्तिम कार्रवाई तक अच्छी संख्या हो गई, जो पिछले निष्पादनों की तुलना में एक रिकार्ड है।

14.8 जब कभी भी शिकायत मिली कोटि आश्वासन कक्ष/ इकाई के माध्यम जांच की गई और आवश्यक समझे जाने पर सतर्कता इकाई द्वारा सतर्कता कार्रवाई आरम्भ की जाती है। वर्ष के दौरान ऐसे 9 मामले जांचे गए थे।

14.9 कार्य के लिए सामग्री का चयन, प्रतिनिधिक नमूनों को एकत्र करना और प्रतिष्ठित और उपयुक्त लैब में इसकी जांच कराया जाना आत्यंतिक महत्त्वपूर्ण है। कोटि आश्वासन कक्ष ने एशियन गेम्सविलेज कॉम्प्लैक्स में एक ठीक प्रकार से सज्जित जांच लैब (एक सहायक अभियन्ता और 2 कनिष्ठ अभियन्ताओं सहित) बनाया हुआ है। यद्यपि फील्ड स्टाफ द्वारा स्थल पर दैनिक जांच की जाती है, निरीक्षण के दौरान कोटि आश्वासन टीम द्वारा एकत्रित यादृच्छिक नमूनों की अक्सर लैब में जांच कराई जाती है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में बहुत विश्वास के साथ प्रवृत्त करना, जांच की वर्तमान पद्धति शक्तियुक्त हो गई है और इस संबंध में संशोधित निर्देशन जारी किए जा रहे हैं, बाहर के लैबों में कम से कम 25% नमूनों को जांच के लिए देने पर बल दिया जाता है। दस अन्य लैब जैसे श्रीराम टैस्ट हाऊस और एन.टी. एच दिल्ली टैस्ट हाऊस भी सामग्रियों की जांच के लिए अनुमोदित हो गए हैं। इससे दि.वि.प्रा. का कोटि आश्वासन लैब का और भी नवीकरण होगा/शक्ति युक्त बनेगा।

14.10 आई.एस.ओ: 9001-2000 प्रमाणन प्राप्त करने के उद्देश्य से, जो कि संपूर्ण रूप में कोटि नियंत्रण कक्ष को आधारभूत प्रमाणन के लिए नमूना हो सकता है, कोटि मैनुअल की प्रक्रियाओं को ड्राफ्ट किया गया है और सिलसिलेवार प्रशिक्षण कार्य-क्रम संचालित किये गए हैं। प्रमाणीकरण हेतु आवेदन, बी.आई.एस. को शीघ्र ही भेजा जाएगा।

14.11 वर्ष 2005-06 के दौरान उपलब्धियाँ और वर्ष- 2006-07 हेतु लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

तुलनात्मक आंकड़ों का निष्पादन/लक्ष्य

क्र. सं.	विवरण	2005 06	2004 05	2003 04	2006-07 लक्ष्य
1.	निरीक्षण	366	366	362	330
2.	तकनीकी लेखा परीक्षा	-	-	-	40
3.	नमूने/सामग्री	477	385	383	480
4.	फाइलें बंद करना	441	220	150	480
5.	शिकायतों की जांच	9	11	5	यथा प्राप्त
6.	कोटि नियंत्रण प्रयोग-शाला (नमूनों की जांच)	5,247	9,825	11,569	6,480

कोटि नियंत्रण प्रयोगशाला में जांचों की संख्या में कमी इस कारण है कि कम से कम 10 प्रतिशत जांच अन्य बाहरी अनुमोदित प्रयोगशालाओं से कराई जा रही है जो कि पहले अनिवार्य नहीं थी।

15

वित्त एवं लेखा विंग

15.1 दि.वि.प्रा. के वित्त एवं लेखा विंग के प्रधान वित्त सदस्य हैं, जिनकी मुख्य लेखा अधिकारी, वित्त सलाहकार (आवास), निदेशक (लागत निर्धारण) और निदेशक (वित्त) भी सहायता करते हैं।

दि.वि.प्रा. का वित्त एवं लेखा विंग दि.वि.प्रा. के वित्त का कामकाज देखता है और यह विभाग वार्षिक लेखा तैयार करने, बजट तैयार करने, शहरी विकास निधि का निधि प्रबंध करने, शहरी विरासत पुरस्कार निधि, सामान्य भविष्य निधि सहित कर्मचारी पारिश्रमिक, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पेंशन वितरण एवं परियोजना अनुमोदनों का कार्य भी करता है।

15.2 प्राधिकरण के वार्षिक लेखे

क) बजट एवं लेखा उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण का लेखा निम्नलिखित तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत रखा जाता है:

1. नजूल खाता–1
2. नजूल खाता–2
3. बजट सामान्य विकास खाता

ख) तीनों खातों की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित पैरों में संक्षिप्त रूप से दी गई है:

i) नजूल खाता-I

नजूल खाता–I पुरानी नजूल संपदा से संबंधित लेनदेन को प्रदर्शित करता है, जो प्रबंध हेतु सरकार द्वारा पुराने नजूल करार, 1937 के अंतर्गत दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को सौंप दी गई थी और बाद में इसे दि.वि.प्रा. द्वारा दिसम्बर, 1957 में उत्तराधिकारी निकाय के रूप में अपने अधिकार में ले लिया गया था। इस खाते में दिल्ली मुख्य योजना और जोनल विकास योजनाओं को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन से संबंधित लेनदेन भी शामिल हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इस खाते के अंतर्गत प्राप्तियां ओर व्यय इस प्रकार रहा:

	2003-2004	2004-2005	2005-2006 (वास्तविक)
प्राप्तियां	2.86	2.90	6.10
व्यय	12.38	12.72	16.65

ii) नजूल खाता.II

इस खाते में दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, विकास और उनके निपटान की योजना सें संबंधित लेनदेन शामिल है। इस लेखे के अंतर्गत भूमि के विक्रय से प्राप्त आय और भू–भाटक आदि की वसूली का हिसाब रखा जाता है और व्यय मुख्य रूप से भूमि के अधिग्रहण तथा उसके विकास पर किया जाता है। इस खाते में संचयी अधिशेष प्राप्तियों का उपयोग भूमि अधिग्रहण और बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान और विकास कार्यों पर व्यय एवं संस्थापना व्यय हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भुगतान के लिए किया जाता है। भूमि अधिग्रहण और बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान हेतु 31 मार्च, 06 तक रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को 925.62 करोड़ रुपये भुगतान किए गए हैं। इस लेखाशीर्ष के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों का प्राप्ति एवं व्यय का विवरण दिया गया है:

	2003-2004	2004-2005	2005-2006 (वास्तविक)
प्राप्तियां	2,466.83	2,310.56	1,931.58
व्यय	675.61	1,047.48	1568.52

iii) सामान्य विकास खाता

प्राधिकारण में निहित सभी संपत्तियों और भूमि का भुगतान इस खाते के राजस्व से ही किया जाता है। इस खाते के अंतर्गत दि.वि.प्रा. उच्च आय वर्ग के अंतर्गत आवासों के अतिरिक्त कमजोर वर्ग के लोगों, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आवास कार्यक्रम चलाता है और दिल्ली के विभिन्न भागों में

सुविधा बाजारों/स्थानीय बाजारों में दुकानों तथा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा स्थानांतरित भूमि के लिए भी इस खाते से वित्तीय सहायता दी जाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों की प्राप्तियां और व्यय इस प्रकार रहा :

	2003 2004	2004 2005	2005-2006 (वास्तविक)
प्राप्तियां	522.09	1004.24	757.16
व्यय	572.83	571.97	576.36

iv) वार्षिक खाते

वर्ष 2002-2003 तक के वार्षिक खाते संसद के समक्ष रख दिये गए हैं। वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के लिए लेखा प्रमाण-पत्र, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली से प्राप्त कर लिए गए हैं। वर्ष 2003-2004 के लिए प्रमाण-पत्र को संसद के समक्ष रखे जाने के लिए इसे प्राधिकरण से अनुमोदित करा लिया गया है और वर्ष 2004-2005 के लिए प्रमाण-पत्र शीघ्र ही प्राधिकरण के समक्ष रखे जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

v) शहरी विकास निधि

1992-93 में भारत सरकार ने लीज होल्ड अवधि को फ्री-होल्ड अवधि में परिवर्तित करने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत 31.03.2006 तक 584 करोड़ रु. की राशि (निवेश पर ब्याज सहित) प्राप्त की गई। इस खाते में से निधि शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदित समिति (प.अ.स.) द्वारा अनुमोदित योजनाओं/परियोजनाओं को दी जा रही है। कुछ परियाजनाओं/योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

1. एम.ओ.यू./करार के अनुसार लॉट-I के अंतर्गत दि.वि.प्रा. द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की तरफ से सात फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाना था, के अंतर्गत फ्लाई ओवर से संबंधित परियोजना की कुल लागत 145 करोड़ रूपए है, जिनमें से 110 करोड़ रूपए यू.डी.एफ. से प्राप्त होंगे अर्थात् 88 करोड़ रूपए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा 20 वर्षों में 10% ब्याज की दर से वापस दिया जाने वाला ऋण माना जाएगा और 22 करोड़ रूपए अनुदान राशि मानी जाएगी जबकि शेष 35 करोड़ रूपए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का हिस्सा माना जाएगा। 31.03.2006 तक ऋण के पुर्नभुगतान के रूप में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शेयर 96.60 करोड़ रूपए में से 92.90 करोड़ रूपए की राशि उनके द्वारा जारी कर दी गई है और बकाया 3.70 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाना है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शेयर के 35 करोड़ रूपए की राशि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से प्राप्त हो गई है।
2. लॉट-II, के अंतर्गत सात फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, के अंतर्गत फ्लाई ओवर के संबंध पी.डब्ल्यू.डी./ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के साथ एम.ओ.यू./ करार के अनुसार परियोजना की कुल लागत 135 करोड़ रूपए है। इस राशि में से 75 करोड़ रूपए यू.डी.एफ. से प्राप्त होंगे अर्थात 50% अनुदान माना जाएगा और 50% ऋण माना जाएगा जो 10% वार्षिक की दर से 2001-02 से वसूल किया जाएगा। जबकि शेष 60 करोड़ रुपए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का हिस्सा है। 75 करोड़ रुपए में से 74.20 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है और शेष 0.80 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। 71.25 करोड़ (11.25 करोड़ रुपए + 60.00 करोड़ रुपए) रुपए के ऋण की वापसी के रूप में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा भुगतान कर दिया गया है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शेयर के 78.75 करोड़ रू. दिनांक 31.03.2006 को बकाया हैं। बकाया 7.50 करोड़ का उनके द्वारा अभी भुगतान किया जाना है।
3. गोलमार्किट सैक्टर-4 डी.आई.जैड. क्षेत्र से 926 झुग्गियों को हटाने के लिए अग्रिम के रूप में सी.पी.डब्ल्यू.डी. को 2.52 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। 2.52 करोड़ रुपए की बची हुई राशि सी.पी.डब्ल्यू.डी. से वापस प्राप्त हो गई है।
4. सैक्टर-4, एम.बी. रोड़ पुष्प विहार, नई दिल्ली के आधारिक विकास के लिए मंत्रालय द्वारा 12.40 करोड़ रुपए की राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत हुई। जिसमें से 6.20 करोड़ रु. की राशि सी.पी.डब्ल्यू.डी. को दी गई है।
5. गाजीपुर ईदगाह स्लाटर हाऊस के आधुनिकीकरण के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई जिनमें से 20 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में और 20 करोड़ रुपए ऋण के रूप में स्वीकृत हुए। 40 करोड़ रुपए की समस्त राशि दि.न.नि. को दे दी गई है।
6. नार्थ एवं साउथ ब्लाक, नई दिल्ली में एम.पी.फ्लैटों के सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा 1.18 करोड़ रू. की राशि स्वीकृत कर दी गई है, जो अनुदान के रूप में के.लो.नि.विभाग को भी जारी कर दी गई है।

vi) डी.एम.आर.सी को भुगतान जारी करना

यह मैट्रो लाइन नं. III बाराखम्बा रोड़, कनाट प्लेस, द्वारका गलियारा सैक्टर-9 तक 6.5 कि.मी. बढ़ाए जाने के संबंध में है और द्वारका में

आगे सैक्टर-22 तक 2.5 कि.मी. बढ़ाने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा वित्त प्रदान किया जाएगा। द्वारका के निवासियों को सस्ते और सुविधाजनक तरीके से यातायात की सुविधा प्रदान करने के और बस यात्रा के समय को कम करने के अभिप्रायिक इस परियोजना का उद्देश्य है। इससे ट्रैफिक गति आसान हो जाएगी और वातावरणीय प्रदूषण घट जाएगा, और परिणामत: पैट्रोल और डीजल की कम मांग के रूप में मूल्यवान विदेशी विनिमय की बचत में भी लाभ होगा। परियोजना का यह भी अर्थ होगा कि द्वारका और उसके आस-पास दि.वि.प्रा. से जुड़ी हुई काफी मूल्य की सम्पत्तियां, जो दि.वि.प्रा. की निधियों के बाहर की हैं, उन्हें अलग रखा जाएगा।

डी.एम.आर.सी. (दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन) द्वारा दि.वि.प्रा. को भेजे गए करार प्रारूप के अनुसार हमें नीचे दी गई सूची के अनुसार, डी. एम.आर.सी. को निधि देनी होगी :

i)	2003-04	:	80.00	करोड़ रुपए
ii)	2004-05	:	160.00	करोड़ रुपए
iii)	2005-06	:	80.00	करोड़ रुपए

ऋण संघटक और अनुदान संघटक, प्रत्येक राशि 80.00 करोड़ रू सहित यू.डी.एफ. (शहरी विकास निधि) में से डी.आर.एम.सी. को शहरी विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 14.01.2004 के द्वारा 160.00 करोड़ रुपए की राशि की संस्वीकृति भेज दी गई थी जिन्होंने 80.00 करोड़ रुपए के ऋण संघटक को लेने से इंकार कर दिया। यू.डी.एफ. से अनुदान के रूप में 160.00 करोड़ रुपए की राशि को बदलने और देने के लिये मामला मंत्रालय के सामने उठाया गया। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा उनका यह सुझाव स्वीकृत नहीं किया गया और दिनांक 28.04.04 के उनके पत्र के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि यू.डी.एफ. में से कुल अनुदान राशि मात्र 80.00 करोड़ रुपए रहेगी और शेष 80.00 करोड़ रुपए की राशि दि.वि.प्रा. द्वारा दी जाए। यू.डी.एफ. से ऋण लेकर या उसके निजी फण्ड में से तदनुसार, दि.वि.प्रा. अपने निजी फण्ड में से 240.00 करोड़ रुपए की शेष राशि की वित्तीय व्यवस्था करेगा। दि.वि.प्रा. अब तक 240.00 करोड़ रू. की संपूर्ण राशि डी.एम.आर.सी. को एवं 80.00 करोड़ रुपए यू.डी.एफ. से जारी कर चुका है ताकि इसके टेंडर के कार्य और कार्यनिष्पादन में कोई बाधा न पड़े।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार डी.एम.आर.सी. को मैट्रो लाइन के लिए भूमि नि:शुल्क दी गई है।

अब, डी.एम.आर.सी. ने सैक्टर-22 द्वारका तक मैट्रो लाइन को आगे बढ़ाने के लिए 275.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि के लिए अनुरोध किया है। सचिव (शहरी विकास) के निदेश के अनुसार इसमें 100.00 करोड़ रुपए दि.वि.प्रा. द्वारा 31.03.2006 तक अनुदान के रूप में जारी कर दिये गए है।

vii) शहरी विरासत पुरस्कार कोष

किसी नगर की विरासत उसके सृजनात्मक उत्साह के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। दिल्ली की कम से कम एक सौ वर्ष पुरानी ऐतिहासिक इमारतों, जो अभी उपयोग में हैं, के संरक्षण, सुरक्षा एवं रख-रखाव और उन्हें बनाए रखने के लिए वर्ष 1993 में दि.वि.प्रा. ने पुरस्कार देना प्रारम्भ किया, जिसे ''दि.वि.प्रा. शहरी विरासत पुरस्कार'' कहते हैं और यह दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाता है। 23.50 लाख रुपए के आवश्यक फण्ड की व्यवस्था अलग से की गई है। प्रत्येक वर्ष पुरस्कार देने के लिए इसका निर्देश किया जाता है।

viii) औद्योगिक, सांस्थानिक और व्यावसायिक सम्पत्तियों के भू-भाटक का बकाया

दि.वि.प्रा. के पटटाकर्त्ताओं को विवाद रहित सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से बाह्य स्रोत परिकलन, मांग करने और भू-भाटक की वसूली के लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। परिणामत: यथोक्त गतिविधियों के लिए इन्डस इन्ड बैंक के साथ एक करार किया गया और 15,000 औद्योगिक, सांस्थानिक और व्यावसायिक प्लाटों का डाटा बेस इस अवधि में आउट सोर्सिंग बैंक को सौंपा गया है।

बैंक ने जनवरी, 2005 के पहले दो सप्ताह में 14,000 पट्टाधारियों को चूककर्ता नोटिस जारी किये थे। वर्ष 2005-2006 में 9000 पट्टाधारियों को स्मरण-पत्र जारी किये गये और 6000 पट्टाधारियों को दूसरा स्मरण-पत्र जारी किया गया। बकाया भू-भाटक और उस पर ब्याज जमा करने की सुविधा, जो पट्टाधारियों को ड्रॉप बॉक्स और बकाया विवरण आदि का पूर्ण विवरण देकर उपलब्ध करायी गई है, के परिणामस्वरूप अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो रहा है, जो आउट सोर्सिंग बैंक द्वारा अभी तक प्राप्त की गई प्राप्तियों के रूप में दिखाई दे रहा है। ये प्राप्तियाँ मार्च, 2006 के अंत तक 51.13 करोड़ रुपए तक पहुँच गई हैं।

आवासीय सम्पत्तियों के डाटा बेस सोर्सिंग बैंक को देने के लिए भी अन्तिम रूप से प्रक्रिया में है।

ix) बकाया ऋण एवं अन्य देय राशियाँ

अब तक ऋण/ऋण-पत्र आदि के रूप में दि.वि.प्रा. के प्रति कोई बकाया देयता नहीं रह गई है।

15.3 बजट

क) दि.वि.प्रा. के बजट एवं लेखा नियम 1982 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण की सभी प्राप्तियों और भुगतानों के संबंध में अगले वर्ष के लिए प्राधिकरण के बजट अनुमानों और चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों को संकलित करने के पश्चात् प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 24 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विधिवत् रूप से अनुमोदित बजट अनुमान केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाता है। विभिन्न सिविल विद्युत एवं उद्यान विभागों की संबंधित भुगतान इकाइयों द्वारा बजट व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न कार्यों पर व्यय के लिए धन राशि जारी करके प्रभावी बजट नियंत्रण रखा जाता है। बजट के संदर्भ में वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय की आवधिक समीक्षा की जाती है और लक्ष्यों की प्राप्ति में पाई जाने वाली कमियों को रोकने हेतु समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

ख) क्षेत्रवार बजट जो विभिन्न कार्यों/योजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति को दर्शाता है, प्रतिवर्ष क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा संकलित किया जाता है। विभिन्न योजना/परियोजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि और योजना की वास्तविक प्रगति, जो संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा दर्शायी जाती है, का यह संबंध है। इससे विभिन्न योजना और परियोजनाओं पर प्रभावी निगरानी आसानी से होती है और समय और लागत पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है।

वर्ष 2005-06 के लिए दि.वि.प्रा. के बजट पर प्रेस सम्मेलन

बजट एक नजर में

(क) प्राप्तियाँ

(आंकड़े करोड़ रु. में)

	सं.अनुमान 2004-05	2004-05 (वा.आंकड़े)	सं.बजट 2005-06	ब. अनुमान 2006-07
नजूल खाता-I	3.17	2.91	3.38	18.07
नजूल खाता-II	1,912.65	2,310.56	1,217.70	1,464.95
बी.जी.डी.ए.	880.65	1,004.22	810.02	1,385.14
कुल	**2,796.47**	**3,317.69**	**2,031.10**	**2,868.16**

(ख) व्यय

(आंकड़े करोड़ रु. में)

	सं.अनुमान 2004-05	2004-05 (वा.आंकड़े)	सं.बजट 2005-06	ब. अनुमान 2006-07
नजूल खाता-I	16.69	14.34	16.38	19.27
नजूल खाता-II	1,234.81	1,101.49	1,820.41	2,087.40
बी.जी.डी.ए.	731.75	571.96	502.35	758.33
कुल	**1,983.25**	**1,687.79**	**2,339.14**	**2,865.00**

(ग) दिल्ली नगर निगम को कमी प्रभार

दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष रख-रखाव के लिए काफी संख्या में कालोनियां दिल्ली नगर निगम को सौंपता रहा है। कमी प्रभारों के रूप में दिल्ली नगर निगम को वर्ष 2004-05 के दौरान भुगतान किये गये 1.28 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2005-2006 के दौरान 1.65 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया गया।

15.4 कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

दि.वि.प्रा. ने वित्त वर्ष 2002-2003 के दौरान स्टाफ/अधिकारियों एवं पेंशन भोगियों के संबंध में बहिरंग उपचार के लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की मौद्रिक वार्षिक सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारी और पेंशन भोगी बाहरी उपचार के अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों, दिल्ली सरकार में पंजीकृत अनुमोदित पैनल नर्सिंग होमों और निजी अस्पतालों में किए गए आन्तरिक उपचारों पर व्यय की प्रतिपूर्ति के भी हकदार हैं। चिकित्सा कक्ष में कर्मचारियों के नियमित दावों के अतिरिक्त लगभग 5000 पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मामलों पर कार्रवाई भी की जाती है।

15.5 सामान्य भविष्य निधि योजना

केन्द्रीय सरकार की सामान्य भविष्य निधि योजना के समान ही दि. वि.प्रा. की सामान्य भविष्य निधि योजना इसके कर्मचारियों के लिए लागू है। वर्ष 2004-2005 के दौरान किए गए 475.23 करोड़ रूपए के निवेश की तुलना में केन्द्र/राज्य सरकार प्रतिभूति/सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकार के गारंटी बांड में दिनांक 31.3.2006 को 529.53 करोड़ रूपए की राशि का निवेश किया गया।

15.6 पेंशन योजना

क) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर यथा लागू केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों पर 1973 से लागू है। अभी तक प्राधिकरण से 4700 पेंशन भोगी/मृत कर्मचारियों के कानूनी वारिस मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान 31.03.2006 तक पेंशन संबंधी लाभ के रूप में 18.60 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया।

ख) **बैंकों द्वारा पेंशन का संवितरण**

i) दि.वि.प्रा. के सेवा निवृत कर्मचारी अब भारतीय स्टेट बैंक, विकास सदन और सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, दिल्ली क्षेत्र, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश शामिल है, में स्थित सभी शाखाओं से अपनी पेंशन ले सकते हैं। यह मामला उनके क्षेत्रों में पड़ने वाले अन्य राज्यों के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी यह सुविधा देने के लिए उठाया गया है।

ii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार दि.वि.प्रा. ने सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की भावी पेंशन देयताएं पूरी करने के लिए अपेक्षित निधि रखी है। वर्ष 2004-2005 तक 282.68 करोड़ रूपए की तुलना में 3/06 तक पेंशन के लिए कुल 287.18 करोड़ रूपए की पेंशन निधि का निवेश है। इसके अतिरिक्त ग्रेच्युटी निधि पर भी 69.18 करोड़ रूपए का निवेश हुआ है।

iii) **पेंशन निधि और ग्रेच्युटी निधि न्यास का पंजीकरण**

प्राधिकरण ने अपनी दिनांक 22 नवम्बर 2004 की बैठक में आयकर अधिनियम और नियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुसार दि.वि.प्रा. पेंशन निधि न्यास और दि.वि.प्रा. ग्रेच्युटी निधि न्यास का गठन करना प्रस्तावित किया है। न्यासों का पंजीकरण हो गया और इसके लिए आयकर प्राधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की जानी लम्बित है।

ग) समूह बीमा योजना (जी.आई.एस.) हितकारी निधि (बी. एफ.) एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (पी.ए.आई.पी.) इन स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैं:

ग) समूह बीमा योजना

1. समूह बीमा योजना (जीआईएस) कर्मचारी की मृत्यु होने के मामले में जांच सूची के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों सहित समूह बीमा योजना का पूरा मामला समूह बीमा योजना की राशि के भुगतान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित करने के लिए आगे की जांच हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा समूह बीमा योजना शाखा को भेजा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम दस्तावेजों का सत्यापन, जांच करने के पश्चात दि.वि.प्रा. के पक्ष में समूह बीमा योजना की राशि जारी करता है। तब दि.वि.प्रा. द्वारा कानूनी वारिस को भुगतान किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा 201 मामले निपटाये गए और 58 मामलों पर कार्रवाई चल रही है।

2. **व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (पी.ए.आई.पी.)**

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (पी.ए.आई.पी.) दुर्घटना के कारण दि.वि.प्रा. कर्मचारी की मृत्यु होने पर और किसी एक अंग अथवा एक आंख इत्यादि का नुकसान होने पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी के मामले भी समूह बीमा योजना शाखा में निपटाए जाते हैं। जांच सूची के अनुसार दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, एफ.आई.आर., पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि सहित पूरा मामला आगे की कार्रवाई के लिए समूह बीमा योजना शाखा में निपटाया जाता हैं। जांच सूची के अनुसार दावा प्रपत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि सहित पूरा मामला आगे की कार्रवाई के लिए समूह बीमा योजना शाखा में भेजा जाता है। समूह बीमा योजना शाखा में दस्तावेजों की जांच की जाती है और सक्षम अधिकारी का अनुमोदन लेने के बाद कानूनी वारिस को दि. वि.प्रा. की निधि से भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान आठ मामले निपटाये गए और चार मामलों पर कार्रवाई चल रही है।

3. **प्रतिनियुक्ति स्टॉफ की हितकारी निधि/समूह बीमा योजना के मामले**

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के दिल्ली नगर निगम, जे.जे. विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने के संबंध में हितकारी निधि/समूह बीमा योजना/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी इत्यादि के मामलों की भी समूह बीमा योजना शाखा में जांच की जाती है एवं भुगतान समूह बीमा योजना शाखा

द्वारा किया जाता है। जहां तक हितकारी निधि का संबंध है, दिनांक 1.04.2002 से मृत्यु के मामले में 50,000/- रुपए का भुगतान किया जाता है तथा सभी श्रेणियों के कर्मचारियों से 32/- रुपए की एक समान दर से वसूली की जाती है। वर्ष 3/2005 तक किए गए 0.50 करोड़ रुपए के भुगतान की तुलना में वर्ष 2005-2006 के दौरान 31.03.2006 तक मृतक कर्मचारी के कानूनी वारिसों को हितकारी निधि के भुगतान के रूप में 1.52 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है।

हितकारी निधि का भुगतान संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा दिसम्बर, 2004 तक कर दिया गया। हितकारी निधि के भुगतान की राशि कर्मचारी की श्रेणी का ध्यान किए बिना 50,000/- रूपए थी। यह राशि 1.1.2005 से बढ़कर 1,00,000/- रूपए हो गई है। कर्मचारियों का अंशदान भी 32/- रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 50/- रूपए प्रति माह हो गया है। 22 नवम्बर, 2004 को हुई प्राधिकरण की बैठक में दि.वि.प्रा. ने आयकर अधिनियम और नियमों के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार प्रारम्भ में जमा 20 करोड़ रूपए के साथ दि.वि.प्रा. हितकर निधि न्यास बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। न्यास पंजीकृत हो गया है और इसका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आयकर प्राधिकारियों के साथ कार्यवाही चल रही है।

15.7 प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति

क) वर्ष 2005-2006 के दौरान भूमि और आवास के विकास के लिए इंजीनियरिंग विग द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न योजनाओं के व्यापक परियोजना अनुमोदन के बाद 46.97 करोड़ रूपए के लिए वित्तीय सहमति प्रदान की गई। इंजीनियरिंग विंग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की व्यापक समीक्षा करने के परिणाम स्वरूप 1.19 करोड़ रूपए की बचत की गई।

ख) प्रारम्भिक अनुमान

प्रशासनिक अनुमोदन एवं संस्वीकृति प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग विंग द्वारा प्रारम्भिक अनुमान तैयार किया जाता है, जो कार्य के निष्पादन के लिए पूर्व-अपेक्षित है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रारम्भिक अनुमान को प्रस्तुत करने से पूर्व इसे वित्त सदस्य के पास वित्तीय सहमति के लिए भेजा जाता है।

वित्तीय सहमति प्रदान किये जाने के बाद प्रारम्भिक अनुमानों को प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति के लिए उपाध्यक्ष, दि. वि.प्रा. की अध्यक्षता वाली प्राक्कलन लेखा समिति (ई.ए.सी.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

15.8 दि.वि.प्रा. में वेतन-पत्रक पैकेज का विकास

दि.वि.प्रा. के लिए एक वेतन पत्रक पैकेज का विकास किया गया है, जिसमें निम्नलिखित मॉड्यूल्स शामिल हैं:

1. वेतन बिल रजिस्टर तैयार करना।
2. आयकर का परिकलन एवं फार्म नं. 16 जारी करना।
3. वार्षिक खाता स्लिप जारी करने सहित सामान्य भविष्य निधि खाता तैयार करना।
4. पेंशन और उपदान का परिकलन।
5. विभिन्न अग्रिम राशियों और वसूलियों के लिए रिकार्ड का रख-रखाव।
6. वेतन की बकाया राशि का परिकलन।
7. लेखा परीक्षा ट्रायल सहित पुराने आंकड़ों का रख-रखाव।

मॉड्यूल वार जांच एवं प्रलेखन पूरे किए जा चुके हैं और दि.वि.प्रा. कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए पे-रोल पैकेज को क्रियान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

15.9 वित्त वर्ष 2005-2006 के लिए दि.वि.प्रा. की आयकर रिटर्न दर्ज करना

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2002-2003 से सभी आवास प्राधिकरण/बोर्ड इसकी सीमा के अंतर्गत आते हैं। वित्त वर्ष 2004-2005 की आयकर रिटर्न भी निर्धारित तिथि तक दर्ज कर दी गई थी, जिसमें 2.48 करोड़ रूपये की वापसी का दावा किया गया था।

पहली तिमाही के लिए 1.57 करोड़ रूपये और दूसरी तिमाही के लिए 6.69 करोड़ रूपये के अग्रिम कर का भुगतान किया गया। आगे किसी अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि दि.वि.प्रा. को निदेशक (छूट) आयकर द्वारा धारा 12-ए के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान कर दिया गया है। इसलिए भविष्य में किसी कर का भुगतान नहीं किया जाना है।

15.10 दि.न.नि. को संपत्ति कर का भुगतान

इकाई क्षेत्र विधि के अनुसार वर्ष 2005-2006 के संपत्ति कर/सेवा प्रभारों के 46.67 लाख रूपए का, दिनांक 8.7.2004 को आयुक्त (दि.वि.प्रा.) के साथ हुई उपाध्यक्ष की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसार विभिन्न सम्पत्तियों के बारे में दि.वि.प्रा. को भुगतान कर दिया गया है।

प्राप्तियां

(आंकड़े करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	मदों का विवरण	वा.आंकड़ें 2004-05	सं.अनुमान 2005-06	वास्तविक 2005-06
	प्रारम्भिक नकद शेष	126.60	180.21	118.93
1.	क्षति पूर्ति सहित निर्माण कार्य और विकास योजनाओं से राजस्व/पूंजीगत प्राप्तियां	35.86	137.98	92.43
2.	किराया खरीद योजना के अंतर्गत आवासों और दुकानों के निपटान से प्राप्तियां	610.90	562.79	551.26
3.	भूमि निपटान से प्राप्तियां	1800.58	1020.42	1689.95
4.	ब्याज	200.32	208.97	220.15
5.	अन्य प्राप्तियां	553.06	73.27	137.24
6.	प्लान स्कीमें और निक्षेप कार्य	116.99	27.67	3.81
7.	केन्द्र सरकार से अनुदान	-	-	-
8.	सा.भ. निधि/सा.वि. योजना/पी.ए.आई.पी.	122.24	125.50	124.44
9.	ऋण और डिबेंचर	-	-	-
10.	जमा और अग्रिम			
	क) निवेश का नकदीकरण	4029.50	3874.00	2656.52
	ख) आवर्ती निधि	576.91	1820.41	425.17
	ग) व्यक्तिगत बहीखाता	1260.86	1300.00	1061.03
	घ) रक्षित निधि	17.14	117.00	176.63
	ङ) अन्य उचंत जमा और अग्रिम	7811.18	493.40	1346.19
	कुल	**17,262.14**	**9,661.41**	**8,603.75**

भुगतान

(आंकड़े करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	मदों का विवरण	वा.आंकड़ें 2004-05	सं.अनुमान 2005-06	वास्तविक 2005-06
1.	विकास योजनाओं मुख्य योजना को प्रभारित शेयर लागत सहित प्रशासनिक लागत-प्रशासन लागत घटाएं	205.39	223.63	410.80
2.	भूमि विकास आदि पर व्यय आवर्ती निधि से वित्त	564.49	686.41	406.66
3.	निर्माण कार्यों और विकास योजनाओं पर व्यय	65.70	84.55	61.92
4.	भूमि अधिग्रहण, बढ़ाया गया मुआवजा	399.76	990.0	925.62
5.	आवासों/दुकानों का निर्माण	352.90	289.74	290.93
6.	ऋण, सा.भ. निधि पर ब्याज का भुगतान और अग्रिम जमा	22.87	26.06	27.90
7.	प्लान स्कीम निक्षेप निर्माण कार्य	60.61	27.67	18.72
8.	अन्य व्यय	18.22	11.08	19.24
9.	ऋण का भुगतान	-	-	-
10.	सा.भ.नि. सा.बीमा योजना, पी.ए.आई.पी.	64.32	65.50	71.59
11.	जमा और अग्रिम	-	-	-
	क) सा.भ. निधि निवेश, पेंशन निधि सामान्य निवेश खेल सहित	5667.16	1213.00	3515.47
	ख) ऋणमोचन का प्रावधान			
	ग) आवर्ती निधि को भुगतान की गई राशि	576.91	1217.70	425.17
	घ) रक्षित निधि	19.66	20.10	30.92
	ड) व्यक्तिगत बहीखाता	1471.59	3800.00	1085.35
	च) अन्य उचंत जमा एवं अग्रिम	7653.64	858.51	1152.14
	अन्तिम शेष	**118.92**	**147.46**	**161.32**
	कुल	**17262.14**	**9661.41**	**8603.75**

श्री अजय माकन, माननीय केन्द्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री, दि.वि.प्रा के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए.

श्री दिनेश राय, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. वृक्षारोपण अभियान के दौरान रोहिणी में एक पौधा लगाते हुए.

मीडिया कर्मी यमुना जैव वैविध्य पार्क का दौरा करते हुए.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

शहरी विकास मंत्रालय

भारत सरकार